खण्ड-209, अंक-7
शनिवार, 1 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(20 फरवरी, 1960 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 209 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, २० फरवरी, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३२९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री]
कृपाशंकर,श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्द सिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जरगम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री

बुलाकीराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रामकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय , श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री

रुकनुद्दीन खी, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतला प्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यवती पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हीरालाल यादव, श्री

खाद्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री नेगी जी के विरुद्ध उपस्थित किया है। इसकी नोटिस उन्होंने दे दी है। लेकिन मैंने उसको अभी पढ़ा नहीं चूंकि अभी-अभी मुझे मिला है। इस सम्बन्ध में कागजात पूरे तौर से दे लेने के बाद मैं अपना फैसला सोमवार या मंगल को दूंगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री जंगबहादुर वर्मा ने एक कामरोको प्रस्ताव दिया है, लेकिन यह विषय ऐसा है जो बजट की बहस में आ सकता है। बजट में इस पर बहस की जा सकती है, इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---बजट में तो आज मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष---मैंने इजाजत नहीं दी है। आप बजट के वक्त में इस पर बोल सकते हैं।

गोरखपुर तथा देवरिया में टैस्टवर्क पर कार्य करने वाले अकाल पीड़ित मजदूरों को निर्धारित मजदूरी न मिलने तथा उन पर जुर्माना कर देने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री उग्रसेन जी ने नियम ५२ के अनुसार एक प्रश्न मुझे परसों या नरसों दिया था। मैं उसे कल स्वीकार करने वाला था लेकिन चूंकि वह बाहर जाने वाले थे इसलिये मैंने उनसे कहा था कि उसे वह आज उपस्थित कर सकते हैं। उसको मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार से हैं : "गोरखपुर तथा देवरिया जनपद में २० जनमार्गों पर टैस्टवर्क चल रहा है और उस पर १५,००० से अधिक अकाल पीड़ित रोजी पा रहे हैं। गोरखपुर जनपद में "फेमिनकोड" के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी न देकर अकाल-पीड़ितों से ७ रुपया हजार घनफीट मिट्टी कटाई जाती है तथा देवरिया में जहां १,००० से अधिक मजदूर कार्य कर रहे हैं, गत सप्ताह ४,५०० रुपया उन अकाल पीड़ितों पर जुर्माना कर दिया गया है। इससे उनमें नितान्त क्षोभ है और एक विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर चर्चा हेतु समबंटन की मांग करता हूं।"

इसमें समय के बंटन का सवाल नहीं उठता। इसमें माननीय मन्त्री जी वक्तव्य दे सकते हैं।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---मैं मंगल को वक्तव्य दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---आप सोमवार को दे दें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं जो अंतिम सूचना लेकर आया हूं वह भी दे दूं ?

श्री अध्यक्ष---आप उसे मेरे पास भिजवा दीजियेगा, मैं मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा :

फ्रांस द्वारा सहारा में किये गये अणु-बम विस्फोट के प्रभाव के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फ्रान्स द्वारा सहारा में किये गये विस्फोट के फाल आउट के बारे में नैनीताल आब्जर्वेटरी की क्या राय है, इसे अगर माननीय मन्त्री जी बता सकें तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि उसके कारण आज बड़ी परेशानी फैली हुई है ।

श्री अध्यक्ष---स्वास्थ्य मन्त्री के पास अगर कोई सूचना हो तो वह दे दें । गौरी शंकर राय जी का प्रश्न, फ्रान्स ने जो एटम बम सहारा में एक्सप्लोड किया है उसके फाल आउट के बारे में है । वह इस सम्बन्ध में नैनीताल आब्जर्वेटरी की राय जानना चाहते हैं ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री गौरीशंकर राय---तो मन्त्री जी वहां से सूचना मंगा कर दे दें ।

श्री अध्यक्ष---मन्त्री जी नैनीताल आब्जर्वेटरी से सूचना मंगाकर दे देंगे ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या जनता को भी कोई सावधानी बरतने की आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष---यह सब वह बतला देंगे ।

प्रदेश के ईख प्रधान क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों में व्याप्त क्षोभ से उत्पन्न विषम परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---इस संबंध में मुझे मुख्य मंत्रीजी ने अभी फोन पर कहा था कि उनकी तबियत जरा खराब है और इसे सोमवार के लिये कर दिया जाय । वह आज आ नहीं रहे हैं । मैं इसे सोमवार के लिये करता हूं ।

श्री राजनारायण द्वारा नियम ५३ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, हमने नियम ५३ का दिया था ।

श्री अध्यक्ष---वह वैधानिक प्रश्न है, उसके मैंने रूल्स वगैरह मंगाये हैं । उनको देखकर ही कुछ कहूंगा ।

प्राक्कलन तथा लोक-लेखा समितियों के निर्वाचन-कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष---स्थायी समितियों के लिये जो प्रोग्राम रखा था वही सदन की दूसरी समितियों के लिये, यानी प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के लिये, रहेगा । मैंने ८ मार्च सायंकाल ५ बजे तक नाम वापसी के लिये रखी है । इस प्रकार ६ दिन होते हैं क्योंकि ३ दिन चुनाव के बढ़ा दिये गये हैं । चूंकि नाम वापसी के बाद फाइनल लिस्ट होने के लिये १० दिन चाहिये, इसलिये अगर किसी को आपत्ति न हो तो मैं ३ दिन बढ़ा दूं । ११ ता० को शायद छुट्टी है, होली की, तो इसलिये १० तारीख किये देता हूं । इसमें किसी को एतराज तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

तो १० तारीख वापिस लेने की कर देता हूं और यह सबके लिये लागू होगा ।

लेजिस्लेचर ग्रुप की कार्यकारिणी समिति के निर्वाचन सम्बन्धी सूचना

श्री अध्यक्ष—लेजिस्लेचर ग्रुप बनाने के बारे में हमने २६ तारीख रखी थी कि उस दिन उसकी कार्यकारिणी का चुनाव होगा । लेकिन अभी तक उसके कुल ५४ सदस्य हुये हैं और हमारी लगभग ४३० की संख्या के लिये यह कम है । कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि वे कुछ और सदस्य बनाना चाहते हैं, इसलिये समय और दे दिया जाय । तो मैंने मार्च के अन्तिम सप्ताह के लिये रख दिया है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह ग्रुप किस लिये है ? इसके उद्देश्य, प्रसारित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—हम लोग सब पार्टियों के साथ मिल कर अपनी समस्याओं पर विचार करते हैं । उसकी सदस्यता वालंटरी है । उद्देश्य बता दिये जावेंगे ।

श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—एटामिक टेस्ट के बारे में नियम ५२ का हमने भी दिया है ।

श्री अध्यक्ष—मैंने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि एक ही ले सकते हैं और एक मैं ले चुका था । चूंकि वह कहते थे कि बहुत जबरदस्त खतरा मालूम होता है, इसलिये मैंने सिर्फ उनसे पूछ लिया ।

श्री चन्द्रजीत यादव—इसमें यह बात भी पूंछ ली जाय कि मुख्य मंत्री जी ने स्वयं यह आदेश दिया था कि पिछले २, ३ दिनों में जो वर्षा हुई है उसका संबंध भी उससे देख लिया जाय । यह आदेश उन्होंने दिलकुशा और नैनीताल की आब्जर्वेटरीज को दिया था ।

श्री अध्यक्ष—वह उसका भी पता लगा लेंगे ।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)—नियम ५२ के अन्तर्गत जो आपने स्वीकार किया है उसके सम्बंध में मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी दिये थे । तो क्या सोमवार को वह विषय भी आ जावेगा ?

श्री अध्यक्ष—अगर आजाय तो अच्छा है । अगर उन्होंने इत्तिला नहीं दी तो आपको आधे घंटे की बहस का मौका मिल जायगा ।

१९६०-६१ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद † (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—लोगों का कहना है कि काफी सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये १० मिनट का समय कर दिया जाय । जो इस समय बोल रहे हैं उनके लिये यह लागू नहीं होगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—कल उपाध्यक्ष जी के सामने यह बात तय हुई है कि पार्टियों के पदाधिकारियों के लिये पहले जैसा ही समय रहेगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मेरा सुझाव आ गया है, वह मान लिया गया है । मैंने पहले ही यह कहा था कि १० मिनट हों ।

---

† १९ फरवरी, १९६० की कार्यवाही से ।

*श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी (जिला आजमगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल निवेदन कर रहा था कि वित्त विभाग की ओर से एक प्रकार से ऐसी कठिनाई उपस्थित हो जाती है जिससे सब विभाग वालों को बड़ी कठिनाई हो जाती है। जितना जिसका बजट है, अगर उससे अधिक खर्च कर लिया तो परेशानी होती है। लेकिन इतनी स्वतंत्रता विभागों को अवश्य छोड़नी चाहिये कि वे, जितना रुपया उन्हें दिया गया, उसे अपनी आवश्यकतानुसार खर्च कर सकें। इससे उनका काम ठीक तरह से चलेगा। यदि मंत्री जी को कोई वैधानिक दिक्कत है तो उसे असेम्बली में लाकर पास करा लें। कुछ रुपया सेविंग्स का भी होता है। फरवरी-मार्च में सेविंग्स के रुपये से यदि कोई काम हो सके तो उसके लिये भी वह मना कर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि ऐसी कोई कठिनाई उनके सामने होगी जिसकी वजह से वे ऐसा न कर पाते होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि जनता के लाभ के लिये सरकार इस पर विचार करके अपनी केबिनेट के सामने इस चीज को रखे कि सेविंग्स का जो रुपया है, जिस डिपार्टमेंट से उसका सम्बन्ध है उसको ही फिर दे दिया जाय।

गत वर्ष की एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैंने स्वयं इस बात के लिये सरकार से लिखा पढ़ी की तो शिक्षा मंत्रालय ने लिखा कि कुछ डिग्री कालेज जो एग्रीकल्चर के हैं, जिनके लिये हमने पहले दिया होगा उन्हीं को इस समय भी इजाजत देंगे। मैंने कहा कि कम से कम उनको रेकरिंग सहायता तो दे ही दें ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो जाय। पहले तो मुझे बतलाया गया कि इसे कर दिया जायगा लेकिन आपको जान कर आश्चर्य होगा कि उसके तीसरे रोज ही रिजेक्ट होकर हमारे पास कागज आ गया। उन्होंने लिखा कि आवश्यकता के अनुसार ही सबको खर्च करना चाहिये। मैं मानता हूं कि उनको किसी तरह की दिक्कत होगी जिसकी वजह से ऐसा नहीं कर सके होंगे।

आगे चल कर, श्रीमन्, मैं बतलाऊं कि यह बजट जो है, बड़ा ही सुन्दर है। भौतिक दृष्टिकोण से किसी चीज को बनाना हो तो इससे सुन्दर बजट और क्या हो सकता था? सारी चीजें इसके अन्दर रखी गयी हैं। उधर के कल एक मेम्बर ने कहा कि पहले अंग्रेजों के जमाने में जहां १२ करोड़ का बजट होता था वहां अब बहुत ज्यादा का बजट हो गया है। इस तरह का अगर कोई आज के जमाने में भी विचार रखता हो तो उसकी बात दूसरी है लेकिन जब आज के जमाने में तमाम काम बढ़ गये हैं तो बजट तो बढ़ेगा ही और आगे और भी बढ़ेगा तथा बढ़ता रहेगा।

यहां मैं आपसे निवेदन करूं कि शिक्षा और कृषि, इन दोनों चीजों को आगे बढ़ाना है। कृषि के सम्बन्ध में ही मैं पहले कहना चाहता हूं। मैंने कई बार यहां असेम्बली में भी कहा शिक्षा मंत्रालय से कि कृषि के जो डिग्री कालेज हैं, उन्हें कृषि विभाग को दे दिया जाय क्योंकि उस विभाग वाले वहां का इन्तजाम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं क्योंकि उनका वह विषय है। कृषि विभाग का जो बजट है वह ४ करोड़ से भी कम है। इस तरह से मैं देखता हूं कि इस विभाग के साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार है। यही एक ऐसा विभाग है जो उत्तर प्रदेश की खेती के बारे में उत्थान, प्रगति और अन्वेषण का कार्य करता है। यहां की आबादी ६, ७ करोड़ की है जिसके लिये ४ करोड़ का बजट रखा गया है और जो प्रति व्यक्ति १०, ११ आने के पड़ता है। सरकार के पास जो एग्रीकल्चर कालेज हैं उनकी तरक्की के लिये उसे कुछ न कुछ करना चाहिये। सरकार स्वयं तो कालेज खोलती नहीं है बल्कि दूसरों के खोले खुलाये कालेज को ले लेती है और इस तरह से उनके फार्म्स तथा बिल्डिंग्स आदि उसे मिल जाते हैं। उन कालेजों को, जो रुपया दिया जाता है, उसके बारे में उन लोगों ने लिखा कि इतने कम पैसे से हमारा काम नहीं चल सकता है लेकिन सरकार उधर ध्यान नहीं देती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, लाल बत्ती जल गयी है इसलिये मुझे ५ मिनट समय और दे दें क्योंकि आपने कहा था कि अगर आप जरूरत समझेंगे तो कुछ समय बढ़ा देंगे ।

श्री अध्यक्ष—आप कल ७ मिनट बोल चुके थे और ८ मिनट बाकी हैं। फिर भी आप बोलें ।

श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—श्रीमन्, कृषि के सम्बन्ध में जो बजट रखा गया है वह बहुत कम है, उसे और बढ़ाना चाहिये । शिक्षा के सम्बन्ध में एक बात और कहूं कि जो यह नियम बना दिया गया है कि जो डिग्री कालेज तीन वर्ष तक खुद अपने आप अच्छी तरह से चालू रहेंगे, उन्हीं को सरकार पैसा देगी, मैं कहता हूं कि अब जबकि ६० से ज्यादा डिग्री कालेज हो गये हैं, आज जनता में इतना दम नहीं रह गया है कि उसका खर्चा वह बर्दाश्त कर सके । इसलिये कृपा करके आप इस नियम को बदलवायें । रिकरिंग सहायता आप न दें तो नान-रिकरिंग ही दें । जो खर्च ३ साल तक स्कूल या कालेज का होता है उसको वह सस्थायें कैसे बरदाश्त करें ? मेरा सुझाव है कि आप इस नियम को बदलें और इसमें सुधार करें और अगर उनको जरूरत हो तो उन्हें नान-रिकरिंग सहायता भी दें।

मुझे कुछ पुलिस के बारे में भी कहना है । पुलिस का जो बजट है उसके अनुसार हमारे पास पैसे की कमी है लेकिन एक चीज यह है कि हमारे पुलिस के जो यह सिपाही हैं, इनकी कुछ वेतन वृद्धि हो जाती तो उन का काम चलता । आप को ताज्जुब होगा कि यह पी० ए० सी० के सिपाही, जब लखनऊ से गाजियाबाद या बरेली जाते हैं, तो उनको ६ आना रोज भत्ता मिलता है और उनके मुकाबले में सूबेदार को ३ रुपया रोज भत्ता मिलता है जब कि वह दोनों एक ही डिब्बे में सफर करते हैं और एक ही मेस में खाना खाते हैं । उनको ५-६ आना औसतन हिसाब पड़ता है, मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ाया जाय ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में बजट के सम्बन्ध में सरकारी पक्ष के तर्कों को सुना । मुझे हंसी इस बात पर आई कि उधर से दो माननीय मंत्री व उप मंत्री बोले और दोनों ने अपना नुक्तेनजर अलग-अलग रखा हालांकि हम आशा करते थे कि कम से कम दोनों मंत्रिगण तो एक ही दृष्टिकोण उपस्थित करेंगे ।

माननीय बहुगुणा जी ने और माननीय नेगी जी ने अलग-अलग बातें यहां पेश कीं । बहुगुणा जी तो बहुत-सी किताबों को उठा कर ले आये और सदन के विरोधीपक्ष के लोगों को न्योता दिया कि वह क्लास में शामिल हो जायं, वह उन्हें बहुत कुछ सिखायेंगे, सम्भवतः उन्हें यह भ्रम हो गया कि केवल 'बहुगुणा' नाम से ही सब गुण आ जाते हैं। परन्तु उनके जो तर्क थे वह बिल्कुल लचर और तथ्यहीन थे । उन्होंने कहा कि पुस्तकें हमारी तरफ के लोगों ने नहीं पढ़ीं; और नेगी जी ने कहा कि बगैर पुस्तकों के पढ़े ही बजट में सब कुछ जाना जा सकता है, अक्ल होनी चाहिये । दो मंत्रियों द्वारा इस तरह की विरोधात्मक बातों से कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। सारा विवाद इस बात पर हुआ कि माननीय नारायण दत्त जी ने जो बजट की कुछ खामियां बताई, उनके बारे में सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया । मेरी दृष्टि से दोनों बातें बजट के सम्बन्ध में साधार नहीं हैं । चाहे यह कहा जाय कि इसमें जो पूंजी व्यय है उसका अलग हिसाब हो कि यह जो वर्तमान बजट है इसी में कोई सफाई ला दी जाय । माननीय नारायण दत्त जी का कथन इसी पर केन्द्रित था कि बजट स्पष्ट नहीं है, विशद नहीं है और उसमें तथ्य छिपे हुये हैं ।

सरकार का कहना है कि बजट स्पष्ट है और उसमें कोई तथ्य छिपे हुये नहीं हैं । परन्तु मेरा यह दृष्टिकोण नहीं है, मेरा दृष्टिकोण यह है कि यह बजट सही रूप में बजट है ही नहीं । बजट में कोई उत्पादक और अनुत्पादक का झगड़ा नहीं है बल्कि झगड़ा यह है कि किसी सूबे का बजट कैसे बने और उसकी टैक्नीक कैसी हो । इन दो बातों से बजट बनता है, हमें देखना चाहिये कि स्टैंडर्ड आफ प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड आफ कन्जम्पशन कैसा है, यानी हमें उत्पादन स्तर और उपभोक्ता स्तर देखना चाहिये कि वह कैसा है क्योंकि

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

जितना उत्पादन हम करेंगे, जो हमारी आय होगी या जो हमारी क्षमता होगी उसी के मुताबिक हम अपना बजट खपत का निर्माण कर सकेंगे। उदाहरण के लिये, मान लिया जाय कि हमें किसी विधायक के घर का बजट बनाना है, तो जब हम उसके घर का बजट बनायेंगे वह किसी मंत्री के घर के बजट से भिन्न होगा, उसके अलग-अलग भाग होंगे—उसका नित्य का व्यय जैसे वस्त्र, खाना-पीना आदि और दूसरे उसका सांस्कृतिक व्यय जैसे भवन, आमोद-प्रमोद के साधन, शिक्षा-दीक्षा वगैरह। तीसरा है पूंजी व्यय। उस आमदनी के अलावा भी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये जो कर्ज लेकर खर्च करेगा। ये तीन प्रकार के व्यय के स्वरूप हैं। जो कम पैसे वाले मुल्क होते हैं जिनके पास कम आमदनी होती है उनका सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है वह नैत्यिक व्यय पर होता है। अगर ज्यादा खर्चा नैत्यिक व्यय पर होता है तो समझ लीजिये कि गरीब मुल्क है। जब सांस्कृतिक व्यय पर खर्चा होता है और नैत्यिक व्यय भी पूरा हो जाय तब समझिये कि कुछ समृद्धि है और पूंजी व्यय विकासशील गति का द्योतक है। अगर कोई विधायक २०० रु० जिसको तनख्वाह है, सब खाने पर खर्च करे और माननीय बहुगुणा जी जैसे व्यक्ति डींग हांकें कि खाना, कपड़ा और भवन ये सब चीजें उत्पादक में आ जाती हैं और यह उत्पादक बजट हैं, तो यह कहां तक उचित है? उनके यह समझ में नहीं आता कि उत्पादक बजट का मतलब यह है कि ऐसा इनवेस्टमेंट करना जिससे शीघ्र ही या कुछ समय बाद कोई रिटर्न मिले। उनकी दृष्टि में खाना और कपड़ा आदि सब उत्पादक हैं तो नैत्यिक व्यय या अनरिटर्न वाला व्यय तो कोई रह ही नहीं जायगा। सारे खर्च खाना-पीना, कपड़ा, आमोद-प्रमोद, सड़कें, मकान उत्पादक व्यय में ही आ जायंगे। ऐसी बुद्धि वालों के लिये तो कुछ कहना नहीं है। लेकिन गम्भीरता-पूर्वक इसको देखा जाय तो इतना जरूर कहूंगा कि खाने-पीने पर कोई विधायक २०० रु० खर्च कर दे और १००-५० रु० और लेकर अच्छा मकान बनाने की फिक्र में हो जाय तो उससे क्या होगा। श्रीमन्, देश बहुत गरीब है। हमारी आमदनी जो १३१ करोड़ रुपये की है उसे कैसे खर्च किया जाय, यह सोचना पड़ेगा। लेकिन बहुगुणा जी अमेरिका का स्वप्न देखते हैं जहां स्टैंडर्ड आफ प्रोडक्शन बहुत ऊंचा है। वहां साधारण व्यक्ति की आमदनी ७-८ रुपये रोज है जब कि हमारे यहां ८ आने हैं। कल्पना करते हैं अमेरिका की और बजट बनाना है उत्तर प्रदेश का जिसकी आमदनी कुल १३१ करोड़ है। हमारी प्रदेशीय सरकार के दिमाग में यह बात नहीं घुस पा रही है कि स्टैंडर्ड आफ प्रोडक्शन और स्टैंडर्ड आफ कन्जम्प्शन में संतुलन होना चाहिए।

अब एक मंत्री का बजट ले लीजिए जिसकी तनख्वाह १,२०० रु० है और इसके अलावा आने-जाने के साधन और सुसज्जित भवन आदि हैं। हो सकता है कि उनके यहां आमोद-प्रमोद के साधन दूसरे हों। रेडियो की जगह टेलीविजन हो सकता है। तो स्टैंडर्ड आफ कन्जम्पशन, स्टैंडर्ड आफ प्रोडक्शन के हिसाब से सब जगह घटता बढ़ता है। इस तरह के संतुलन से जो बजट बनता है उसे हम नियोजित बजट कह सकते हैं।

अब वर्तमान बजट में देखें तो बहुत साधारण सी बातों पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है जिनसे कोई रिटर्न नहीं होता है। हरिद्वार में पांच लाख से दो पुल बनेंगे—जब कि एक पुल वहां पहले से मौजूद है। अगर हमारे देश में समृद्धि होती तब तो ठीक था। या रेवेन्यू एकाउन्ट से करते तब भी कोई परेशानी नहीं थी लेकिन कर्ज लेकर पुल बनाने से, जिसका कोई रिटर्न नहीं होगा, क्या लाभ होगा? जो पहले मैंने मापदंड रखा था उससे मालूम हो जाता है कि ३५ प्रतिशत बजट का नौकरों की तनख्वाहों पर खर्च होता है। जिस देश में अधिक नैत्यिक कामों पर खर्च होता हो उसका मतलब यह है कि वह देश तथा सरकार बहुत गरीब है। स्टैंडर्ड आफ कन्जम्पशन और स्टैंडर्ड आफ प्रोडक्शन आपके यहां का क्या है, यह मैं बता चुका हूं। बार-बार दोहराने से सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। हाल यह है कि १३१ करोड़ रुपये से ज्यादा आमदनी बढ़ नहीं सकती क्योंकि अब आगे टैक्स लग नहीं सकते, वैसे ही जनता टैक्सों के बोझ से पहले

से ही बची हुई है और सरकार की टैक्स बढ़ाने की अब हिम्मत नहीं है । तो स्टैन्डर्ड आफ प्रोडेक्शन हमारे सामने है । ३५ परसेंट राज कर्मचारियों पर खर्चा होता है अब इसके बाद के बजट को कैसे खर्च करें ? तो यह उद्देश्य हमारे सामने होना चाहिये । भवन बनाने या आमोद-प्रमोद के साधनों पर रुपया खर्च किया जाता है तो इनसे तो कोई रिटर्न होने का नहीं और अन्य तमाम अच्छे काम जो संतुलित अर्थ-व्यवस्था में होने चाहिये वह नहीं हो पायेंगे ।

बजट के पृष्ठ ५२० पर निर्माण-कार्य हैं जो पूंजी से किये जायं ; उनमें से एक करोड़ रुपये से ज्यादा के काम ऐसे हैं जिनसे कोई रिटर्न नहीं होना है । अगर ऐसे पया खर्च किया जायगा तो प्रदेश का अहित होगा । १२ करोड़ रुपया नागरिक निर्माण कार्यों के लिये खर्च किया जायगा जो राजस्व से नहीं बल्कि उधार लेकर किये जायंगे । नहरों का यह हाल है कि यमुना नहर ५६ मील शीर्ष से बनेगी जिस पर २२ लाख रुपया खर्च होना है । अब सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था के डींग हांकने वालों से पूछा जाय कि क्या वह अब तक यह पता लगा सके कि कितने हिस्से में प्रदेश के, आप पानी पहुंचाना चाहते हैं, कितना पानी आपके पास है सब-सायल वाटर मिला करके, किन साधनों का उपयोग करके आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं ? कोई ऐसी योजना सरकार के पास नहीं है। कोई सर्वे नहीं किया गया कि ४ करोड़ १८ लाख एकड़ भूमि को किस प्रकार सींचेंगे, इसका कोई हिसाब नहीं है । हमने देखा है कि सरकार के दिमाग में कोई कल्पना आयी कि अब तो नहर और पानी बढ़ा दें और रामगंगा का बांध बना दें तो पानी बढ़ जायगा या शारदा नहर में पानी बढ़ा दें अक्सर नहरों को चौड़ा किया जाता है, पुल तोड़ दिये जाते हैं और फिर बनाये जाते हैं । अभी एक योजना बनी कि लोअर गंगा नहर को इलाहाबाद तक पहुंचायेंगे लेकिन अब योजना बनायी जायगी कि इलाहाबाद से भी आगे उसको ले जायंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि नहर फिर चौड़ी की जायेगी, पुल तोड़ कर फिर बनाये जायंगे । तो मेरा मतलब कहने का है कि कोई सुनियोजित योजना नहीं है । जब जैसी कल्पना दिमाग में आयी, बिना सोचे-समझे काम कर दिया ।

आप मुझे क्षमा करें कहने के लिये कि जब कभी किसी कांग्रेसी सदस्य के क्षेत्र में किसी काम के विस्तार की जरूरत हुई तो उसी के अनुसार योजना बन जाती है और जब विरोधी दल के किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र का प्रश्न आता है तो अगर योजना बनती भी हो तो बन्द कर दी जायेगी । मैंने तो १९५७ में ही कह दिया था कि हमारे क्षेत्र में सरकार कोई उन्नति के काम नहीं करेगी । मैंने कहा था कि अगर १५ मील लम्बी नहर बन जाय तो कम से कम जो लगातार अकाल और सूखे से ग्रस्त यमुना व सुनाव नाले के बीच का इलाका है वह ठीक हो जाय । यूबवेल सफल नहीं हुए । इसलिए नहर के अलावा कोई साधन नहीं है, लेकिन सरकार ने कह दिया कि पानी नहीं है ।

शारदा नहर एक जगह ७० मील बनायी गयी । रेलवे का पुल बीच में बनाना था जो नहीं बन सका और उस पर कैपिटल ब्लाक पड़ा हुआ है और पुल आज तक नहीं बन सका है । इस तरह से न नहर काम कर रही है और न पैसे की बचत हुई या उपयोग हुआ । तो नतीजा यह होता है कि जब स्टैंडर्ड आफ प्रोडेक्शन और स्टैंडर्ड आफ कंजम्पशन में फर्क पड़ जायगा तो दो तरह के आदमी हो जायेंगे । माननीय मंत्रियों का स्टैंडर्ड आफ कंजम्पशन बहुत ऊंचा है । उनके सामने ठाट-बाट, शान-शौकत और रुआब का प्रश्न आ जाता है । वे देखेंगे कि हम साधारण आदमी की तरह से तो नहीं हो गये हैं । ये सब घटनायें घटती क्यों हैं ? इसलिये कि बजट असंतुलित है ।

मैं दिल्ली गया था । माननीय कमलापति त्रिपाठी के खिलाफ पिटीशन दाखिल कर रखा था, उसकी सुनवाई थी । प्रदेश के एडवोकेट जनरल भी गये थे । सरकारी कार, साज व सज्जा भी गयी थी । सरकारी चपरासी भी गया था । दिल्ली में इसकी बड़ी चर्चा थी कि सरकारी साधनों

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

का उपयोग व्यक्तिगत कामों में क्यों उत्तर प्रदेश के मंत्री करते हैं। पिटीशन कमलापति एम० एल० ए० के खिलाफ था न कि मिनिस्टर के खिलाफ। सरकारी एडवोकेट जनरल के साथ सरकारी साज-सामान था, इसलिये कि कहीं वे साधारण वकील न समझ लिये जायें। इसलिये उन्होंने सोचा कि जो साज व सज्जा उनके साथ आई है, वहां वह उनके पीछे लगी रहनी चाहिये। मंत्रीगण के लिये इस तरह से सब साधन उपलब्ध हैं। उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा हो और एक हम हैं जो चार दिन लखनऊ से बाहर दिल्ली में साधारण व्यक्ति की तरह रह कर मुकदमे की पैरवी किये। इस तरह से स्टैंडर्ड आफ प्रोडेक्शन और स्टैंडर्ड आफ कन्जम्पशन में फर्क हो गया है जिससे इतना नैतिक पतन हो गया है और सारी सामाजिक व्यवस्था में गड़बड़ी हो गई है और समाज के अन्दर एक विषमता छाई हुई है, इसका कारण यह है कि आय-व्यय में संतुलन नहीं है। यही हमें कहना है।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्तुत बजट में जो सबसे ज्यादा प्रिय और लाभप्रद योजना हमारे सामने आई है वह है एन०सी०सी० योजना का भारत सरकार द्वारा चलाना और हमारी प्रान्तीय सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कुछ कर्मचारियों को स्थायी करना।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात निर्विवाद है कि आज हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिये विशेष ध्यान देना ही चाहिये और वह इसलिये कि आज हमारे राष्ट्र के सामने न केवल यह प्रश्न है कि हम अपने राष्ट्र को या अपने समाज को किस तरह से आगे बढ़ायें और किस प्रकार से इसकी निर्धनता को दूर करें, बल्कि उससे ज्यादा मुख्य प्रश्न यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता को किस प्रकार से सुरक्षित रखें। मान्यवर, न केवल हमारे राष्ट्र को उत्तर की ओर से हमारे मित्र राष्ट्र-चीन का खतरा हमारे सामने है बल्कि दक्षिण में पुर्तगाल ने हमारे राष्ट्र के छोटे से हिस्से पर अनधिकृतरूप से कब्जा कर रखा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र के पश्चिम में हमारे ही दोस्तों या हमारे ही साथियों द्वारा बनाया हुआ पाकिस्तान भी आज इस बात का द्योतक है कि उससे हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं चल रहे हैं। न केवल पश्चिम की ही ओर, यदि हम राष्ट्र के पूर्व की ओर देखें तो उधर भी आसाम के नागाओं से एक प्रकार का मतभेद सा चल रहा है। यह ठीक है कि एक समझौता उनसे हुआ है लेकिन उसको भी हम स्थायी नहीं मान सकते। इसलिये यह समयानुकूल कदम है और इसके लिये जितनी भी बधाई दी जाय, वह कम है। अध्यक्ष महोदय, इसका यह अर्थ नहीं है कि अगर हम अपने राष्ट्र को मजबूत करते हैं तो हम अपनी मौलिक नीति, जो स्वावलम्बन की है, उससे कहीं दूर जाते हैं। मान्यवर, इस महान युग के महान निर्माता और अहिंसा के अभूतपूर्व उपासक, पूज्य बापू, ने भी स्पष्ट कहा है कि मेरी अहिंसा किसी को कायर बनना नहीं सिखाती। तो इसका अर्थ हर्गिज यह नहीं है कि अगर हम अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिये कोई कदम उठाते हैं तो हम अपनी मौलिक नीति से कहीं दूर जाते हैं। इतना ही नहीं, न केवल महात्मा गांधी ने बल्कि उनसे पूर्व जो हमारे राष्ट्र के बड़े बड़े लोग हुये हैं उन्होंने भी राष्ट्र को मजबूत रखने के लिये, शारीरिक बल को मजबूत बनाने के लिये इस ओर समय-समय पर ध्यान दिया है जिनमें महर्षि दयानन्द, गुरु गोविन्द सिंह, महन्त रामदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। न केवल इससे राष्ट्र मजबूत होगा बल्कि मेरा तो ऐसा विश्वास है कि हमारी इस योजना से हमारे भावी समाज में एक अनुशासन आयेगा जिसका आज हम अभाव पाते हैं और हमारे उन छात्रों में जिनके मस्तिष्क में आज विधि और विधान के लिये स्थान नहीं रह गया है उनसे यह आशा की जाती है कि वे अनुशासित होंगे और विधि और विधान के प्रति उनके मस्तिष्क में एक मान पैदा होगा। इस सिलसिले में इतना मैं निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि इन होनहार नवयुवकों को प्रशिक्षित करने के लिये सेना के प्रथम श्रेणी के अधिकारी रखे जायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और उनके चरित्र और प्रशिक्षण का हमारी भावी सन्तानों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वाद विवाद के उद्घाटनकर्ता माननीय तिवारी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और वह इसलिये कि उन्होंने शासकीय दल की सभी नीतियों का करीब-करीब समर्थन किया है, केवल नीति संचालन में कुछ त्रुटियां उनको जरूर दिखायी दीं। वे मुझसे सहमत हों या न हों, लेकिन यह हो सकता है कि उनका यह विचार कुछ भ्रम पर भी आधारित हो। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी हम अपने यहां मृत्यु संख्या को कम नहीं कर सके हैं। इसका अर्थ यों लगाया जाय तो मैं समझता हूं कि गलत नहीं होगा कि हमने अपने यहां के लोगों की अवस्था को नहीं बढ़ाया है। मेरे सामने एक आंकड़ों की पुस्तिका है। इससे स्पष्ट है कि सन् १९५३ में हमारे यहां मरने वालों का जहां ऐवरेज १०.८८ या वहां सन् १९५७ में वह केवल ८.४६ रह गया। न केवल यह, बल्कि आज एक बड़ी समस्या हमारी बढ़ती हुई आबादी की है। उसको रोकने के लिये जो इस सरकार की संतति निग्रह योजना है, यदि हम इन आंकड़ों को देखें तो उसमें भी सरकार को सफलता मिली है। उदाहरण के लिये, सन् १९५३ में १ हजार व्यक्तियों के पीछे वार्षिक जन्म की जो दर थी वह १९५३ में १७.२८ थी और १९५७ में आकर १४.८ रह गयी है। इसलिये यह स्पष्ट है कि इधर मरने वालों की संख्या कम हुई है जिससे निष्कर्ष यह निकलता है कि अवस्था बढ़ी है। दूसरी ओर बढ़ती हुई आबादी को रोकने का जो प्रयत्न हुआ है उसका भी फल हमारे सामने स्पष्ट है।

मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर तीन चार बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूं। पहली बात मुझे यह निवेदन करनी है कि मेरा यह निश्चित मत है कि समाज के असंतोष को मिटाने के लिये, आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिये, हमें सहकारिता का सहारा लेना पड़ेगा। पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिये और साम्यवादी व्यवस्था से बचने के लिये ठीक-ठीक समाजवाद लाने के लिये यदि कोई मार्ग हो सकता है तो वह सहकारिता हो सकती है। सहकारिता आन्दोलन पर जितना ध्यान सरकार को देना चाहिये उतना ध्यान वह नहीं दे रही है। सहकारिता को जन आन्दोलन बना कर जनता के मस्तिष्क में इसकी अहमियत और महत्व को बिठा कर तब हम अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। जो वर्तमान आर्थिक बिषमता है उसको तभी मिटा सकते हैं। इसके अतरिक्त जो कार्य इस व्यवस्था द्वारा हुआ है उसको मैं काफी नहीं समझता। वैसे सहकारिता क्षेत्र में सेवा सहकारिता समितियां और दूसरी सहकारी समितियां बढ़ी हैं। मजदूरों की भी सहकारी समितियां बढ़ी हैं। मैंने मजदूरों की सहकारी समितियां बना कर ठेकेदारों का स्थान उनको दिलाने का प्रयत्न किया है। लेकिन जितनी कोशिश मैंने की है, अगर उतनी ही मदद सरकारी विभागों की मुझे मिलती, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलती।

मैं यह अनुभव करता हूं कि जो जिले का शासन है, जनतंत्र का पूरा-पूरा अंकुश उस पर नहीं है। जिला स्तर पर जो कमेटी बनी हुई है, वह परामर्शदात्री है और उसका कोई अंकुश जिले के अधिकारियों पर नहीं है। इसलिये मेरी यह मांग है कि इन समितियों को कुछ शक्ति दी जाय जिससे जनतंत्र के प्रति लोगों में आस्था बढ़े। इसके अतिरिक्त मैं सिंचाई विभाग के सिलसिले में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो ५० प्रतिशत छूट दी गयी है, उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन आज किसान को छूट की उतनी जरूरत नहीं है जितनी सिंचाई की है। इसलिये सिचाई के साधन बढ़ाने चाहियें। मान्यवर, गन्ना विकास के सिलसिले में मुझे इतना निवेदन करना है कि उस क्षेत्र में काफी काम हुआ है और सरकार ने गन्ना विकास क्षेत्रों के लिये १ करोड़ ५१ लाख की धनराशि रखी है। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि वहां ज्यादा रुपये की जरूरत है, सिंचाई के साधन बढ़ाने चाहियें, साथ ही गन्ना विकास परिषदों के अधिकारों को बढ़ाना चाहिये।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने प्रारंभिक भाषण में यह स्पष्ट कहा था कि जैसे जैसे विकास का कार्य बढ़ेगा वैसे वैसे सामाजिक और आर्थिक ढांचे में इम्बैलेंस आता जायगा। उसको रोकने का अगर प्रयास नहीं किया गया तो

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

उसका परिणाम यह भी हो सकता है कि आगे चल कर स्थिति भीषण हो जाय । उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि इस दृष्टि से हम लोग इस बजट को देखें । मैं उन्ही की तराजू पर उनका बजट इस सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

आर्थिक इम्बैलेंस आता है प्लानिंग-युग के अन्दर, यह वह स्वीकार करते हैं और उस इम्बैलेंस को रोकने के लिये क्या आवश्यक है, श्रीमन् ? एक ओर जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है वह रोकनी चाहिये, दूसरी ओर राज्यों की एक आदत-सी पड़ गई है कर्जा लेने की जिसके कारण इन्फ्लेशन और बढ़ता है, उसको भी रोकना चाहिये । इसी दृष्टि से इस सरकार का भी कदाचित्, मेरा खयाल है, ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ होगा । जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान की १९५७-५८ की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट रिजर्व बैंक ने जो बात कही है उसका उल्लेख किया गया है, और रिजर्व बैंक ने स्पष्ट कहा है कि प्रदेशीय सरकार को कर्ज के मार्केट में अब आना नहीं चाहिये । क्या अर्थ है इसका ? यही न कि आपने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया है कि जो आपका आर्थिक ढांचा है, जिसके बल पर आप उस कर्जे को निपटाना चाहते हैं, वह अब आगे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता । क्या इससे यह जो मूलभूत ढांचा है सारे देश का, सारी प्लानिंग का, सारी योजनाओं का, उसमें एक इम्बैलेंस आपने नहीं खड़ा कर दिया है ? आप कहते यह हैं कि हमको कर्जा मिलता है, यह इस बात का प्रमाण है, आप मान लेते हैं कि आपका फाइनेन्शल स्ट्रक्चर, आर्थिक ढांचा मजबूत है । अब मैं आपकी बात मानूं या रिजर्व बैंक की बात मानी जाय । रिजर्व बैंक ने आपके आर्थिक ढांचे का अध्ययन करके ही यह कहा है और वही इम्बैलेंस आपने जब अपनी नींव में खड़ा कर लिया तो क्या आश्चर्य है कि उस नींव पर आधारित बिल्डिंग भी टेढ़ी खड़ी न हो ? आपकी उस इम्बैलेंस्ड नींव के आधार पर निर्मित नीतियां स्पष्टतः टेढ़ी चलेंगी । उदाहरणार्थ, मंत्री महोदय ने बड़े जोरों के साथ अपने भाषण में कहा कि कैबिनेट हिन्दी में अब अपना सारा कार्य करेगी । मुझे बड़ा आश्चर्य है श्रीमन्, जब मैं यह पाता हूं कि सन् १९४७ में यह इस सदन के ही प्रस्ताव से तय हुआ था कि सारा कार्य हिन्दी में हो, फिर सन् १९५० में लैंग्वेज ऐक्ट भी पास हुआ और आज सन् १९६० है, तब आप बड़े गर्व से घोषणा करते हैं कि दस वर्ष पहले का पास किया हुआ कानून आप आज लागू कर देंगे । यह आपकी कौन-सी प्रगति है ? मैं तो समझता हूं कि इनके कार्य की प्रगति से और घोंघे की प्रगति से तुलना की जाय तो घोंघा भी इनसे आगे निकल जायगा । साथ ही जहां एक ओर आप स्पष्ट घोषणा करते हैं कि हिन्दी में कार्य करेंगे वहां फिर अपनी राजनीतिक लिप्सा को लेकर साम्प्रदायिकता को जगाते हैं । मैं आपके सामने इसी प्रान्त का उदाहरण दिये देता हूं । यह एक बार तय हो चुका था कि इस प्रान्त की भाषा हिन्दी होगी । फिर उर्दू को प्रोत्साहन देने का क्या अर्थ है ? उर्दू भाषा का ही प्रश्न लेकर क्या पाकिस्तान की नींव नहीं पड़ी थी ? उर्दू को ही भाषा का मापदंड देकर द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था या नहीं ? उर्दू भाषा के मापदंड को लेकर ही क्या एक अखंड देश का खंडन हुआ या नहीं ? उस भाषा के पीछे एक जबरदस्त साम्प्रदायिकता का भाव खड़ा हुआ है । आप आज साम्प्रदायिकता से डर कर उस भाव को प्रोत्साहन दे रहे हैं और यह आप निश्चित याद रखिये कि अगर आज आप एक इंच प्रोत्साहन देते हैं तो कल वही प्रोत्साहन आपके सिर पर खड़ा होकर नंगा नाच करेगा ।

उदाहरण के लिये केरल को ले लीजिये । जिस लीग को सब ने साम्प्रदायिक कहा, जिसने सारे देश का खंडन कराया उसी से आपने गांठ जोड़कर एलेक्शन जीतने का प्रयास किया और एलेक्शन जीतने के बाद अब आप कहते हैं कि तुमको सरकार में नहीं लेंगे। क्या सन् ११३७ में यही परिस्थिति इस प्रदेश में भी नहीं पैदा हुई थी जिसने आगे चलकर अपना उग्र रूप दिखलाया ? सन् १९३७ में यहां आप लीग से गठबंधन करके चुनाव जीते, उसके बाद उनको शासन में लेने से इन्कार किया । नतीजा क्या हुआ ? जो फ्रस्ट्रेशन खड़ा हुआ उससे कितना भीषण नरसंहार हुआ और फिर देश के दो टुकड़े हुये । क्या आपकी नीतियों का फल हुआ ? क्या आप कह सकते हैं कि आपकी नीति सही है ? आप कहते हैं कि नीयत हमारी अच्छी है । नीयत पर मैं कुछ नहीं

कहता। लेकिन आपकी नीति का जो प्रयोग हुआ उसका फल क्या हुआ? फल स्पष्ट है और वह अत्यन्त कटु भी है। खाली कुछ तारीफ करने से उस फल की कटुता को आप छिपा नहीं सकते।

श्रीमन्, थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर टैक्स क्यों लिया जाता है? टैक्स जब लिया जाता है तो समाज भी उससे अपेक्षा करता है कि उस टैक्स का उसको कुछ फल मिलना चाहिये। टैक्स आपने बढ़ा लिया, कर्जा आप लादते जाते हैं; लेकिन आपने उसके बदले में समाज को क्या दिया? कितना कुशल शासन है? (व्यवधान) बजट के पन्ने मैंने पढ़ लिये। लेकिन वह जरा सन्तुलन रखें। असन्तुलित बात तो कोई भी कह सकता है। ढोल गले में बांधकर यह कहते फिरना तो आसान है कि यही काला मंजन खरीदो, इसी से दांत के सब रोग दूर होंगे। इस तरह से घूमने वालों की कमी नहीं है।

आप शासन-व्यवस्था के एक-एक अंग को ले लें। पहले सेफ्टी, सिक्योरिटी को ले लें क्योंकि अन्त में देखा जाय तो समाज का मूलभूत आधार उसकी सुरक्षा पर है। वाह्य सुरक्षा की ओर देखें। बराबर इस सदन के बाहर भी, जितने भी जनतंत्र के समर्थक, हैं उन सब इस सरकार का ध्यान विदेशी चीन के आक्रमण की ओर आकृष्ट किया है। इस सदन में भी उस पर बहस हुई है। सभी कहते हैं कि सीमा की सुरक्षा के लिये जितने भी धन की आवश्यकता हो आप बजट से लें। उसके लिए हम लोग कोई आपत्ति नहीं करेंगे। उस सुरक्षा की दृष्टि से यह भी घोषणा हुई है कि we want a nation in arms। इसके लिये आपने क्या किया? केवल ६१ लाख रुपया सड़क बनाने के लिये रख दिया। सड़क बनाना तो आपकी पंचवर्षीय योजना में भी है और क्या केवल सड़क बना कर ही सुरक्षा हो जायगी? सुरक्षा तो एक ऐसा विषय है जिसके अन्दर सारी बातें आती हैं, मिलिटरी ट्रेनिंग आती है, मिलिटरी एस्टैब्लिशमेंट आता है, सैनिक शस्त्रास्त्र के निर्माण की बात आती है, आर्थिक निर्माण की बात भी आती है और सब से बड़ी बात जो आती है वह यह है कि वहां के बसने वालों की आर्थिक उन्नति हो। वहां की इकोनामिक पोजीशन मजबूत हो, इस दृष्टि से आपने क्या कदम उठाया?

श्रीमन्, थोड़ा-सा कहा जाता है कि एन० सी० सी० योजना जो भारत सरकार ने रखी है उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या आपने बढ़ाया है? थोड़े से कैंडिडेट्स को लेफ्ट राइट कराकर, मार्चिंग कराकर, सैनिक शिक्षण नहीं दे सकते। यह कोई सैनिक शिक्षण नहीं है, न युद्ध-कला है। कम्पल्सरी मिलिटरी ट्रेनिंग की दृष्टि से आपने अब तक क्या कदम उठाये हैं? कहना पड़ेगा कि कोई कदम सरकार की ओर से उस दिशा में नहीं उठाया गया है। आज पी० ए० सी० का क्या काम रह गया है? उत्सवों के दिन मिनिस्टरों और आफिसरों को सलामी झाड़ना यह कोई सुरक्षा नहीं है। यह तो सुरक्षा का मखौल मात्र है। साधारण परेड तो मनुष्य के जीवन में अनुशासन लाने के लिये होती है। देश की रक्षा में उस अनुशासन से सहायता मिलती जरूर है लेकिन वह अनुशासन सम्पूर्ण सुरक्षा का स्वरूप नहीं हो सकता। तो वाह्य सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का प्रयास इस बजट में बिलकुल शून्य है।

आन्तरिक सुरक्षा, श्रीमन्, देखिए। पुलिस की स्थिति देखिए। जुर्म बढ़ते जाते हैं, हत्यायें बढ़ती जाती हैं और पुलिस अधिकारियों के द्वारा हत्यायें बढ़ती जाती हैं। मुझे श्रीमन्, अगर याद पड़ता है तो कल ही शायद गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि १६ हत्यायें पुलिस के द्वारा की गईं। हत्याओं की संख्या ४ थी, ८ थी और १६ थी। जो रक्षक बनाए गए वही भक्षक बन कर समाज का भक्षण करने लगें तो क्या यह सुरक्षा की स्थिति है? कत्ल बढ़ रहे हैं। रायबरेली के सम्बन्ध में मैं आपको बताऊं, वहां इतनी चोरियां हुई हैं कि जिनसे ऊब कर एक अभूतपूर्व हड़ताल नगर में हुई। उन चोरियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गये? सुरक्षा के लिये वह एक ही कार्य जानते हैं और वह है गोली चलाना। इलाहाबाद में गोलियां चलीं, कानपुर में गोली चली, बनारस में गोली चली। यहां तक कि जो सरस्वती का केन्द्र है विश्वविद्यालय, उसमें पी० ए० सी० बुलायी जाय, उसकी रक्षा पी० ए० सी० डंडे और गोलियों के बल पर क । यह सुरक्षा की स्थिति नहीं है, श्रीमन्, असुरक्षा की स्थिति है।

[राजा माधवेन्द्रदत्त दुबे]

अभी-अभी रिहैंड में भी गोलियां चली हैं। तो क्या गोलियों के बल पर किसी देश की सरकार सुरक्षा किया करती है? विदेशी शासन गोलियों के बल पर सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अपने देश का शासन ऐसा नहीं कर सकता। दमन कर सकते हैं आप लेकिन यह अग्नि जब नीचे जायगी तो अत्यन्त भीषण हो जायगी और उसका विस्फोट भी अत्यन्त भीषण होगा। बार-बार कहा गया कि बहुत से स्थान तो ऐसे थे कि जहां पुलिस की गोलियों का कारण केवल अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था। तो कैसे प्रदेश के लोग मानें कि सुरक्षा में यह सरकार सफल है? यह हम मानते हैं कि पुलिस के लिये पैसा खर्च करने की जरूरत है लेकिन क्या उस पैसे का उचित लाभ और उचित उपयोग समाज को मिल रहा है? इस बात पर कहना पड़ता है कि नहीं मिल रहा है।

दूसरी बात आप शिक्षा के विषय में देखें। जो मुख्य उत्तरदायित्व स्टेट का होता है वह शिक्षा होती है और उसका अर्थ है कि सरकार, समाज के लोगों को शिक्षित करे। शिक्षा पाने का हरएक बालिग का जन्मसिद्ध अधिकार है लेकिन उस शिक्षा का एक दृष्टिकोण होना चाहिये। आज इस शिक्षा को दो रूप से देखा जाय। शिक्षा का सिस्टम और उसके कन्टेन्ट्स। स्वयं मुझे याद पड़ता है, पिछली बार शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है वह दूषित है। उसके कारण उस पद्धति से निर्मित लोगों का दृष्टिकोण गलत होता है और उस गलत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप आज विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता दिखाई पड़ती है। शिक्षक भी अनुशासनहीन हो गये हैं और वही दशा वहां भी दिखाई पड़ती है।

कन्टेन्ट्स को भी आप देख लें। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को आप देख लें, और कल ही मैंने अखबारों में पढ़ा कि जो उत्तर पब्लिक सर्विस कमीशन में लोगों ने दिये वह आश्चर्यजनक हैं। एक विद्यार्थी से पूछा गया कि "आइने अकबरी" क्या है? तो उस ने बतलाया कि अकबर का शासन। एक प्रेजुएट आइने अकबरी को अकबर का शासन बतलाता है, तो मैं उस विद्यार्थी को क्या कहूं। आज जो शिक्षा का कन्टेन्ट है वह इस प्रकार का है कि उससे सारे समाज का जीवन चौपट हो रहा है। आप इस बात को भी देख लें कि आज जितने कम्पटीशन हो रहे हैं उसमें सब जगह के लोग आ रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का कन्टेन्ट्स गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है, श्रीमन्? इसको सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी सरकार कान में तेल डालकर बैठी है।

मैं तीसरा उदाहरण देता हूं न्याय के बारे में। मुझे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, यह ला कमीशन की रिपोर्ट भारत सरकार की है। इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में जो रिपोर्ट दी गयी है उसका कुछ अंश मैं आप की आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं:

"*Executive interference in the promotion of Civil and Sessions Judges.*

We think it necessary to call attention to an important matter with regard to the promotion of judicial officers. It appears that some time ago the High Court recommended the promotion of certain Civil and Sessions Judges for the grade of District and Sessions Judges and at the same time pointed out that the case of three particular officers had to be kept over for consideration. These three officers had not sufficient experience of criminal work, having been taken out of regular judicial work and employed in the Secretariat, for a number of years. It was, therefore, stated that their capacity in this regard could not be assessed and their fitness for promotion determined. But, nevertheless, these officers were promoted. This is far from satisfactory and tending as it does to transfer the allegiance of judicial officers from the High Court to the Secretariat deserves to be deprecated. We have earlier made appropriate recommendation to prevent such contingencies."

इसका क्या अर्थ है ? जिस प्रान्त के Judges का विश्वास सेक्रेटेरियट पर है कि वहां की एक्जिक्यूटिव से जन समाज को न्याय मिल सकता है, वहां जिनको काम का अनुभव नहीं है उन जजों के हाथ में लोगों के जीवन का फैसला देने का अर्थ क्या हुआ ? हो सकता है कि बहुत से लोग जो दोषी न हों परन्तु उनकी दृष्टि में दंडित हो जायं और उनको फांसी भी हो सकती है ।

श्रीमन्, तीसरी चीज आप देखें कि इस न्याय की हालत क्या है ? मुकदमों में कितना बैकलाग्स दिखाई पड़ता है । इस तरह के केसेज हैं जो १४, १५ वर्ष से अभी तक पड़े हुए हैं और उनका फैसला नहीं हुआ । बैकलाग्स क्यों है उसके ऊपर भी कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि आवश्यक मात्रा में जितने जजेज चाहिये, उतने नहीं हैं और उस ओर सरकार ने क्या ध्यान दिया है ? इसके विषय में जो यह सिद्धान्त है कि justice delayed is justice denied, न्याय में देर होगी तो उसमें उनको न्याय नहीं मिलता है । १४, १५ वर्ष से लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है । उस देर का कारण आप स्वयं हैं । यदि राज्य चाहता है कि लोगों को जल्दी न्याय मिले तो उसके लिये जो आवश्यक जजों की संख्या हो वह नियुक्त हो । उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । उसके विपरीत जहां इतनी कमी है जुडिशियल आफिसरों की तो आप सेक्रेटेरिएट में उन्हें क्यों बुलाते हैं ? यह जो न्याय में देर हो रही है इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है । इस देर को मिटाने के लिये, उसके दुष्परिणाम को रोकने के लिये, जिस मात्रा में जजेज चाहिये थे, उसका प्रबन्ध सरकार ने नहीं किया ।

यह सरकार बड़ा हल्ला करती है कि हम ने सेपरेशन आफ एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी कर दिया । लेकिन इसके लिये ला कमीशन क्या कहता है, वह भी आप सुन लें । उसका कहना है:

"It is evident that all that has happened in these so-called separation districts is that the trial work is no longer in the hands of the same officers who have executive duties. The High Court has no control, whatsoever, over these Judicial Officers. They continue to be under the Executive Government ; and the Commissioner of the Division—an executive officer. It is thus clear that the system as it prevails in this State, while it may be step towards separation, is not real separation for it lacks the essential feature of separation, which is a criminal judiciary independent of executive control." (pp.180, para. 36).

अब श्रीमन्, देखें कि यह सेपरेशन तो केवल शाब्दिक है, व्यावहारिक नहीं ।

चौथी बात श्रीमन्, आप देखें कि न्याय बहुत मंहगा हो गया है । न्याय कहीं बेचा नहीं जाता और जिस राज्य में न्याय बेचा गया और उसे बेचने के बाद उससे मुनाफा कमाया गया तो वह न्याय, न्याय नहीं है । जस्टिस की मद में आप पायेंगे कि स्टाम्प से मुनाफा हुआ । आज अगर गरीब आदमी पर न्याय किया जाता है और उसके पास पैसा नहीं है तो वह न्याय नहीं पा सकता । तो यह दो क्लास है । पैसे वाले को सारा न्याय मिल सकता है और जो पैसे वाला नहीं है उसे कुछ भी न्याय नहीं मिल सकता है । तो यह हमारी जुडिशिरी की हालत है ।

श्रीमन्, स्वास्थ्य की ओर देखें । सरकारों का अधिकार है और कर्त्तव्य है कि लोगों को पूर्ण स्वस्थ रखा जाय । अभी-अभी स्वास्थ्य के बारे में सुन रहा था कि सब से बड़ी बात यह है कि बच्चे पैदा कम किये जायं । मैं इसके लिये सरकार को बधाई दूंगा । अगर दूसरे शब्दों में इसे कहा जाय तो यह होगा कि भ्रूण हत्यारा बधाई का पात्र है और इसलिये सरकार को बधाई मिलनी चाहिये । श्रीमन्, आप देखें आज के ही अखबार में है कि अगर सारे देश के डाक्टरों, वैद्य और हकीमों को बांट दिया जाय तो सब को लेकर ५०,००० आदमियों के ऊपर शायद एक पड़ता है । १२ वर्ष के अपने राज्य काल में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

केवल अस्पताल खोल दिये हैं और वहां दवायें रख दी हैं, लेकिन डाक्टरों का पता नहीं और मंत्री महोदय ने इस सदन में यह स्वीकार किया है कि इस सूबे में बहुत से अस्पताल ऐसे हैं कि जहां डाक्टर नहीं हैं और बहुत से अस्पताल ऐसे हैं कि जहां डाक्टर हैं और दवायें नहीं हैं। यह अनबैलेंस है इसमें। जनता के जीवन स्तर का निर्माण करने की ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बड़ा हल्ला किया जाता है स्लम्स क्लियर करने के लिये। जितने "ए" क्लास सिटीज हैं वे पहले काफी साफ थे लेकिन अब वे स्लम्स बनते जा रहे हैं। उदाहरण के लिये, लखनऊ में ही देखिये। बनारसीबाग के पास जो नाला था वह पहले काफी साफ रहा करता था। जब से यह विकास प्रदर्शनी वहां बनायी गयी है वह अत्याधिक गंदा हो गया है और वहां स्लम्स बनता जा रहा है। इसको साफ करने की कोई कोशिश नहीं होती।

इंडस्ट्रीज के लिये बड़ा हल्ला किया जाता है कि उद्योग बढ़ाये गये। क्या बढ़ाये गये? केवल जे० के० रेयन मिल खोली गयी और एक साहू सोडा ऐश फैक्ट्री कायम हुई है। इस प्रदेश की सरकार ने क्या किया? प्राइवेट लोगों ने तरक्की की, वे बढ़े हैं। आपने केवल चर्खा फैक्टरी को बढ़ाया है, कुछ प्रेसीजन इंडस्ट्रमेंट फैक्टरी को बढ़ाया है, यह बात देख कर मुझे एक कहावत याद आयी कि "मेरे बाप ने घी खाया और मेरा हाथ सूंघ लो, अब भी महक रहा है"। इस सरकार के प्रयास से क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इसका कहीं वर्णन नहीं है। देश की बेकारी रोकने के लिये एक ही मार्ग था कि कुटीरोद्योग का प्रचार होना चाहिये और उसका बेसिस पावर होना चाहिए था। पावर और कुटीर-उद्योग के सम्बन्ध में सरकार ने कोई पग नहीं उठाया। केवल जो पहले हो चुका है उसी का गुणगान करते रहे। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस स्वयं कुछ नहीं की। आपने लुई केराल का एक नावेल पढ़ा होगा---"ऐलिस इन दि वंडरलैंड"। उसका एक कैरेक्टर है "मैड हैटर"। वह तश्तरी में बैठकर वहीं डंडा हिलाते रहते हैं और कहते यह हैं कि हमने सारे समुद्रों को तैर डाला। यही सरकार कहती है कि यहीं बैठे-बैठे हम ने सब कुछ कर डाला।

प्रशासन के सम्बन्ध में अब मुझे कुछ नहीं कहना है। क्योंकि मुझसे ज्यादा अच्छा, ज्यादा प्रमाणिक तौर से शायद कल ही इस सदन की माननीया सदस्या ने कहा है कि यह प्रशासन केवल एक पार्टी के लिए, एक गुट के लिये रन हो रहा है। परन्तु एक बात कहनी है कि जिन-जिन महानुभावों को इस बात का व्यक्तिशः अनुभव हो, या दूसरे सोर्स से अनुभव हो, आज जिम्मेदारी का मांग हो रही है कि वह स्पष्ट खड़े हो कर इस प्रशासन को हटाने का प्रयत्न करें---अगर यह ग़लत है और एक पार्टी के हित के लिये रन किया जा रहा है---इससे ज्यादा मैं इस विषय पर कुछ कहूंगा ही नहीं।

श्रीमन्, एक चीज मुझे और बड़ी आश्चर्यजनक लगी। इस देश की सारी योजना, निर्माण कोही, तो प्लानिंग कमीशन मौजूद है। सब प्रकार के आंकड़े प्लानिंग कमीशन को जाते हैं। वह उसके आधार पर एक इंटिग्रेटेड प्लान बनाकर सरकार को देते हैं और इनके पास भी उस योजना के भिन्न-भिन्न आइटम्स को सफलरूपेण चलाने के लिए भिन्न-भिन्न डिपार्टमेन्ट्स हैं। तो फिर यह बीच में उन्होंने क्यों एक प्लानिंग कमीशन बना कर बैठाला? क्या आवश्यकता है इनको इस प्लानिंग कमेटी की? इंटीग्रेटेड प्लान वहां से आ रहा है। उसका सारा मैटिरियल फीड करने के लिये भिन्न-भिन्न डिपार्टमेंट मौजूद हैं, एग्जिक्यूट करने के लिये भी डिपार्टमेंट मौजूद है, कोआर्डिनेशन के लिए इतना बड़ा मंत्रिमंडल मौजूद है। इतने बुद्धिमान मंत्री हैं, क्या ये कोआर्डिनेट नहीं कर सकते? क्यों इसके लिए एक हाई पेड फिजूल खर्ची प्लानिंग कमेटी या प्लानिंग कमीशन के नाम पर खड़ी की जाय, यह समझ में नहीं आया। प्रशासन का अर्थ होता है कि मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम एक्सपेंडीचर और उससे ज्यादा से ज्यादा समाज को लाभ होना चाहिये। परन्तु व्यर्थ की एक डुप्लीकेटिंग मैशीनरी क्यों खड़ी की गयी है? आज उसका नतीजा यह है कि इस डुप्लीकेशन की बाटिल नेक्स खड़ी हैं सब तरफ। प्रांत में कहीं अगर डिस्पेंसरीज स्थापित होनी हैं तो उसके लिये मेडिकल विभाग

मौजूद है। अगर एक्सपेरिमेंटल फार्म या हार्टिकल्चरल फार्म खोलना है तो उसके लिए ऐग्रिकल्चर डिपार्टमेंट मौजूद है, वह बता सकता है, लेकिन विशेष आई० सी० एस० अफसरान जिनको कि मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के बकिंघम हैं, उनको यह सरकार तुष्ट रखना चाहती है, उनको लियाजां आफिसर्स बनाया जाता है या और अफसरान जब छुट्टी पर चले जाते हैं तो उनको फिर से रखने के लिये नये रास्ते खुल जाते हैं। क्या ऐसे प्रशासन की प्रशंसा की जा सकती है ? मैं कहता हूं कि यह कभी भी प्रशंसा के योग्य नहीं है।

अभी आप देखिये, सूचना विभाग खोल रखा है। क्या काम है उसका ? मैं तीन वर्ष से देखता आ रहा हूं। एक ही काम है---मंत्रियों का फ़ोटो छापना और श्रमदान के दिन उनके हाथ में फावड़ा थमा देना और विशेष पोज में छापना कि मंत्री महोदय श्रमदान कर रहे हैं, या कांग्रेस का प्रचार करना, या मंत्रियों के भाषण छापना और इतने के लिये करोड़ों रुपया आप इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट पर खर्च कर रहे हैं। (व्यवधान) जोर से बोलें, यह क्या मुन्न-मुन्न करते हैं ?

एक सदस्य---आपका भाषण भी छाप दिया जाता है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---मेरा भाषण छपता है तो उससे क्या ? 'You are jealous like a woman' आपका विभाग और करता क्या है ? वह सब्सिडाइज करता है प्रेस और जर्नलिस्ट्स को। इस तरह से जर्नलिज्म और प्रेस को सब्सीडाइज करके आप स्वस्थ जर्नलिज्म की परम्परा को कायम नहीं रख सकते। मेरा यह स्पष्ट आरोप इस सरकार के ऊपर है कि यू० पी० सी० सी० की जो मैगजीन्स निकलती हैं उनके अन्दर जो लेख निकलते हैं वे सभी सूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा लिखे हुये होते हैं। उनके द्वारा राज्य के कार्यों का प्रचार नहीं हो रहा है, उनकी पार्टी का प्रचार हो रहा है। केरल में कम्यनिस्ट पार्टी अपने दलहित के लिये जो कर रही थी वही यह लोग भी कर रहे हैं। आखिर, प्रेस को सब्सीडाइज करने के क्या माने हैं ? यही माने हैं, श्रीमन्, कि प्रेस उनकी गलतियों को छाप न सके।

अब श्रीमन्, खाद्य को लिया जाय। खाद्य के सम्बन्ध में माननीय नेगी जी ने कई मर्तबा कहा कि हम बहुत अच्छा आटा दे रहे हैं। इसके लिये श्रीमन्, मैं एक ही उदाहरण पेश करूंगा, (लाल बत्ती के जलने पर) मुझे दो मिनट दिये जायं, अभी देहरादून की मिसाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर म्युनिसिपैलिटी ने वहां की सरकारी दूकानों पर जो आटा बिक रहा था उसका निरीक्षण किया और उस आटे को बहुत ही खराब बताया. . . . .

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---आटा नहीं, गेहूं था।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---कुछ भी सही, आटे और गेहूं में क्या फर्क है। वह चाहे आटा हो या गेहूं, किन्तु वह इतना खराब था कि वह मनुष्य के खाने लायक नहीं था।

(व्यवधान)

जो कुछ कहना हो जरा जोर से कहिये ताकि उसका जवाब मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक कहावत याद आती है---एक बार घोड़ों के नाल ठुक रही थी, उसी समय कुछ मेंढक भी अपनी टांग उठाकर कहने लगे कि हमारे भी ठोक दो। जो कुछ मैं कह रहा हूं आप जरा सुनिये तो. . . .

श्री अध्यक्ष---आप अपना भाषण जारी रखें, समय समाप्त हो रहा है आपका।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---तो मैं, श्रीमन्, यह कहूंगा कि इनके राज्य में चारों ओर अन्याय और भ्रष्टाचार है। कोई नीति इनकी सफल नहीं हुई है। प्रशासन, सर्विसेज की ओर देखा जाय, श्रीमन्, तो उसमें भी अजीब स्थिति है। आज पग-पग पर सी० आई० डी० बैठी रहती है। उसके बल पर आप शासन चलाना चाहते हैं। आपकी प्रशासन की नीति बिलकुल गलत है। अभी हाल ही में जो एक आई० सी० एस० अफसरों की कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें मिनिस्टर लोग, राज्यपाल महोदय, मुख्य मंत्री, यह सब ४ बजे वहां पहुंचते हैं किन्तु सिविलियन्स को ५ बजे बुलाया जाता है। इस बीच में वहां पर यह डेलिक्वेंट्स नाटक

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

खेलते हैं। तो श्रीमन्, जब आप के प्रशासन का यह हाल है तो यह आप का प्रशासन कितने दिन चलेगा? इसके अलावा एक चीज और है। इनके यहां जो आई० सी० एस० में आ जाता है वह भगवान् माना जाता है। उसके लिये रूल्स वगैरह भी अलग होते हैं। वह दूसरे से घृणा और ईर्ष्या करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रशासन खराब होता जाता है। इन शब्दों के साथ में इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आप ने मुझे यहां कुछ कहने का अवसर दिया। मुझे सबसे पहली बात तो यह कहना है कि आज हमारे जिले में, मैं उसके लिये जितने कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के मेम्बर यहां बैठे हुए हैं, उनसे भी कह चुका हूं, कांग्रेसी हुकूमत से भी कह चुका हूं, जिस प्रकार से पार्टीबन्दी का नंगा नाच हो रहा है वह बंद हो, लेकिन उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिये मैं आपके सामने एक मिनट के लिये यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे लिए टाइम १५ मिनट से ज्यादा हो इसलिये कि मैं कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का सेक्रटरी भी हूं और उसकी एक्जीक्यूटिव का भी मेम्बर हूं। तो मुझे आशा है कि आप मुझे भी उतना ही टाइम देंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं सिर्फ यह जरूर चाहूंगा कि आप सार्वजनिक विषयों पर ही भाषण करें मैं किसी के ऊपर वैयक्तिक आक्षेप करने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मलखानसिंह---मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं और न लूंगा।

श्री राजनारायण---वह सार्वजनिक बात है या वैयक्तिक बात है?

श्री मलखानसिंह---मेरे साथी मुझे बोलने दें तो अच्छा हो। मैं सब से पहले धन्यवाद देता हूं इस गवर्नमेंट को और मुख्यकर मुख्य मंत्री को कि उन्होंने अहेम का जो केस चल रहा था उसे विदड्रा (वापिस) कर लिया; लेकिन साथ ही मैं यह साफ कहने के लिये तैयार हूं कि मेरे जिले से जो आये हुए एक मन्त्री महोदय हैं, उन्होंने पूरी शक्ति इस बात की लगायी है कि किसी तरह से भी वह केस विदड्रा (वापिस) न हो और हर तरह के हथकंडे उन्होंने किये। इसके साथ-साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मेरी तरफ के लोगों ने और दूसरी तरफ के लोगों ने भी कहा है, और जिसे कहने में मुझे भी जरा हिचक नहीं है कि ला ऐंड आर्डर का जो सवाल है वह तमाम सूबे भर से ज्यादा अलीगढ़ जिले में बढ़ोत्तरी को पहुंच गया है। आपको यह भी मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कितने कत्ल वहां पर हुए हैं, पोलिटिकल रीजन्स की वजह से पिछले तीन सालों के अन्दर और मेरे यहां मूलचन्द जी, जो टाउन एरिया, जलालीबाद मंडल के प्रधान थे, उनका कत्ल दिनदहाड़ हुआ। दूसरे अभी श्री राधेश्याम मित्तल जी का जो हरदुआगंज टाउन एरिया के चेयरमैन थे और मंडल कांग्रेस कमेटी, हरदुआगंज के चेयरमैन भी थे और जिला कांग्रेस कमेटी के मेम्बर भी थे, उनका भी कत्ल हुआ। अभी पिछले दिसम्बर में वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स की कान्फेरन्स हो रही थी उसमें मुझे यह बतलाया गया था कि यह तय हो गया है कि सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस जो वहां पर हैं वह अब वहां नहीं रह सकेंगे। लेकिन आज हालांकि तीन महीने से अधिक हो गया है अभी भी वहां पर मौजूद हैं हालांकि मैंने कई बार कहा भी। तो मैं उसके लिये पुलिस मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन मेरा जो कुछ आरोप है वह एक दूसरे पाले हुए हमारे जिले के हैं उनकी सारी शक्ति वहां पर काम करती है। मुझे यह बताया जाता है और अक्सर कहा गया है कि "If you love me then love my dog also" और यह सही बात भी है कि जब मैं कई जगह जाता हूं लोगों के पास, जहां पर बड़े-बड़े लोग पाले हुये कुत्ते रखे हुए होते हैं तो वह किस तरह से करते हैं। अगर कुत्ता किसी पर किसी तरह से मुंह डालना चाहता है या हाथ डालना चाहता है तो वे फौरन उसको थप्पड़ मारकर बैठा देते हैं कि बैठ या जंजीर से बांध देते हैं लेकिन आज बराबर...

श्री अध्यक्ष---आप जरा वैयक्तिक ज्यादा जा रहे हैं और शब्द भी आपके पार्लियामेंटरी नहीं हो रहे हैं।

श्री मलखानसिंह---अगर आप देखें तो आप कुत्ते को बुरा नहीं समझेंगे। मैं तो उसको बुरी दृष्टि से नहीं देखता। आजकल जितने बड़े बड़े लोग हैं सब उनको अपने पैसे से पाले हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उस को साबुन लगाते हैं। मैं कुत्ते को उसी दृष्टि से देखता हूं। वे सी० आई० डी० में भी काम करते हैं, तो उनको मैं कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखता हूं। उस जानवर की मैं बहुत कद्र करता हूं। मैं समझता हूं कि कुत्ता जितना जागरूक और मनुष्य की रक्षा करने वाला जानवर होता है उतना कोई दूसरा नहीं होता। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे वचनों को कभी उस माने में न लें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा कायम रहनी चाहिये। इसलिये किसी व्यक्ति को दिमाग में रख कर उसकी इस तरह से उपमा देना मैं समझता हूं उचित नहीं है। यह आप के लिये भी शोभा नहीं देता क्योंकि आप अनुभवी लोगों में से हैं।

श्री मलखानसिंह---अध्यक्ष महोदय, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भी हम प्रस्ताव पास कर चुके हैं कि कोआपरेशन हमारे लिये एक जान लड़ाने वाली चीज है और हर तरह से उसको बढ़ावा देना चाहिये, लेकिन मैं आप को बताना चाहता हूं कि मेरे जिले में कोआपरेटिव का किस तरह से नंगा नाच हो रहा है। मैं आप को बतलाऊं कि हसायन कोआपरेटिव सोसायटी के प्रेसीडेन्ट श्री कुशलपाल सिंह थे। वह वाइस प्रेसीडेन्ट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और प्रांविशियल कांग्रेस कमेटी के भी मेम्बर थे। उनसे चूंकि नाराजगी हो गयी इसलिये उनको और सोसाइटी के डाइरेक्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। यह मैं मानने के लिये तैयार हूं कि सस्पेंड किया है लेकिन उसको अक्तूबर, १९५७ से लेकर अब तक दो वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, जब कि यू० पी० कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के रूल ३१ के मातहत उस सोसाइटी का इलेक्शन साल भर के बाद हो जाना चाहिये था। इस तरह से कानून को भी तोड़ा जाता है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब श्री कुशल पाल सिंह के लिये रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, हमारे लीगल रिमेम्बरेन्सर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब ने यह रिपोर्ट दे दी कि इनके ऊपर कोई भी केस नहीं चल सकता है फिर भी हमारे कोआपरेशन के मिनिस्टर साहब ने दस्तखत कर के और जी० ओ० निकाल कर उन पर केस चलाया.....

श्री अध्यक्ष---यह बजट के सम्बन्ध में आम बहस है इसलिये इसमें एक ही जगह की स्थिति नहीं आनी चाहिये। इस विभाग का जब विषय आवे तब आप इस सम्बन्ध में बोल सकते हैं। इस समय आपको जनरल बोलना चाहिये।

श्री मलखानसिंह---अध्यक्ष महोदय, आप यह न समझें कि केवल अलीगढ़ में ही ऐसी हालत है। इसके अलावा झांसी, सहारनपुर, गाजीपुर, बलिया, बुलन्दशहर, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद और न मालूम कौन-कौन जिले हैं जहां पर कि इसी प्रकार से कोआपरेटिव का नंगा नाच हो रहा है।

श्री राजनारायण---बनारस को भी उसी में जोड़ दीजिये।

श्री मलखानसिंह---तो श्रीमन्, वह केस चलाया गया और नतीजा क्या हुआ कि वह छोड़ दिये गये और आज कोआपरेटिव के अफसर, डी० सी० ओ०, सुपरवाइजर और कोआपरेटिव के इंस्पेक्टर जिन्होंने झूठी गवाहियां दी थीं, कागज फाड़े, नये रजिस्टर बनाये, उन पर मुकदमा चल रहा है और आनरेरी मैजिस्ट्रेट जिस पर दबाव डाला गया, उसका टाइम खत्म हो गया, उसका एक्सटेंशन नहीं हुआ। तो जो १५ वर्ष से लगातार आपका काम कर

[श्री मलखानसिंह]

रहा था, जिसकी ऊपर की अदालतों और हाई कोर्ट के जजों ने हमेशा तारीफ लिखी है उसको खत्म कर दिया गया है। वह एम० ए०, एल-एल० बी० है। अब मैं आपके सामने दूसरा केस रखना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष---आप बिलकुल वैयक्तिक केस ला रहे हैं। इस वक्त आम बहस है। जब विभाग की बहस आयेगी तब आप इन चीजों को लाइये।

श्री मलखानसिंह---अच्छी बात है, तो मैं आपको यह भी साफ बतला देना चाहता हूं कि यह तो मैंने भेदभाव की नीति बतलायी और पार्टीबन्दी का नंगा नाच बतलाया। इस संबंध में मुझे एक निवेदन यह करना है कि जितनी भी हमारे यहां गवर्नमेंट की तरफ से समितियां बनायी जाती हैं, उन समितियों में भी, क्या हरिजन कल्याण समिति हो, क्या आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स सेलेक्शन कमेटी हो, क्या डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक्स कमेटी हो, क्या एंटी करप्शन कमेटी हो, क्या सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की बात हो, सब में भेदभाव की नीति बरती जाती है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक एक उदाहरण हर-एक का दे दूं कि यह हर साल की चीज है। यह तो जनरल बात है। मेरे जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें रहमत अली अब्बासी और उमाशंकर को दी गयीं....

श्री अध्यक्ष---आप किसी का नाम न लें। आप यह कह सकते हैं कि आपके ग्रुप के खिलाफ यह कार्यवाही की गयी।

श्री मलखानसिंह---श्रीमन्, सस्ते गल्ले की दूकानें जो म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर हैं उनको दी गयीं। इसी तरह से आप और भी यों ही समझ लीजिये कि इस तरह का तफरका सब जगह है। यहीं तक नहीं, मैं तो आपसे यह कहता हूं कि हमारे यहां कांग्रेस की मेम्बरी बनाने की जो कापियां हैं वह मंत्री की तरफ से कोआपरेटिव सोसाइटी के सुपरवाइजरों को दी जाती हैं और उनके द्वारा मेम्बर्स बनाये जाते हैं। मैंने जिन दो कत्लों का जिक्र किया जो जलाली और हरदुआगंज में हुए, आपको मालूम होना चाहिये कि वहां के प्रतिनिधि हमारे यहां के ऐग्रीकल्चर और कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब ही हैं, लेकिन आपको जान कर ताज्जुब होगा कि उन दोनों जगहों पर एक मिनट के लिये जाने की तकलीफ उन्होंने नहीं की कि जिन लोगों के आदमी मरे हैं उनके घरों पर जाकर एक मिनट खड़े होकर आंसू भी बहा दें। इसी तरह से बीज गोदाम आदि का भी मामला है।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि एक फर्टिलाइजर का कारखाना हाथरस में खोले जाने की बात पर विचार हुआ था। लेकिन अब सुना गया है कि वह कारखाना वहां से हटा कर दूसरी जगह कहीं लगाया जायेगा। इस संबंध में मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह कारखाना उसी जगह पर रहे जहां कि बनाने का पहले विचार था।

दूसरी बात यह कि सासनी-विजयगढ़ सड़क, जिसको हमारे साथी श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ ने ६,८८९ व्यक्तियों के श्रमदान से बनवाया है, साढ़े ३ मील लम्बी, २६ फीट चौड़ी तथा ५ फीट ऊंची है, जो इसी जनवरी के पिछले हफ्ते में तैयार हुई है, वहां पर जाने के लिये आपसे तथा मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना की गयी; लेकिन किसी कार्यवश आप भी नहीं जा सके तथा वे भी नहीं गये। मेरी प्रार्थना है कि उस सड़क को पक्की करा दिया जाय। इसके लिये वहां की अन्तरिम जिला परिषद् ने २० हजार रुपया दिया है और गवर्नमेंट ने भी २० हजार पया दिया है लेकिन ४० हजार रुपये से यह काम होगा नहीं।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त।

श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो १९६०-६१ का सामान्य बजट पेश हुआ है उसके द्वारा प्रदेश की सामान्य जनता की तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न किया जायगा। लेकिन पिछले वर्षों में जो सामान्य जनता की तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है उससे कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकल पा रहा है। पिछले तीन वर्ष के बजट से इस बजट का मुकाबला किया जाय तो मालूम होगा कि हर साल सरकार का खजाना बढ़ता जा रहा है। सामान्य जनता के कष्टों को दूर करने के लिये, कठिनाइयों को दूर करने के लिये, योजनाओं को बनाया जाता है लेकिन नित्यप्रति के जीवन में जनता के कष्ट बढ़ रहे हैं और अभी कल विधान भवन में एक बैठक हुई थी जिस में योजना के कार्यान्वियन के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी बोले थे और उन्होंने वहां कहा था कि किसी भी सामाजिक कार्य की सफलता इस से आंकी जाती है कि नित्यप्रति के कर्त्तव्य के प्रति जनता कहां तक जागरूक हुई है। यह चीज आंकड़ों से नहीं जानी जा सकती, बल्कि इस से जानी जाती ह कि जनता में यह भावना पैदा हुई है या नहीं कि यह काम उसके लिये हो रहा है और उस के प्रयत्न से जनसाधारण के आचरण में कोई उन्नति हुई है या नहीं। अगर इस कसौटी पर कसें तो....

श्री अध्यक्ष--बातें बहुत हो रही हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, सब लोग कृपया शांत हो जायं।

श्री विश्रामराय--माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उद्गार प्रकट किये वह तो अच्छे ही हैं। हर साल योजना का बजट पास हो रहा है, एक साल बाद योजना के दस वर्ष पूरे हो जायेंगे लेकिन आज तक जनता इन योजनाओं के प्रति जागरूक नहीं हुई है; इस विषय में मिनिस्टर साहबान नहीं सोचते। आप देखें कि १५ दिन के अन्दर हमारे जिले में ७ मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी एक-एक, दो-दो दिन के अन्तर से पहुंचे और तमाम कलेक्टर और तहसीलदार उनकी पेशवाई में पड़े रहे। पूछा कि कैसे आ रहे हैं? बात यह थी कि उनको सूबा कांग्रेस कमेटी के चुनाव के लिये वोट ठीक करना था। जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद किया जाता है। जनता की क्या भावना है इसकी उनको कोई परवाह नहीं है। हम बड़े-बड़े बजट बनाते हैं, इंडस्ट्रीज भी खोलते हैं, योजना का काम भी होता है, लेकिन जनता की कठिनाई को कोई नहीं देखता। जो मंत्री भी जाते हैं वह जनता की कठिनाई को सुनने की कभी कोशिश नहीं करते। कचहरियों की जो हालत है वह आप जानते हैं, जहां मुकदमा ६ माह का हुआ, मोअक्किल बैठे हैं, आवाज भी नहीं लगती और मुकदमा अदमपैरवी में खारिज।

इसी तरह से पुलिस से जो परेशानी है जनता को उसे सुनने वाला भी कोई नहीं है। इस तरह से जनता में जनतंत्र के प्रति अश्रद्धा पैदा होती ह और जन प्रतिनिधियों का इस राज्य में सब से ज्यादा अपमान हो रहा है। सन् १९३७ से १९५० तक तो ठीक रहा, लेकिन इधर नौकरशाही का बोलबाला है और सरकार की पार्टी में भी पार्टी बनी हुई है और नौकरशाही का राज्य है। माननीय मुख्य मंत्री जी चाहे कुछ कहें, लेकिन जब तक योजना के प्रति जनता में उत्साह पैदा न होगा तबतक कोई सफलता नहीं मिल सकती। वह उत्साह जनता में है नहीं।

दो-एक बातें मैं बजट के बारे में भी कहूंगा, उसकी मदों के बारे में। कहा गया कि यह समाजवादी समाज का बजट है लेकिन आप देखें कि इसमें राज्य व्यापार योजना भी स्थगित कर दी गयी, अब उस राज्य व्यापार योजना का मंत्री जी नाम भी नहीं लेते। इस के बाद उद्योग का जहां तक सवाल है उसमें पब्लिक सेक्टर कम होता रहा है और पूंजीपतियों का काम बढ़ता जाता है; केवल दो-तीन सहकारी चीनी मिलें खुल रही हैं और एक चीज ऋषिकेश में हो रही है और बाकी तमाम लाइसेंस पूंजीपतियों--बिरला आदि को दिये जा रहे हैं। १९५६-५७ में लाइसेंस इसी प्रकार के दिये गये हैं। इस तरह के बजट से समाजवादी समाज का रास्ता नहीं बनता। यहां पर बजट के दिन तमाम चपरासी इकट्ठा हुए थे कि पिछले साल कुछ मिला था, इस साल भी मिलेगा इस आशा में, लेकिन

[श्री विश्रामराय]

वह भी हताश हुए; उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय इस के कि ४५ रुपया मिलने वालों को ८ आने की जगह १ रुपया भत्ता कर दिया गया, बाकी कोई समाजवादी लक्षण उस में नहीं था। बजट के आखिरी भाग में एक जगह लिखा है कि आबादी ६.३ करोड़ के मुकाबले में ७ करोड़ हो जायगी इसलिये अगली योजना में विकास की सुविधाओं के लिये और गरीब वर्ग को ऊपर उठाने के लिये सरकार विचार कर रही है। इस के अतिरिक्त भी कुछ आय के साधन निकालने के लिये सदन में कुछ प्रस्ताव आयेंगे। यह बजट में लिखा है कि क्लोज्ड एकानामी का समय नहीं है और बाहर की परिस्थितियां मजबूर करती हैं। यह भी कहा जाता है कि मालगुजारी भी बढ़ने वाली है। इस तरह से बजट में कर बढ़ाने की बात है। जो साधारण जनता देहात में काम करती है, उसको शिकायत है कि सरकार करप्शन की ओर ध्यान नहीं देती है। ग्रांट्स के बारे में देखिये, जत्था का जत्था स्कूल वालों का आता है। ग्रांट कौन बांटता है? मिनिस्टर साहब। विकेंद्रीकरण बिलकुल नहीं है। सब पावर अपने पास रखी है। यह तरीका गलत है। सारे लोग लखनऊ चले आते हैं। लोगों को परेशानी होती है।

मंत्री जी ने भाषण में यह भी लिखा है कि फायनेंस के बारे में कोई काम रुका नहीं है। पारसाल मुझे मालूम हुआ कि कुछ रुपया बागवानी के लिये रखा था, शायद २० लाख था। लेकिन तय नहीं कर पाये कि किसको देना चाहिये और जब मार्च आ गया तो ब्लाक्स में भेज दिया गया। वह बड़े बड़े जमींदारों को दे दिया गया। इसके अलावा जिला परिषद के चुनाव के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अभी तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी है। मुझे उम्मीद है कि यह सन् १९६२ के बाद ही होगा।

सहकारिता के बारे में कहा गया है कि बहुत विस्तार हो रहा है। ५ हजार सेवा समितियां बनाई जायेंगी। श्रीमन्, सहकारिता तो भ्रष्टाचार का अड्डा है। जैसा कि मलखान सिंह जी कह रहे थे, डी०सी०एफ० के लिये यहां से लोगों को नोमीनेट किया जा रहा है। जिनका टर्म खत्म हो जाता है उनका टर्म बढ़ा दिया जाता है। एक पार्टी की मोनोपली हो गयी है। उसमें सहकारिता की भावना कहां से आयेगी? विरोधियों को गिरा दिया जाता है। सहयोग सरकार करना ही नहीं चाहती है। बराबर कहा गया कि सहकारिता के बारे में एक बिल लाया जायेगा और जन प्रतिनिधियों को अधिकार मिलेगा। लेकिन न जाने वह बिल कहां गायब हो गया? पंतजी थे तभी से वह बिल आ रहा था पर अभी तक पता नहीं है।

शिक्षा के संबंध में बिलकुल अराजकता है। जिले के इंस्पेक्टरों के आफिस को देखिये, घूसखोरी के अड्डे बने हुए हैं। वजीफा मिले तो चौथाई दीजिये, ग्रांट मिले तो आधी दीजिये। इन सब चीजों की ओर कोई ध्यान नहीं है। यही हालत रही तो मैं चेतावनी देता हूं कि तानाशाही हो जायेगी यहां पर। आज चारों तरफ करप्शन हो रहा है, इसकी ओर शीघ्र ध्यान दीजिये।

*श्री लक्ष्मणसिंह (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस आय-व्ययक पर बोलने का अवसर दिया। मैं आंकड़ा पंडित नहीं हूं। मैं बजट की बातों को विशेष नहीं जानता और उस पर कोई आलोचना नहीं करना चाहता। केवल कुछ मूल समस्यायें सुझाव रूप में सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, जब हमारे विधान में हमारी सरकार ने यह घोषणा की है कि मुल्क में प्रजातांत्रिक प्रणाली कायम करने जा रहे हैं तो ऐसे अवसर पर मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक दृष्टि से और समाजवाद की दृष्टि से भी हमें इस मुल्क के लिये कुछ सोचने की आवश्यकता है। अगर हम चाहें और खींचातानी करें और अपना प्रभाव पैदा करके एक सड़क को समानान्तर अपनी दूसरी सड़क ले जाना चाहें तो इस तरह से हम यहां प्रजातंत्र कायम नहीं कर सकते।

श्रीमन्, मैं ऐसे क्षेत्र की चर्चा करना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी सल्क किसान मेले के अवसर पर गये तो रामनगर से उस किसान मेले तक जाने का जो १ घंटे का रास्ता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उसमें उन्हें २ घंटे का समय लगा। इसका कारण यह था कि नवम्बर का मौसम था और उस समय पर्वतीय प्रदेश के लोग, जहां की आर्थिक समस्या और बेकारी की समस्या जटिल बनी हुई है, वे लोग हजारों की तादाद में अपने बाल-बच्चों गाय बैल तथा तमाम सामान लेकर पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे तराई भाभर के क्षेत्र में। ये वे लोग हैं जिनके जीवन बड़े कठिन हैं जो तराई में जाड़े के दिनों में ६ महीने के लिये आते हैं, जिनके बुजुर्गों ने तराई की भूमि में किसानी की है तथा जिनके नाम से गांव वहां अब भी बसे हुए हैं। हजारों दरख्वास्तें उनकी भूमि प्राप्त करने के लिये उस क्षेत्र में आती हैं जिसमें बड़े-बड़े फार्म आज बन गये हैं, और ऐसे फार्म जो मुल्क को अन्न देने के लिये नहीं है बल्कि अपना रोजगार चलाने के लिये गन्ना तथा अन्य कैश क्राप्स पैदा करते हैं। तो भूमिहीनों की यह समस्या पहाड़ के लोगों की है। नवम्बर, दिसम्बर में नीचे आकर यह लोग अप्रैल और मई में ऊपर पहाड़ों पर वापस जाते हैं। तो वहां की जो बरोजगारी है उसको यह दशा प्रजातंत्र के १२ साल बीत जाने पर भी बनी हुई है।

लीसा वहां का बरेली टरपेंटाइन फैक्ट्री को दिया जाता है, चीड़, बाबर वहां का दूसरी जगह जाता है, मगर आज तक सरकार ने कोई कारखाना वहां बना करके वहां के लोगों को काम और रोजगार नहीं दिया। तो मेरा तात्पर्य किसी एक क्षेत्र से नहीं है बल्कि पहाड़ों पर सब जगह यही हाल है। लेकिन हम सार्वजनिक दृष्टि से नहीं देखते हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहूंगा कि हमारा दृष्टिकोण समाजवादी, प्रजातांत्रिक और मानवता का हो तो हम देश को ऊपर उठा सकते हैं। आज कहा जा सकता है कि अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल और नैनीताल, के लिये बहुत सारा पैसा गया है। तो यह सुरक्षा की दृष्टि से ही कोई व्यवस्था की गई है और आज इन चार जिलों का विभाजन करके दूसरे चार जिले शायद और बनाये जायं, जैसा सुनने में आ रहा है, तो यह तो सरकार अपनी दृष्टि से ऐसा कर रही है, मुझे इसका विरोध नहीं है। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह वह प्रदेश होगा जहां हर जिले में १,००,००० आदमी भी नहीं मिलेंगे और वह जनता आज डेपुटेशन ले कर के सरकार के पास आती है कि हमको तराई भाभर में जमीन दीजिये। कारण यह है कि जब हमारा तिब्बत से संबंध था तो इन लोगों ने ऊपर पहाड़ों पर अपनी बस्तियां बनायी थीं, लेकिन आज उनके वहां जीवन निर्वाह के कोई साधन नहीं रह गये। तो इस तरह से इन जिलों के टुकड़े कर देने से क्या फायदा होगा, यह सरकार स्वयं समझ सकती है। उन कुमायूं के लोगों ने राष्ट्र की रक्षा की है, आजादी की लड़ाई में भी अपना योगदान दिया है तथा उन्हें अपने पड़ोसी देश के लोगों के साथ सबसे पहले संघर्ष करना पड़ेगा, अगर आज उनकी स्थिति गम्भीर बनी रही, उनके नवयुवक दूसरी जगह रोजगार के लिये जाते रहे, तो क्या उस संघर्ष का वह मुकाबला कर सकेंगे? इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर उन्हें तराई भाभर के हिस्से में जो उनका आंगन है, जहां उनके बुजुर्ग रहे हैं, उनके लिये भूमि की व्यवस्था कर दी जाय। दूसरे यह कि वहां के जंगलों की उपज चीड़ और लीसा से छोटे-छोटे उद्योग धंधे कायम किये जायं। इस क्षेत्र में नदी घाटी से बिजली पैदा की जा सकती है इसके लिये डैम विशेषज्ञों से जानकारी हासिल की जाय और इस तरह से वहां बिजली पैदा की जाय जिससे बहुत से कारखाने वहां बन सकते हैं।

माननीय मंत्री महोदय अपनी विभागीय सलाहकार समितियों से राय लें कि कहां पर क्या कमी है और उस कमी को पूरा किया जाय। दूसरे, जैसा कि सहकारी संगठन के विषय में कहा गया है कुछ मूल अधिकार उनको जरूर होने चाहिये। प्रजातंत्र में जो शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है उससे लोगों को अधिकार नहीं मिला है। पार्लियामेंट या विधान सभा का सदस्य लिखता है कि यहां पर किसी कर्मचारी द्वारा गड़बड़ी की गयी ह तो विभागीय अधिकारी द्वारा जांच कराई जाती है। जनप्रतिनिधि को अब तक मान्यता या अधिकार नहीं मिला है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता तथा पंचायत संगठन के जो ऐक्ट हों उनमें परिवर्तन होना चाहिये ताकि उनको सच्चा प्रतिनिधित्व मिल सके।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

अन्त में मैं सरकार से और सदन से निवेदन करूंगा कि देश व राष्ट्र की रक्षा के लिये कुमायूं के नवयुवकों को सैनिक शिक्षा दी जाय और सेना में भरती होने का अवसर दिया जाय।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट पेश किया गया है वह जन कल्याणकारी बजट किसी तरह से नहीं कहा जा सकता। हां, यह पूंजीवादी तथा शहर कल्याणकारी बजट कहा जा सकता है क्योंकि इसमें देहात की जनता की सुविधा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है और न इसके अन्दर इस बात की गुंजायश रखी गयी है कि वहां के यातायात और सिंचाई आदि के लिये कोई व्यवस्था की जाय। मुझे एक पुस्तिका मिली है जिसमें नेशनल इनकम पर-कैपिटा दिखाई गयी है। इसमें इन्होंने दिखाया है कि इन्कम बढ़ी है १९५८-५९ में। उसमें यह लिखा है कि ये अनुमानित आंकड़े इस समय प्राप्त सूचना पर आधारित है और अस्थायी हैं। जब ये अस्थायी हैं और कोई खास सूचना नहीं है, महज ऐसी वैसी बातों पर यह बना लिये गये हैं तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों की आमदनी चीनी व कपड़े के दाम बढ़ जाने के कारण बढ़ गयी है, उसी के आधार पर ये आंकड़े बना दिये गये हैं; लेकिन देहात में वास्तविक तौर पर मंत्रिगण या दूसरे अधिकारीगण देखें तो मेरे खयाल में यह इनकम जो है २५९ की वह ५९ ही रहेगी। इस प्रकार के गलत आंकड़ों को दिखला कर यह अनुमान कर लिया जाता है कि यहां के लोगों की हालत सुधरी है, लेकिन हालत किसी की कुछ भी नहीं सुधरी है, दिन प्रति दिन गिरती जा रही है और मुझे विश्वास है कि अगर संशोधित आंकड़े आये तो यह आमदनी घटी हुई रहेगी, बढ़ी हुई नहीं।

आज सहकारिता के लिये बड़ी धूमधाम मचाई जा रही है कि सहकारिता से जनता की प्रगति होगी। केन कोआपरेटिव्ज हर जिले में हैं। लाखों रुपया जनता से मेम्बरशिप फीस का ले लिया जाता है। क्या कभी किसी मेम्बर को यह बताया गया कि उसमें कितना रुपया खर्च किया गया और कितना रुपया शेष है? उनके कमाये हुए धन से सिर्फ कर्मचारीगण फायदा उठा रहे हैं और उनका कोई हित नहीं हो रहा है। किसान अगर कोई रुपया या और चीज जैसे बीज व खाद लेते हैं तो २५ फीसदी का सूद उनसे लिया जाता है। तो इस कदर जनता परेशान हो रही है और उसके धन का अपव्यय हो रहा है लेकिन फिर भी सहकारिता की बड़ी डींग हांकी जाती है कि इससे बड़ा फायदा होगा।

अब, श्रीमन्, प्लानिंग विभाग को जरा देखिये। इस विभाग द्वारा सन् १९५६-५७ में जो कच्ची सड़कें बनायी गयी वे ६ हजार मील थीं, सन १९५७-५८ में ३ हजार मील और सन् १९५८-५९ में २,८१२ मील बनीं। कच्ची सड़कें अधिकतर देहातों में ही हैं, शहरों और कस्बों में नहीं हैं, लेकिन उनके बनाने की जो प्रगति हुई है उसके देखने से बड़ा दुख होता है। आज यह कहा जाता है कि बहुमत के आधार पर ही डेमोक्रेसी चलती है। तो देहात में ज्यादा लोग रहते हैं या शहरों और कस्बों में रहते हैं? मगर देहात के लिये कोई सुविधा नहीं बल्कि जो यातायात की थोड़ी बहुत सुविधा वहां शुरू की गयी थी उसमें भी बराबर गिरावट हो रही है और शहरों में हर तरह की सुविधा देने के लिये सरकार तत्पर रहती है। मैं अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में और दो पुलों-सिंगारघाट व अमघटी के बारे में तीन वर्ष से बराबर लिखा-पढ़ी कर रहा हूं, जनता की ओर से प्रस्ताव पास किये जाते हैं, जब कोई अधिकारी वहां जाता है तो उसको अपनी करुण कहानी सुनाते हैं; मगर इस सरकार ने अब तक उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और मैं उसी क्षेत्र के लिये क्या कहूं, यह तो प्रदेश के सभी देहाती क्षेत्रों की हालत है; और इसका कारण यह है कि सरकार जनता को केवल वोट देने लायक रखना चाहती है, देहातों को कोई सुविधा देने के लिये तैयार नहीं है।

एजूकेशन की हालत यह है कि देहात में ९८ फी सदी प्राइमरी स्कूलों के भवन नहीं हैं और बच्चे पेड़ों के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं मगर यह सरकार प्राइमरी शिक्षा का बड़ा ढिंढोरा पीटती है। सरकार ने कोई भी ऐसी व्यवस्था इस बजट में नहीं की कि लोकल बोर्ड्स को ग्रांट दे कर

देहातों में प्राइमरी स्कूलों के भवनों का निर्माण कराती ? क्या किसी शहर या कस्बे में भी कोई ऐसा स्कूल है जिसकी इमारत न हो ? मगर देहात तो बरबाद करने के लिये बनाया गया है, आबाद करने के लिये नहीं।

अब मैं जो प्रदेश में क्राइम्स हो रहे हैं उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करूंगा। घृणित अपराधों के सिलसिले में ४३,५६७ मुकदमें अदालतों में चलाये गये जिनमें से केवल १८,९२७ मुकदमों में सजा हुई और बाकी छूट गये। इतने ज्यादा मुकदमें छूटने का कारण यही है कि अधिकांश ऐसे गलत मुकदमें पुलिस चलाती है कि अगर किसी से पुलिस का झगड़ा है या कहीं से कुछ मिल गया तो केस कमजोर करके खत्म करा देती है। यह यहां की पुलिस व्यवस्था की हालत है। इसी प्रकार पंचायतों में भी निगरानी की संख्या बढ़ी है और जो निगरानियां मंजूर हुई हैं वे भी गत वर्ष की अपेक्षा इस साल अधिक हैं। इसका कारण यह है कि जब से तमाम ब्लाक्स खुल गये हैं सब से तमाम छोटे-छोटे मुकदमे ब्लाक वालों की तरफ से दायर करवा दिये जाते हैं। मसलन अगर कोई सड़क पाटने में देर कर देता है या ग्रामसेवक की सेवा नहीं करता तो उसे मुकदमें में फांस दिया जाता है, जो आगे जा कर अपील में छूट जाता है। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस तरह से जो अनैतिकता फैल रही है उसकी तरफ सरकार विशेष ध्यान दे।

आज सरकार इस बात के लिये कहती है कि विरोधी पक्ष वालों की तरफ से कोई सुझाव नहीं आते। श्रीमन्, हमारे यहां सूखा पड़ा। उसके सिलसिले में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी, रेवेन्यू मिनिस्टर और जिला मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी और उसमें यह निवेदन किया कि कम से कम इसकी जांच, करायी जाय, जांच के वक्त मैं स्वयं उपस्थित हो सकता हूं या प्रधान और पंच वगैरह उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन कानूनगो और लेखपाल के भरोसे पर आंकड़े न बनाये जायं। जहां तक मुझे जानकारी है इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई और न आज तक जांच करायी गयी। मैं जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है ? अगर मंत्री महोदय हम लोगों की बातों पर विश्वास न करें तो कम से कम जनता के उन प्रतिनिधियों पर जो कि लाखों की तादाद में हैं, विश्वास करें, इस प्रकार से जैसा कि अंग्रेजी राज्य में था वही बातें आज कल यह सरकार कर रही है।

जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा बढ़ रहा है। जब अधिकारी लोग दौरे में जाते हैं तो अपना प्रोग्राम जन प्रतिनिधियों को नहीं बताते हैं ताकि उनको कोई चीज कही जाय या दिखायी जाय। कर्मचारियों पर खर्चा बढ़ रहा है और जनता के ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा है। इसलिये आपके द्वारा मैं निवेदन करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री इस बजट को वापस ले कर शीघ्रातिशीघ्र दूसरा बजट प्रस्तुत करें जिसमें जनता के सुख सुविधा का समावेश हो। अगर इसमें वैधानिक आपत्ति हो तो सप्लीमेंटरी बजट बना कर प्रस्तुत करें जिसे यह सदन सहर्ष स्वीकार करेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री कल्याणराय (जिला रामपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं वित्त मंत्री को बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। मैं कुछ बातें रामपुर के बारे में कहना चाहता हूं।

पहले मैं एजूकेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं क्योंकि रामपुर एजूकेशन के मामले में सदा से पिछड़ा रहा है। वहां जो कोई भी पढ़े-लिखे लोग हैं वह रामपुर में नहीं पढ़े-लिखे हैं। इसलिये वहां की तालीम ऊंची से ऊंची करायी जाय क्योंकि मिलक तहसील एक बड़ा सेंटर है जहां हाई स्कूल तक नहीं है। सिवा एक तहसील के कहीं किसी तहसील में हाई स्कूल नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर हाई स्कूल होना चाहिये। पहले तालीम उसके बाद सड़कों की और उसके बाद नहरों की जरूरत है।

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

[श्री कल्याणराय]

एक सड़क, जिसको मानपुर ओझा कहते हैं, उसकी बड़ी आवश्यकता है। हमेशा से वह इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ रहा है सड़कों की वजह से। वहां सिर्फ एक पुल की जरूरत है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां उस सड़क का इंतजाम जल्द से जल्द होना चाहिये।

हमारे रामपुर में हर तरह की परेशानी है। हम तो ऐसे समझे जाते हैं कि जैसे पीछे से आये हों यानी जैसे कि हम लोगों ने कुछ किया ही न हो। हम सोचते तो यह थे कि जब उत्तर प्रदेश में मिलेंगे तो हमारे लिये कुछ ज्यादा खयाल होगा लेकिन वह कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा आमदनी और सबसे ज्यादा खर्च रामपुर पर होता है। इसलिये अवश्य उस पर हमारा ध्यान जाना चाहिये। रामपुर में कोई फैक्ट्री अवश्य होना चाहिये जिससे वहां के लोगों की गरीबी कुछ दूर हो सके क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गरीबी है। इसलिये वहां का बहुत ही ज्यादा खयाल किया जाना चाहिये।

एक बात और मुझे कहनी है और उसका हम लोगों को हक है। हालांकि यह मुझे कहना नहीं चाहिये था, लेकिन कहना ही पड़ता है कि हमारे यहां के हरिजन बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो उनके लिये भी अलहदा से ख्याल किया जाना चाहिये। उनकी हालत बहुत ही शोचनीय है। नौकरियों में उसका स्थान उन्हें दिया जाना चाहिये। हम लोग बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। हमारी तालीम कोई अच्छी नहीं है। तालीम को अगर देखा जायगा तो उसमें तो वह सेकेंड क्लास ही हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से उन्हें स्थान मिलने में रुकावट नहीं पड़नी चाहिये क्योंकि अभी वह ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं। उनकी तरफ आप को विशेष ध्यान देना चाहिये। अगर नहीं देंगे तो अब वह जमाना भी नहीं रहा कि वह पिछड़े हुए ही हों, उन्हीं से चुनकर हम यहां आये हैं, अगले बार वह दूसरों को भी चुनकर भेज सकते हैं। कुर्मी वगैरह के लिये भी, हरिजन भाइयों की तरफ से मेरी प्रार्थना है, उनको सहायता दी जाय। हमारे यहां के रास्ते बहुत खराब हैं, उनको भी ठीक कराने का इन्तजाम किया जाना चाहिये। स्टेट की वजह से वह खराब पड़े हैं। अब उन सड़कों को ठीक कराया जाना चाहिये। हम बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं उनका अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिये। हम लोग उस जंजीर की छोटी कड़ी हैं। अगर उस कड़ी को लेकर आप नहीं चले तो यह समाज आगे कैसे चल सकता है? अगर ऐसे ही हुआ कि आज जो कुर्सियों पर बैठ गए उन्हीं के भाई भतीजे और रिश्तेदारों को ही जगह मिलती रही तो यह चीज चलने वाली नहीं है। किसी न किसी दिन यह जंजीर खिंच सकती है और ऐसा दिन भी आ सकता है कि यह कुर्सियां आपके नीचे से ऐसे ही खिसक जांय। वहां की जनता ने ही चुनकर हमें भेजा है, अगर वह चुनकर न भेजते तो आज हमें यहां यह सब कहने का मौका न मिलता। मैं तो महात्मा जी को और अपने बड़े-बड़े नेताओं को धन्यवाद देता हूं। ८२ फीसदी जनता की ओर से हम यहां चुनकर आते हैं। बजट में हमें उनका खयाल रखना चाहिये। इस रुपये को बहुत सम्हाल कर खर्च करना चाहिये।

रामपुर में पानी की बहुत परेशानी और दिक्कत है। मीरगंज में जो ट्यूबवेल है वहां भी पानी नहीं मिल पाता है। और रामपुर हमारे पड़ोस से लगा हुआ है, अभी तक वहां पर ट्यूबवेल का इन्तजाम नहीं हुआ है। वहां पर लोगों को बहुत परेशानी है। जब मैं देहात में घूमने के लिये गया तो मालूम हुआ कि लोग बहुत परेशान हैं। एक गांव निवसां है, जब मैं घूमते हुये वहां गया तो लोगों ने बतलाया कि वहां पर नहर के पानी का इन्तजाम ठीक नहीं है। जो नहर वहां पर बनाई गई वह नीची जगह पर बनाई गई। लोगों के खेत ऊंचे पड़ते हैं तो सिंचाई करने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस वजह से पानी उन गांवों में पहुंच नहीं पाता है। इसलिये नहरें जो बनाई जांय वह ऊपरी जमीन पर बनाई जांय यानी वह ऊंची जमीन पर हों ताकि पानी खेतों में आसानी से पहुंच सके। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां पर सब से ज्यादा नहरों की जरूरत है, नहरों का बनाना जरूरी है। हमारे देश में पानी की कभी अधिक रहती है? अभी भी पानी बरसा नहीं है। गांवों में पानी के बिना

हाहाकार मचा हुआ है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि पानी का इन्तजाम जगह-जगह जरूर किया जाय और इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। बस मुझे यही निवेदन करना था और मुझसे अगर कोई गलत लफ्ज निकल गया हो तो उसकी मैं माफी मांगने के लिये तैयार हूं।

श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत ही आभारी हूं कि आज पहली बार आपने मुझे इस सामान्य विवाद पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। मैं आज पांच दिन से इस सामान्य विवाद पर बहस मुबाहसा सुन रहा हूं। उधर के कुछ वक्ताओं की बात सुनकर मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आ जाती है। श्रीमन्, एक राजा के यहां एक नाई था जो उनकी सेवा करने के लिये नियुक्त था। वह नाई राजा का बहुत ही फरमाबरदार था। वह जनता से भी पैसा पाया करता था और राजा से भी, काफी लाभ होता था। वह स्वयं सभी सुखों से सम्पन्न था। इसलिये जब-जब राजा उससे पूछते थे कि कहो, नाई ठाकुर, जनता सुखी है या नहीं, तब तब वह नाई ठाकुर कहा करता था कि राजा साहब, जनता के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं? इस समय राज्य में दूध और घी की नदियां बह रही हैं। इसी प्रकार से आज हमारे उधर के सरकारी बेंचों पर बैठे हुये भाई अपने प्रदेश की जनता की परेशानी को छिपाकर उसी नाई ठाकुर की तरह राजा को गलत रिपोर्ट देते हैं। मैं सभी सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि वह इस हाउस को पार्टी पालिटिक्स का अखाड़ा न बनाकर अपने प्रदेश की सही स्थिति को सामने रखें तो ज्यादा अपने प्रदेश तथा देश के लिये बेहतर होगा और समाज के लिये भी बेहतर होगा।

सामूहिक विकास योजनाओं को तैयार करते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के प्रधान मंत्री हैं, उन्होंने जो भूमिका तैयार की थी उस भूमिका में साफ-साफ यह कहा गया था कि पहली पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने के बाद अपने देश में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं रह जायगा। श्रीमन्, पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और अब यह जो सन् १९६० चल रहा है यह दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति का साल चल रहा है। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर अंग्रेजी हकूमत में बेकारों की संख्या हजारों में थी तो वह आज बढ़कर लाखों में हो गई है और हमारे सामने बैठे हुये मंत्रियों की यही कुनबा परस्ती की नीति रही तो कुछ दिनों में वह संख्या बढ़कर करोड़ों तक पहुंच जायगी। मैं उत्तर प्रदेश की पिछड़ी जातियों का एक पदाधिकारी होने के नाते उससे संबंधित कुछ बाते कहने की जरूरत समझता हूं।

आज अपने प्रदेश में बैकवर्ड जाति की संख्या ६०, ७० प्रतिशत के बीच में है। आज १२ साल की आजादी के बाद भी हमारे प्रदेश में ६०-७० प्रतिशत के होते हुये भी आज तक उसका कोई हाई पावर मिनिस्टर नहीं हो पाया। तो फिर यह कैसे समझा जाय कि हमारे सारे समाज के प्रति आपकी सहानुभूति है? एक कहावत है, उसके अनुसार ही बार-बार कह दिया जाता है कि हमें तुम्हारे साथ सहानुभूति है। लेकिन मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। समाज में जिनकी संख्या ६० और ७० प्रतिशत है उनके कितने ही हाई स्कूल और इंटरमीडियेट शिक्षा प्राप्त और इससे भी अधिक योग्यता रखने वाले लड़के आज मारे-मारे फिर रहे हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलतीं। सदन में रोज प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर माननीय मंत्री जी वही दे देते हैं जो नीचे के अधिकारी लिख कर भेज देते हैं। जिला फतेहपुर के एक विधायक हमारे साथ रहते थे, उनके संपर्क से मुझे भी वहां आने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दो क्लर्कों की जगहें अंतरिम जिला परिषद् में खाली हुईं। वहां परिगणित या पिछड़ी जाति के लिपिक नहीं थे। इसलिये यहां से एक मिनिस्टिर, डिप्टी मिनिस्टर और सेक्रेटरी ने लिख कर भेजा कि इन दो जगहों में से एक शिड्यूल्ड कास्ट और एक बैकवर्ड क्लास के आदमी को, रख लिया जाय। लेकिन हुआ यह कि हमारे उपमंत्री जयराम जी वर्मा के कहने से एक बैकवर्ड आदमी तो रख लिया गया लेकिन दूसरे आदमी को उन्होंने नहीं रखा और उस अधिकारी ने, नियोजन अधिकारी ने, उस जगह पर अपने एक आदमी को रख लिया। तो अगर इस बात को नहीं रोका गया और इन निरीह हरिजनों, पिछड़े हुये लोगों का सन्तुलन बिगड़ने से न रोका

[श्री खयालीराम]

गया तो प्रदेश की क्या बुरी हालत हो सकती है, इसे सब लोग जानते है । हमारे राष्ट्रपिता बापू सदैव कहा करते थे कि तब तक प्रदेश और देश की प्रगति नहीं हो सकती जब तक कि इस देश के रहने वाले, निरीह हरिजनों को आगे न बढ़ाया जायगा ।

मैं उस समाज का हूं जिसकी आबादी का अनुपात इस प्रदेश में ८६.३ का है । इस बजट में उस देहात के लिये क्या रखा गया ? यह ८६.३ प्रतिशत जो लगान और आबपाशी के रूप में रुपया देते हैं, टैक्स के रूप में जो रुपया देते हैं, यानी इस बजट का ३ हिस्सा देते हैं, उन के लिये सरकार द्वारा क्या किया जाता है ? मंत्री लोग जवाब में बताते हैं कि ५,००० मील लम्बी सड़कें बनायी गयीं । लेकिन इससे आप का क्या अहसान ? वह तो श्रमदान से बनती है । उसमें सरकार क्या करती है ? तो इस तरह के आंकड़े पेश किये जाते हैं । देहात में सिंचाई और पुलिस की धाधंली के बारे में क्या कहूं । सिंचाई के लिये एक ही उदाहरण रखूंगा । जिस समय नगरमहापालिका लखनऊ का चुनाव हो रहा है उस समय कुछ देहाती क्षेत्र भी उसमें शामिल कर लिया गया था । एक कांग्रेसी उम्मीदवार को जिताने के लिये हमारे मंत्री जी ने कुछ फसली कुलाबे लगवा दिये और काउन्टिग हो जाने के बाद जब कांग्रेसी उम्मीदवार हार गया तो उनको खुलवा लिया । तो यह सब १९६२ का चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है ।

श्री अधिष्ठाता---सदस्यगण आपस में बात चीत न करें । सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री खयालीराम---अगर इसे प्रजातांत्रिक सरकार का बजट न कह कर पूंजीवादी लोगों का बजट कहा जाय तो कोई बेजा न होगा हमारे खाद्य मंत्री जी ने कहा कि क्या हम अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों को दे दें । आप ऐसा न करें तो कम से कम गरीबों को लूट कर उनका धन अमीरों को तो न दें । अभी दिसम्बर, १९५९ या जनवरी, १९६० से ४, ५ रुपया फी जोड़ा धोती का दाम बढ़ गया । मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया क्या गरीबों के पास जायगा ? यह तो मिल वालों के पास जायगा और वे सब अमीरों की हैं । सरमायादार सब जगह छाये हुये हैं । हमारे सुल्तान आलम साहब ने बढ़ती हुई जनसंख्या पर बहुत खेद प्रकट किया । लेकिन मैं साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि पहले वह अपने साथियों को समझायें जो दर्जनों की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी एक दर्जन बच्चे हो जांय । कौन उनका कहना मानेगा ? पहले वे अपने साथियों को समझायें तब दूसरों से कहें । एक गरीब किसान बच्चे न बनाये, बच्चा कौन बनाएं ? मंत्री, आई० सी० एस० अफसर, गजटेड अफसरों को बच्चे बनाने का आदेश और जो मेहनत करें, कमाकर खिलायें वह बच्चा न बनाएं । क्या गजब की बात, मेरी समझ में नहीं आता ।

इस सदन में भ्रष्टाचार से सम्बन्धित बातें हुआ करती हैं, लेकिन सरकार ने यह भी कभी जाना और हमारे सम्मानित सदस्यों ने भी कभी गौर से इसपर सोचा कि यह भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है ? अगर जितनी तेजी से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उतनी तेजी से विकास बढ़ता तो शायद अपने प्रदेश की कुछ तरक्की हुई होती । भ्रष्टाचार के बारे में सीना खोल कर एक थाने के इंचार्ज और कांस्टेबिल की शिकायत बड़ी हिम्मत से की जाती है, लेकिन कभी यह भी सोचा कि थाना इंचार्ज और कांस्टेबिल क्यों भ्रष्टाचार करते हैं ? वह जिला अधिकारी की परमीशन से करते हैं । उन्हें जिला अधिकारी की परमीशन होती है, हर थाने से उनका कुछ न कुछ बंधा होता है । अगर वह अपने जिले के अधिकारी को २०० रुपया देते हैं तो १,००० पैदा करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती । वह तो खुली छूट होगी । इसलिये अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो पहले बड़े-बड़े अफसरान के सिनेमाहाल फ्री कीजिये, बड़े-बड़े होटल फ्री कीजिये, वह उनसे न लें तो वह भी न लें ।

आज अपने प्रदेश में कोआपरेटिव पर बहुत जोर दिया जा रहा है। कोआपरेटिव के बारें में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह की नीतियां रहीं तो कोआपरेटिव सफल नहीं हो सकते हैं। हमारे यहां पुरसेनी में, जो मऊ के पास है, एक कोआपरेटिव के खजांची, प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ गबन भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, पुलिस की जांच भी हो चुकी है और पुरे गांव के लोग उनके खिलाफ हैं, लेकिन वह कांग्रेसी हैं। इस वजह से इस जिले के प्रभावशाली कांग्रेसी मंत्री जी के यहां बार-बार आ रहे हैं। फाइल मंत्री जी के यहां मंगा ली गयी है। अब क्या होगा, यह मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि वह मामला गोलमाल कर दिया जायगा। तो इस प्रकार की नीतियां दूर की जांय। अगर हम सही माने में उस राष्ट्रपिता की छत्रछाया में बैठे हैं तो हमें उन बुराइयों को निकालना होगा जो उनके अन्दर हैं। इन शब्दों के पास मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)---अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सीधा-साधा स्ट्रेटफार्वर्ड बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। वास्तव में, श्रीमन्, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष का बजट है जिसमें उन सभी बातों के लिये प्राविधान किया गया है जो कि गत वर्षों में करने से रह गयी हैं। इस बजट पर आज ४ दिन से बराबर विवाद चल रहा है। दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को सुनने का मुझे अवसर मिला। इसमें कुछ विशेष बात कही गयी है। पहले हमारे नारायणदत्त तिवारी जी ने अपना एक भय प्रकट किया कि जो कर्जे का बोझ इस राज्य सरकार के ऊपर बढ़ता जा रहा है उससे आने वाली नस्लों को परेशानी होगी और यदि जैसा कि वह ख्वाब देखते हैं, हो सकता है कि एक दिन उन को उधर से इधर बैठना पड़े तो उस कर्जे के बोझ से वह दब जायेंगे। मैं उनका संदेह इस सम्बन्ध में दूर कर देना चाहता हूं। हमारे राज्य पर जो कर्जे का बोझ है कैश, बारो इग नकद, के रूप में वह लगभग २८४ करोड़ का है। लेकिन साथ ही साथ ३६८ करोड़ का असेट भी तैयार हो रहा है और उनको कभी इस बात से घबराना नहीं चाहिये कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडीचर बढ़ा हुआ है, जब इधर बैठने का मौका होगा तो उनको उस कर्जे के बोझ से घबराना नहीं होगा, बल्कि उससे अधिक का धन भी उनको मिल जायगा असेट्स के रूप में।

यही नहीं, यह भी कहा गया कि यह डेफिसिट बजट है। कुछ अर्थशास्त्र के पन्डितों का यह मत है कि किसी भी प्रोग्रेसिव राज्य के लिये डैफीसिट बजट एक अच्छा बजट माना जाता है। १३३ करोड़ के बजट में अगर २.३३ करोड़ का डेफिसिट है तो उस बजट को डेफीसिट बजट कहना मैं नहीं समझता कि कहां तक ठीक होगा। यह डेफिसिट करीब-करीब नहीं के बराबर है। जिस तरह से माननीय तिवारी जी ने कुछ टेक्नीकल आब्जेक्शन्स आडीटर जनरल की रिपोर्ट के तरीके से किये है, यदि उन पर विचार किया जाय और उन्हीं के आधार पर बजट बनाया जाय, तो मैं यह कह सकता हूं कि वह बजट किसी भी वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं कहा जा सकता है। किसी भी वेलफेयर स्टेट के बजट में रिजीडिटी नहीं होती। हम जो भी उसमें प्राविधान बनाते हैं उसमें एक दो परसेन्ट कमी वेशी करने की गुंजाइश रखनी पड़ती है। यह कहना कि जितनी आमदनी है उतना ही खर्च करें और एक कन्जर्वेटिव बजट बना दिया जाय, मैं उनसे, आपके द्वारा, यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का बजट एक कामर्शियल कन्सर्न में तो बन सकता है, किसी भी वेलफेयर स्टेट में नहीं। जिस बजट की वे कल्पना करते हैं वह बजट किसी वेलफेयर स्टेट में नहीं बन सकता।

अधिष्ठाता महोदय, कुछ और बातें भी कही गयीं कि अनप्रोडक्टिव आइटम्स पर खर्चा ज्यादा है और प्रोडक्टिव आइटम्स पर कम है। मैं यह कहूंगा कि किसी भी कल्याणकारी राज्य में जिसमें जनता को सुखी बनाना होता है, उसको सुखी बनाने का संकल्प किया है, उसमें हमें उन चीजों पर ज्यादा खर्च करना होता है जिनसे जनता को अधिक सुख मिले, भले ही उससे हमें कुछ रेटर्न न मिले। जनता के सुख के लिये कितने ही डिपार्टमेन्ट्स हैं जो अनप्रोडक्टिव हैं और हमको खर्च ज्यादा करना पड़ता है।

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

यह भी कहा गया कि इस बजट में टोकेन ग्रान्ट नहीं रखी जाती । इसको तो आडिटर जनरल साहब ही बता सकते हैं । मैं इस सम्बन्ध में बजट मैनुअल का अध्ययन भी नहीं कर सका, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी आब्जेक्शन करने से पहले हमें, चाहें वह आडिटर जनरल करें या नेता विरोधीदल करे, उसकी पृष्ठभूमि को भी जान लेना चाहिये । उत्तरी क्षेत्र में हमको वहां की सुरक्षा के लिये कुछ जिले बनाने हैं । वहां पर सुरक्षा के लिये हमें कुछ कार्यवाही करनी है, उसके लिये हमें कुछ आकार बनाना है, जिसे हम अभी तक सोच नहीं पाये हैं । जो भी आकार उसके लिये हम बनायेंगे उसके लिये हमें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेनी होगी । केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने पर ही हम यह तय करेंगे कि वहां के लिये हमको कितना खर्च करना होगा । तो ऐसी हालत में, इमरजेन्सी के समय, हमारे लिये यही एक उपाय है कि हम टोकन ग्रान्ट के रूप में इस बजट मे प्राविजन करें । मैं समझता हूं इसमें कोई गलती नहीं है ।

श्रीमन्, यह भी चर्चा हुई है कि यह कमी है, वह कमी है, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, परकैपिटा इन्कम नहीं बढ़ी । मैं यह कहता हूं कि अगर आप अच्छी दृष्टि से गत १२ वर्ष तक के कामों को देखेंगे तो आप यह कहेंगे कि बहुत कुछ हुआ और मैं यह भी कहूंगा कि बहुत कुछ होने से रह भी गया है । हमसे गलतियां भी हुई हैं राजा साहब, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि अगर वृक्षारोपण के समय सौ वृक्ष लगाये और उनमें से ५० दरख्त हमारे सूख गये तो ५० तो खड़े हैं । अगर ५० सूखने वालों वृक्षों के लिये कहें तो मैं आपसे यह भी आशा करूंगा कि जो ५० खड़े हैं उनके लिये भी दो लफ्ज अपने मुंह से अवश्य कहें । मैं यह भी जानता हूं कि देश अपने निर्माण के कामों में लगा हुआ है, १२ वर्ष की मियाद कोई बड़ी भारी मियाद नहीं होती, रोम (Rome) भी एक दिन में न बन सका था । हमें और आप को मिलकर कुछ काम करने हैं । दावों का जनतंत्र में कोई स्थान नहीं होता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जितना १२ वर्षों के अन्दर हुआ है वह थोड़ा नहीं है ।

यहां कमीशनों के रिपोर्टों के उद्धरण दिये गये लेकिन उन रिपोर्टों से कोई उद्धरण नहीं दिये गये जो बाहर से आये हुये हमारे माननीय अतिथियों ने यहां की निर्माण योजनाओं को स्वयं देखकर दी हैं । उनकी जो रिपोर्ट है उनका कोई उद्धरण नहीं दिया गया । बहरहाल हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियों से हमको हताश नहीं होना है । उसके साथ ही जो अपनी बजट भाषणों में हमारी गलतियों की तरफ संकेत किया है उनका मैं स्वागत भी करता हूं, लेकिन ऐसी गलतियों में अगर यह बात जैसे आज कही गयी कि यहां पर कोई प्लानिंग कमीशन है, मैं आजतक नहीं समझ पाया कि कौन सा कमीशन है । यहां पर एक स्टेट प्लानिंग बोर्ड है जिसका उद्देश्य है कि जो प्लानिंग में कमियां हों या जो प्लानिंग की कार्यवाहियों होंगी उनमें जो दिक्कतें आवें उनको दिखा सकें और कुछ सुझाव दे सकें लेकिन उस तरह का कोई कमीशन आटोनामस बाडी सा, जैसा केन्द्र का है, हमारे यहां नहीं है । अब इस तरह की बातें अगर कही जांय तो मैं मजबूर हूं, कि उनका जवाब नहीं दे सकता । ५ दिन से बराबर उठक-बैठक करने के बाद समय आपने कृपा करके दिया, लेकिन मेरे दिल के खयालात दिल के ही अन्दर रह गये क्योंकि बावजूद इतनी कोशिशों के मौका भी तब मिला जब १० मिनट में भाषण को खत्म करना है । इतने कम समय में विहंगम दृष्टि से तमाम कार्यवाहियों को कैसे कह सकते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--आपको २ मिनट और दे सकता हूं ।

श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव---धन्यवाद । बहरहाल, गलतियां हुई और सबसे बड़ी गलती जिसकी तरफ आपने संकेत नहीं किया है और वह संकेत में करता हूं, वह गलती हमने यह की है कि जब हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाये हैं, चाहे वह रिहंद डैम बना हो, या माताटीला या अजुंन बांध या खटीमा का पावर हाउस , कुछ भी बना हो, सड़कें हमारी बनीं, अस्प-

ताल बने स्कूल बने, कितनी ही चीजें बनीं, लेकिन ये जो कभी बनी रही वह है, मनुष्यों का दिमाग हमने नहीं बनाया। मैं साफ कहता हूं कि यदि हम सोने का महल भी बना दें और उसके अन्दर रहनेवाला बुद्धू हो तो वह सोने का महल दो कौड़ी का होगा। हम मनुष्यों का दिमाग प्रजातांत्रिक ढांचे के अनुकूल नहीं बना पाये और यही कारण है राजा साहब माफ करियेगा कि आज भी आप उन तमाम कार्यवाहियों को ऐप्रोशियेट नहीं कर पा रहे हैं जिसको १२ वर्षों के छोटे से समय के अन्दर सरकार ने कर डाला है।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त।

***श्री रूर्मासिह** (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज बजट पर वाद-विवाद होते हुये ५ दिन हो गये। सरकार ने जनता के सामने १३३ करोड़ रुपये की मांग रखी है और पिछले वर्ष सरकार ने ११७ करोड़ रुपये खर्च किये थे। यह रुपया कहां से आयेगा, इस बात को देखना है। क्या यह लखनऊ की सड़कों से रुपया आयेगा या महलों से या आसमान और जमीन से फूटकर निकलेगा? जहां तक मैं समझता हूं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रदेश के जितने भी मेहनतकश किसान और मजदूर हैं या कारीगर हैं उनकी मेहनत का जो नतीजा होगा वह इस रुपये की शक्ल में सरकार को मिलेगा। पिछले वर्ष जबकि सरकार ने ११७ या ११८ करोड़ रुपया खर्च किया, उस रुपये को लेते हुये उसने इस बात का आश्वासन दिया था कि इस रुपये को जनता के हित में लगाया जायगा, उनकी सुख सुविधा का इन्तजाम किया जायगा, उनकी जान व माल की हिफाजत की जायगी और उनके जरूरी सवालों को हल किया जायगा। तो अब देखना यह है कि क्या इतना रूपया खर्च करने के बाद भी जनता के जान व माल की हिफाजत हुई या जो जनता के ५ मोटे सवाल हैं, शिक्षा, कपड़ा-रोटी, मकान और दवा के, वह सवाल हल हुये हैं? इसमें कोई मुगालता नहीं है, इस सदन के लोग भी अच्छी तरह से समझते होंगे और सरकार के लाड़ले अफसर भी जानते होंगे और जनता भी अच्छी तरह से जानती है कि जो सरकार ने पहले आश्वासन दिया था उसका कोई भी काम अच्छी तरीके से पूरा नहीं हुआ है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि आज कृषि के सवाल को ले लिया जाय। क्या सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि हमारे प्रदेश में पैदावार बढ़े और हमारा प्रदेश किसी दूसरे देश या केन्द्रका मोहताज न रहे। जहां तक कि गल्ले का सवाल है, आज यही जवाब मिलेगा कि हमारी सरकार इस मामले में फेल हो गई। न तो वह सिंचाई, का बन्दोबस्त कर सकी और न काश्तकारों को समय पर बीज और खाद दे सकी और न काश्तकारों ने जो फसल पैदा की उसकी हिफायत कर सकी। बजट में सिंचाई के लिये जो १८४ लाख रुपया उसके अनुरक्षण और मरम्मत की मद में रखा गया उसको घटाया जा सकता था। सही तरीके से अगर कार्य किया जाय और उस रुपये को घटाया जाय और उसको छोटे-छोटे कुवों, पोखरों और तालाबों के खुदवाने के लिये खर्च किया जाय तो मैं समझता हूं कि इससे सरकार प्रदेश की पैदावार बढ़ा सकती है। साथ ही साथ नहरों पर जो इंस्पेक्शन हाउसेज बने हुये हैं, उनका क्या उपयोग है? कभी-कभी छोटे साहब और बड़े साहब साल में एक दो बार वहां आ जाते हैं और दो तीन दिन रहते हैं। जब बड़े साहब जाते हैं तब तो वहां पर तम्बू और शामियाने भी लग जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में खेती की पैदावार बढ़ानी है तो इन कोठियों को नीलाम कर दिया जाय और उससे जो रुपया आये उसको छोटे-छोटे कुवों, पोखरों और तालाबों के खुदवाने पर खर्च किया जाय, इससे खेती की पैदावार बढ़ सकती है, लेकिन मैं देखता हूं कि सही काम न करके जनता के पैसे को फिजूलखर्ची में लगाया जाता है।

जिला शाहजहांपुर में सूखा, पाला और तेज हवा के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई। खरीफ भी बर्बाद हो गई थी और रबी भी बर्बाद होगई है। अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूमसिंह]
बहुत जो उखड़ो पर सहारा था उसमें भी उखठा लग गया। मेरे जिले में जो गन्ने की हालत है वह मैं सरकार को बताता हूं लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में फसल खराब हो गई है। वहां पर सरकार के अमीन यमराज बनकर पहुंचते हैं और भोले-भाले काश्तकारों के जानवरों को खोलकर परेशान करते हैं और उनसे लगान वसूल करते हैं। खरीफ का लगान तो पहले ही वसूल कर लिया था और अब रबी का भी लगान वसूल कर लिया है। सरकार को पता नहीं चलता है कि उसकी जनता पर क्या बीत रही है। उसके मंत्री तो महलों में और मोटरों पर मौज करते हैं और वे जनता को धोखा देते हैं कि हम केवल १,२०० रुपये माहवार लेते हैं जबकि उनके ऊपर खर्च होता है ५,६ हजार रुपया माहवार।

ब्रिटेन एक मालदार मुल्क है जिसमें ४८ मंत्री हैं और उनमें से केवल ४ मंत्रियों को वहां सुविधायें मिलती हैं, बाकी अपनी तनख्वाह से खर्च करते हैं। इस गरीब मुल्क में तो सरकार का और भी अधिक फर्ज हो जाता है कि पर्दे की आड़ में शिकार न खेले और ईमानदारी से जनता के सामने बजट में रखें कि एक मंत्री पर ५,६ हजार रुपया माहवार खर्च होता है। अगर सरकार सही तरीके से रूपया खर्च करे तो उत्पादन बढ़े, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है।

शिक्षा के लिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को शिक्षा की प्रणाली इतनी दोषपूर्ण है कि उसमें सत्य को प्रतिष्ठा नहीं होती है। जब तक अंग्रेजी का माध्यम खत्म नहीं किया जायगा तब तक शिक्षा की प्रणाली ठीक नहीं हो सकती। अफसर कहते हैं कि जब हमारे मंत्रीगण हिन्दी बोलते हैं तो वह सहम जाया करते हैं और जब अफसर लोग अंग्रेजी में धाराप्रवाह बोलते हैं तो मंत्रीगण सहम जाते हैं, जैसे कि किसी चूहे ने बिल्ली को देख लिया हो। यह सरकार बराबर जनता को धोखा दे रही है कि वह प्राइमरी शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है जबकि इस वर्ष प्राइमरी शिक्षा पर ७ लाख रुपया कम कर दिया गया है। क्या यह गांवों में रहने वाली जनता के साथ धोखा नहीं है ?

इसी तरह से नियोजन में करोड़ों और अरबों रुपया अमीरों की जेब में जाता है और वहां गड़बड़ी हो रही है। बी० डी० ओ० साहब को जीप दे दी गई है और वह सारे क्षेत्र में दौरा करते हैं और क्वार्टर के आगे फुलवाड़ी लगा रखी है और जिससे दोस्ती होती है, जो उनके लाड़ले होते हैं उन्हीं को अनुदान मिलता है। बहुत ४२० चल रही है।

श्री अधिष्ठाता---४२० कहना पार्लियामेंटरी नहीं है।

श्री रूमसिंह--मैं धोखे में कह गया। वहां गड़बड़ी बहुत है, यह मतलब है।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आज बजट भाषण पर सामान्य वाद विवाद के अन्तिम दिन में मुझे बोलने का अवसर आपने दिया है।

मैं २.३३ करोड़ रुपये के घाटे के बजट पर वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं। बधाई इसलिये है कि, जैसा कुछ भाइयों ने कहा, घाटे का बजट प्रोग्रेसिव माना जाता है, वैसे तो साधारण गृहस्थो में यह दिवालियेपन की निशानी है। यह सही है कि स्टेट उन्नति कर रही है और उसके लिये क्या क्या तरीकों से धन संचय करके योजनायें चलाई जा रही हैं, इस नुक्तेनिगाह से यह बजट बधाई का पात्र है।

बजट में कई बातें रखी गई हैं जो विशेष महत्व की मानी गई हैं। नेशनल कैडेट कोर की संख्या बढ़ाई गई है। पंचायतों को कुछ अधिकार दिये गये हैं जिनके द्वारा कुछ निर्माण कार्य कराये जावेंगे और सिंचाई के कार्य भी उसमें सम्मिलित हैं। तीसरी बात, जिसका इसमें जिक्र नहीं है, यह है कि हमारी सरकार की ओर से भी ओ० टी० सी० की ट्रेनिंग में कुछ लोग भेजे जाते हैं। इसमें नान-आफीशल्स और आफीशल्स दोनों एक ही जगह इस तरह से रहते हैं कि एक दूसरे के विचारों का मत-भेद समझने की कोशिश करते हैं और उनके बीच की खाई

से जो रुकावट होती है वह दूर होती है। यह बात भी है कि ज्ञान-आफीशल्स द्वारा जो कमियां बताई जाती हैं उन्हें आफीशल्स अपनी बुराई समझ बैठते हैं। इससे उनका दिमाग ऐसे खराब रास्ते पर चला जाता है जैसे कोई चिढ़ा हुआ आदमी दूसरे रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। मैं भी इस ट्रेनिंग में रही थी। हमारे विकास खंडों के अलावा उसमें बिहार, बंगाल और दूसरे प्रदेशों के भी लोग शामिल थे। उनसे हमारा सम्पर्क रहा और विचारों का भेद कुछ सही मानों में दूर हो सका। यह कमी क्यों पाई गई? आज विकास खंडों के चलाने-वालों का चुनाव शहरी क्षेत्रों से होता है जिन्हें ग्रामीण जनता के प्रैक्टिकल ज्ञान का अनुभव नहीं है और न उसका कुछ पता है। विचार देने की और फुसलाने की भावना तो बहुत अच्छी है लेकिन ग्रामीण जनता को उससे कितना लाभ होता है, यह भी देखने की बात है।

इस बजट में हरिजनों और महिलाओं का जिक्र न होना बड़े दुख की बात है। आज हरिजन भाई मांग करते हैं कि उनके लिये उत्थान के कार्य कर उनका जीवन प्रगतिशील बनाया जाय। क्या महिलाओं को बैकवर्ड मानकर उनका उत्थान करने की आवश्यकता नहीं है? क्या वे इसकी हकदार नहीं है?

अब जैसे एक सवाल उठता है कि ग्रामीण जनता के लिये कुछ कार्य चलाये गये हैं जिनका प्लानिंग विभाग से सम्बन्ध है। सही है, लेकिन मैं सोचती हूं, जैसा मैं अभी जिक्र कर रही थी कि बी० डी० ओज० आदि का चुनाव ग्रामीण जनता की संख्या में से होना चाहिये था।

आज कोआपरेटिव सोसाइटी की बात की जाती है और सहकारिता आन्दोलन का जिक्र चला आ रहा है, लेकिन मैं जानती हूं और क्या लोगों को मालूम नहीं है कि आज भी सुपर-वाइजरों का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी ग्रामीण जनता के नवयुवकों को लेने का कोई खयाल नहीं रखा जाता है? अगर परसेन्टेज देखा जाय तो शहरी जनता के नवयुवकों को ही चुनाव म ज्यादा से ज्यादा लिया जाता है। इस माने में आप ग्रामीण जनता का कोई भला नहीं कर रहे ह। आप उनको ट्रेनिंग देने के लिये रुपया खर्च करते हैं और जब वे ट्रेनिंग पाकर गांवों में जाते हैं तो उनको दहाती भाइयों का आर्थिक व्यवस्था ज्ञान समझ म नहीं आता। अगर ग्रामीण नवयुवक उसमें आते तो आपको इतना रुपया भी ट्रेनिंग के लिये नहीं खर्च करना पड़ता क्योंकि खुद उनके दिमाग में ये सारी चीजें पहले से ही धरी होती जिससे वे ज्यादा सुचारू रूप से काम कर सकते। तो इन बातों को सोचना है।

हरिजन भाई अपना परसेंटेज मांगते हैं कि हर नौकरी में हमारा परसेंटेज होना चाहिये। तो उसी तरह से क्या ये ग्रामीण भाई भी इसकी मांग नहीं कर सकते हैं कि उनका भी परसेंटेज होना और चाहिये सर्विसेज के चुनाव में उनकी संख्या का भी ध्यान रखना चाहिये? इस सम्बन्ध में मैं कह दूं कि इस तरह की ट्रेनिंग में जो आपका ज्यादा रुपया खर्च होता है उसकी बचत हो सकती है।

समय की परिधि के अन्दर रहते हुए मैं तीन चार बातों का और जिक्र करना चाहती हूं। सन् १९५५-५६ के बजट को पेश करते हुए उस समय के वित्त मंत्री हाफिज जी ने अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि नौकरियों के अन्दर जो अनुपात है उसको कम करने की कोशिश होगी। उस समय के बजट भाषण के अनुसार अनुपात १ और १३ का था, जो अब बढ़ कर सन् ६० में १ और ४० का हो गया है। यह एक दुख का विषय है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी जिक्र किया था कि बचत के लिये इकोनामिक ड्राइव चलाया जायगा। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या वह योजना सुषुप्त अवस्था में पड़ गयी? जो एस्टीमेट कमेटी बनायी गयी है वह केवल कुछ मेम्बरों को खुश करने के लिये, उनको टी० ए० देने के लिये ही बनायी गयी है जब कि उसका कोई सुझाव कार्य रूप में परिणत ही नहीं होता। इस माने में तो मैं यह समझती हूं कि यह जनता को तथा अपने को धोखा देना है।

एक बात का जिक्र मैं और यों कर दूं कि ३१ मार्च तक जितना रुपया बजट में है, वह सब खर्च कर देने की एक पुरानी परिपाटी सी हमारे यहां चली आ रही है और उसी रीति को अभी

[श्रीमती चन्द्रावती]

तक निबाहा जा रहा है। मैं सोचती हूं कि जल्दी में, खराब रूप में खर्च करने की जो यह प्रणाली है इसको बदलने की जरूरत है ताकि समय के अन्दर जो रूपया न खर्च हो सके और बच जाय उसे भविष्य के लिये उस विभाग द्वारा खर्च करने के लिये दे दिया जाय। उसी पुरानी लकीर को बराबर पीटे जाना ठीक नही हैं। मैं समझती हूं कि इससे कार्य भी अच्छी तरह से हो सकता है और काफी बचत होने की सम्भावना भी रहेगी।

अब मैं समाज कल्याण के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहती हूं। मैं हमेशा इस पर जोर देती रही हूं कि डिपार्टमेंन्ट्स में कोआर्डिनेशन होना चाहिये जो बहुत जरूरी है? हमारे यहां नारी मंगल योजना तो प्लानिंग विभाग द्वारा चलायी जाती है और समाज कल्याण योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जाती है। एक ही तरह के काम हैं जो दो विभाग द्वारा कराये जाते है और एक ही संस्था को तीन-तीन, चार-चार विभागों से अनुदान दिये जाते हैं। इस तरह की चीजें दूर होनी चाहिये। देहरादून में एक म्यूजिक आर्ट संस्था है जिसे समाजकल्याण विभाग अपना अनुदान देता है, प्लानिंग विभाग भी अनुदान देता है और हरिजन कल्याण विभाग भी अनुदान देता है। इसके माने वेस्टेज आफ मनी नहीं है तो और क्या है? इसी काम को एक ही विभाग द्वारा चलाया जाता है तो खर्च भी कम होता है और काम भी वही चलता है जो सरकार करना चाहती है।

*श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कांग्रेस दल की तरफ से बहुत से सदस्यों ने माननीय वित्त मंत्री जी को बजट के सम्बध में बधाई दी, मैं भी उनको बधाई देता हूं। वास्तव में कांग्रेस शासन की तरफ से जो कहा जाता है कि कांग्रेस शासन में तरक्की हुई है तो हमें तो एक तरक्की अवश्य देखने को मिली कि सन् ३७ में जो बजट १२ करोड़ का था वह अब बढ़कर १ अरब ३३ करोड़ का हो गया। इस तरक्की के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी तथा कांग्रेस मंत्रि मंडल को बधाई देता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे तुलसीदास जी की एक चौपाई याद आती है कि "जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दिवगुण कपि रूप दिखावा" मैं अब इसको यों करता हूं "कि जस जस कांग्रेस राज चलावा, तासु प्रतिदिन टैक्स पर टैक्स लगावा"।

जहां तक बजट का सवाल है, वह तो बढ़कर १२ करोड़ से एक अरब ३३ करोड़ का हो गया। बजट हमारी समझ से केवल वहीं बढ़ना चाहिये कि जहां व्यक्तियों की आय भी बढ़े, लेकिन जितने हमारे यहां के निर्धन गरीब व्यक्ति हैं, जितने देहात के रहने वाले हैं, चूंकि प्रदेश की अधिकतर जनता देहात की है उनकी प्रति व्यक्ति आय बराबर घटी है। यों तो हर एक बात पर समय हो तो चर्चा हो सकती है, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिये मैं कुछ खास बातों की ही चर्चा करूंगा। मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां पर....

श्री अधिष्ठाता---आप जिले का नाम तो बता दें।

श्री नन्दराम---प्रतापगढ़। सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम खाद्य के बारे में आत्म-निर्भर होना चाहते हैं लेकिन सरकार ने उसके बारे में क्या किया, केवल कहने की बात दूसरी है। उसके लिये समय से बीज मिले खाद मिले, सिंचाई का उत्तम प्रबन्ध हो तब ही वह हो सकता है। लेकिन सरकार की जो बीज की नीति है वह ऐसी है कि बीज उस समय मिलता है जब किसान खेत बो चुकता है। जहां गेहूं के बीज की जरूरत होती है वहां चने का मिलता है और जहां चने के बीज की जरूरत होती है वहां जौ का मिलता है। परमिट मिल जाते हैं लेकिन खाद उस वक्त आता है जब सिंचाई हो चुकती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि परमिट लोगों को मिल गये लेकिन वह सामान उन को समयसे नहीं मिला और वसूली का तकाजा भी पहुंच गया। यह बड़े अन्धेर की बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हमारे यहां एक गांव है काजीपुर करम हुसैन, वहां पर लोगों को खाद का परमिट मिला, रुपया वसूल हो गया, लेकिन सामान नहीं मिला और बीज भी नहीं मिला।

अब मैं थोड़ा ध्यान सरकार का चिकित्सा के बारे में भी दिलाना चाहता हूं। हम ५४० विधायक हैं और हमारे लिये एलोपैथिक चिकित्सा का प्रबन्ध है। यहां बलरामपुर हास्पिटल डिसपेंसरी में भी है और हर माननीय सदस्य के लिये जिले में भी सिविल सर्जन के द्वारा चिकित्सा का प्रबन्ध है, लेकिन देहात में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां कोई चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है। मेरी डबल कांस्टीट्युएन्सी है, हमारे यहां ३ परगने हैं मानिकपुर, ढेन्गस और बिहार, लेकिन वहां एक भी अस्पताल नहीं है और जो कांग्रेस के एम० एल० एज० हैं उन का घर जहां पड़ता है वहां ८ अस्पताल हैं। मेरे यहां १ लाख ६५ हजार वोटर हैं जब कि मानिकपुर में केवल ७५ हजार वोटर हैं लेकिन हमारे यहां एक भी अस्पताल बिहार में नहीं है। डरवाहा में ४ सड़कें मिलती हैं और कुंडासा से प्रतापगढ़ को सड़क जाती है, उस पर १२ लारियां रोडवेज की चलती हैं और जिल का सब से बड़ा बाजार वहां लगता है लेकिन कोई अस्पताल वहां नहीं है। जनता की मांग है कि वहां अस्पताल जरूर खोला जाय। वहां जनता की मांग है कि एलोपैथिक अस्पताल जरूर होना चाहिये। दूसरी जगह है बाघरा। वहां थाना है, जूनियर हाई स्कूल है। लेकिन इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां की जनता आयुर्वेदिक अस्पताल चाहती है।

सरकार का बहुत बड़ा खर्च पुलिस पर होता है। सरकार कहती है कि हरिजनों की हम बड़ी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो काम हो रहा है वह यह है कि जितने भी १०९ में झूठे चालान किये जाते हैं उनमें ९९ परसेन्ट हरिजन होते हैं। एक केस मेरे निर्वाचन क्षेत्र मोलीं का है। ३ हरिजनों को गिरफ्तार किया गया और शाहमई मौजे से उन पर केस चलाया जाता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब एक हरिजन औरत को गिरफ्तार करके ले गये। उसके गांव वाले जमानत दे रहे थे लेकिन उसे नहीं छोड़ा। थाने पर एक दिन रखा। अगले दिन जमानत पर छोड़ा। उस औरत ने केस दायर किया। अब वह साहब सैशन सुपुर्द हैं, लेकिन उन्हें सुस्पेन्ड नहीं किया गया बल्कि तरक्की देकर कोतवाल बनाकर भेजा गया है। यही पुलिस का काम है? यही हरिजनों की सरकार मदद कर रही है? डरवाहा' जिसका मैंने जिक्र किया, जो एक खास जगह है, एक बहुत बड़ी आबादी है, एक खास सड़क पर है जो कुन्डा तहसील से प्रतापगढ़ को जाती है और जिस सड़क पर १२ लारियां चलती हैं, प्रतापगढ़ जिले का सबसे बड़ा बाजार है, वहां एक हरिजन पुस्तकालय है जिसको एक हरिजन कार्यकर्त्ता बड़ी सुगमता से चला रहे हैं। बहुत से निरीक्षण हुए। उस पुस्तकालय की सबने तारीफ की। लेकिन उस जिले के कांग्रेस एम० एल० ए० और वहां के अधिकारी लोग उस पुस्तकालय को हटाना चाहते हैं और एक ऐसे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका मैं आज तक नाम नहीं जानता और लोग तो क्या जानते होंगे। यह हरिजनों के साथ न्याय हो रहा है।

इस बजट में गरीबों के लिये क्या रखा है? हर जगह देखा गया है कि जितने भी टैक्स हैं सब आमदनी पर होते हैं। धंधे पर नहीं होते। लेकिन सरकार की नजर में खेती एक ऐसा धंधा है जिसमें आमदनी हो चाहे न हो, टैक्स लाजमी लगाना है। किसान को लगान जरूर देना पड़ेगा। हमारी सोशलिस्ट पार्टी की मांग थी कि कम से कम जिस तरह और लोगों की तीन हजार या कुछ आमदनी छोड़ कर इन्कम टैक्स लगा है उसी तरह किसानों पर भी कुछ आमदनी छोड़ कर टैक्स लगाया जाय। सरकार की किसी कमेटी की रिपोर्ट है कि १० बीघे तक का किसान ऐसा है जिसको कोई लाभ नहीं होता। इसलिये हमारी सोशलिस्ट पार्टी की मांग थी कि १० बीघे तक के किसान तक का लगान माफ होना चाहिये। लेकिन बजट में इसकी तरफ कोई इशारा नहीं है।

हमारे यहां सिंचाई का जो प्रबन्ध है वह इतना दोषपूर्ण है कि शुरू में कुछ नहरें खोल दी जाती हैं और किसान जब खेत बो लेते हैं तो बाद में उनको हरी झंडी दिखा दी जाती है और फसल सूख जाती है। अभी खरीफ की फसल प्रतापगढ़ जिले में और खास कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो सूख गई है उससे जनता बहुत परेशान है। हालांकि छूट मिली है लेकिन इतनी

[श्री नन्दराम]
नहीं मिली कि हालत सुधर जाय। छूट देने में भी पक्षपात है। सरकार की तरफ से कोई पड़ताल नहीं हुई। कुछ किसानों को छूट दी गई और कुछ को नहीं दी गई। जब पड़ताल नहीं हुई तो यह कैसे पता चला कि किसकी पैदावार अच्छी हुई और किसकी नहीं।

दूसरे, आजकल जो पर्चे बांटे जा रहे हैं लेखपालों के द्वारा वह एक-एक रुपया लेकर दिये जा रहे हैं। सरकार में क्या लेखपाल क्या राज्यपाल सभी में भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार का कैसे निवारण किया जाय ? इसके अलावा किसान जो माल पैदा करता है उसकी भी सरकार को कोई परवाह नहीं है। उसका माल लूटा जाता है। जब अनाज पैदा होता है तो उसके ऊपर बोझ इतने पड़ जाते हैं कि कहीं लगान है, तकावी है, टैक्स देना है, इन सब के कारण उसको अपनी फसल बेचनी पड़ती है और सस्ते दाम पर बेचनी पड़ती है। लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि किसान के माल का भाव मुकर्रर किया जाय। हमारी पार्टी की मांग है कि किसान के माल का भाव ऐसा मुकर्रर किया जाय कि जिस भाव पर वह अपना माल बेचे तो दूसरे महीनों के भाव में अधिक से अधिक १ आने सेर का ही अन्तर हो इससे ज्यादा नहीं। जो कारखानों का माल है उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। हमारी मांग है कि इसका भी बजट में जिक्र होना चाहिये था कि मिल का माल किसी भी सूरत में लागत के डेढ़ गुने से ज्यादा दाम पर नहीं बिकना चाहिये। कारखाने के माल और किसान के माल के दाम में संतुलन होना चाहिये ताकि जब किसान का माल मंहगा बिके तो मिल का माल भी मंहगा बिके और जब किसान का माल सस्ता बिके तो मिल का माल भी सस्ता बिके। इन बातों के साथ में इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल (जिला बदायूं)--अधिष्ठाता महोदय, विरोधी पक्ष के भाषणों में एक चीज पर ज्यादा जोर दिया गया है कि जितनी बड़ी-बड़ी सरकारी इमारतें हैं, चाहे उसमें कार्यालय हों या मिनिस्टर आदि रहते हों, उनको गिरा दिया जाय। इसके अलावा इस बात पर भी बहुत जोर दिया गया कि एम० एल० एच० के लिये जो मेडिकल फसिलिटीज हैं यह बन्द कर दी जायं, लेकिन तारीफ की बात यह है कि उन्हीं फेसिलिटीज का विरोधी पक्ष के लोग भी फायदा उठाते हैं। जब देखिये तो बलरामपुर में स्पेशल वार्ड में उसका फायदा ले रहे हैं। पहले वह लोग इसका फायदा उठाना बन्द करें, मेडिकल फेसिलिटी का इस्तेमाल न करें, दारुलशफा में न रहें.....

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---आपने कहा कि विरोधी दल को फायदा नहीं उठाना चाहिये तो कोई दूसरी जगह विरोधी दल के लिये बता दीजिये।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--मान्यवर, अगर विरोधी दल मिसाल कायम करके इस बात को कहता तो ठीक था, लेकिन फायदा भी उठाना चाहते हैं और विरोध भी करना चाहते हैं, और जरूर करेंगे। यह नहीं देखेंगे कि सरकार ने १०, १२ वर्ष में कितनी तरक्की की है। यह सही है कि जितनी तरक्की होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई, लेकिन जो काम सरकार ने अच्छे किये हैं उनकी कम से कम तारीफ भी तो करनी चाहिये। चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये जो यात्रा भत्ते में सुविधा दी गई उसका किसी ने जिक्र नहीं किया।

प्रदेश में सैनिक स्कूल की जो योजना रखी है उसका मैं स्वागत करता हूं। यह सही है कि भारत के अन्दर हमारे प्रदेश की पोजीशन मिलिट्री में हायर पोस्ट पर दूसरे प्रदेशों के मुकाबले कम रही है। इन स्कूलों के खुल जाने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा तथा हमारे प्रदेश के लोग आर्मी में ऊंची पोजीशन पर जा पायेंगे साथ ही प्रदेश में डिसिप्लिन भी ऊंचा होगा। मेरी राय तो यह है कि सारे स्कूलों में मिलिटरी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी जानी चाहिये। १०, १५ सालों में स्कूल बहुत बढ़े हैं, लेकिन अनुशासनहीनता भी बढ़ रही है। इसको रोकना बहुत आवश्यक है। जब तक लोगों का कैरेक्टर ऊंचा नहीं होगा तब तक देश की प्रगति होनी मुश्किल है।

थोड़ी सी चर्चा मैं कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में करना चाहता हूं। यह सही है कि सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी को स्थापित करने के लिये कोआपरेटिव की बहुत बड़ी महत्ता है, लेकिन जिस प्रकार कोआपरेटिव का महकमा चल रहा है लोगों में उसके प्रति कोई विशेष सद्भावना या विश्वास पैदा नहीं हो रहा है। हमारे जिले बदायूं में कोआपरेटिव के भट्ठे चल रहे थे, उनमें ६ लाख का गबन हुआ। एक कमेटी A. Z. P. की बैठाई गई जो विस्तृत रिपोर्ट हाउस के सामने पेश करे, लेकिन दो साल हो गये आज तक वह रिपोर्ट नहीं आई। माननीय मंत्री जी देखेंगे कि इस तरह का घपला जहां कहीं हो, उसकी छानबीन की जाय और पूरी सजा दी जाय। छोटे अधिकारियों को ही न दी जाय, केवल सुपरवाइजर्स या कामदारों को ही पनिश करना काफी नहीं है, जब तक कि ऊपर के जिम्मेदार अफसर, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर्स को भी, सजा न दी जाय।

एक चीज की ओर मैं जरूर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमको आजादी मिले हुए करीब १५ साल हो गये लेकिन आज भी हमारे अफसरों के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। आज भी वे लोग उसी तरह से बने हुए हैं जैसे अंग्रेजों के जमाने में थे। डेमोक्रेसी की परम्परायें चलाने के लिये आवश्यक है कि वे लोग जनता के सेवक बन कर काम करें, न कि गबन करने की भावना अपने अन्दर रखें। जिलाधीशों की मनोभावना आज भी वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी और उनकी मनोवृत्ति नहीं बदली। जिले के स्तर पर जितनी कमेटियां बनती हैं उनका चेयरमैन जिलाधीश बनाया जाता है और इस प्रकार डेमोक्रेसी का हनन किया जाता है। मेरा सुझाव है कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जो कमेटीज बनायी जायं, जिनमें फायनेन्शियल मैटर्स इंवाल्व न हों उनमें जिला नान-आफिशियल को चेयरमैन बनाना चाहिये।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिजाल्व हो। आश्वासन मिला कि जिला परिषद् के चुनाव जरूर होंगे लेकिन नहीं कहा जा सकता कि कब तक चुनाव होंगे। जिलाधीशों को यह सुझाव दिया गया था कि वाइस प्रेसीडेंट को पावर्स डेलीगेट की जायं। मैं समझता हूं कि सूबे भर में शायद मुश्किल से ५२ जिलों में १०-११ जिले ऐसे होंगे जहां पर जिलाधीलों ने पावर्स वाइस प्रेसीडेंट को डेलीगेट की हों। इससे जहनियत साफ जाहिर होती है कि वे लोग सारी शक्ति अपने हाथ में केन्द्रित करके जनता के नुमाइन्दों को बेइज्जत करना चाहते हैं और उनको हर प्रकार से दबाना चाहते हैं।

जहां तक हमारे देश की पर कैपिटा इन्कम का सवाल है, इसके सम्बन्ध में भी काफी चर्चा हाउस में रही है। हमारी लैंड पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे प्रान्त का नहीं हो रहा है जिससे पर कैपिटा इन्कम घटी है। दूसरा कारण यह है कि हमारी आबादी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। जितनी इन्कम बढ़ती है उतनी ही आबादी बढ़ जाती है। इंडस्ट्री को ऊंचा उठाने के लिये हमारी सरकार ने हाल ही में एक हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लान कमेटी सेट अप की है और उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी है। आशा है कि उससे कुछ हालत सुधर सकेगी, लेकिन हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री क्यों नहीं पनप रही, इसका कारण भी सरकार को देखना चाहिये। मैनुअल लेबर की कमी नहीं, रा-मैटीरियल की कमी नहीं लेकिन पावर जो इंडस्ट्री की जान है उसकी कमी है और उसके रेट्स इतने ज्यादा हाई हैं कि लोगों को यहां इंडस्ट्री लगाना सूट नहीं करता।

आज जमींदारी खत्म हो गयी और कई प्रकार के रेवोल्यूशन इस देश में हुए लेकिन आज भी प्राइवेट लाइसेन्सीज एलेक्ट्रिक कम्पनीज को चला रहे हैं। वे कोई काम नहीं करते सिवाय इसके कि सरकार को धोखा दें, अपने खर्चे बढ़ा-बढ़ा कर बिजली का रेट बढ़ायें और हर साल एक मोटी रकम कमीशन के रूप में पायें। सरकार के लिये इन कम्पनियों को नेशनलाइज करना बहुत आसान है। हाइडेल डिपार्टमेंट को उन्हें सौंपा जा सकता है और अब एक एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमारे प्रदेश में बन गया है। इन कम्पनीज के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी दशा

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

पिटीशनबिल है। हमारे उझानी में जो सप्लायर्स हैं उनके स्विचेज अंगारे की तरह जलते रहते हैं और डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं पाता क्योंकि कुछ न कुछ घपला हो जाता है लेकिन लोगों की इंडस्ट्री व जानते हैं कि कितनी तकलीफ उनको है।

अब मैं थोड़ा सा हेल्थ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारे उझानी में दो डिस्पेंसरीज हैं, एक मेल और दूसरी फीमेल। दोनों में सैलरीज और भत्ते पर ७-७ हजार रुपया साल में खर्च आता होगा लेकिन दवाओं पर साल में केवल १ हजार रुपये का खर्च है और करीब ४० हजार आदमी अपना इलाज कराने के लिये उनमें आते होंगे। आप जरा अन्दाज करिये कि एक आदमी को २ नये पैसे में क्या दवा मिल सकती है। तो यह आवश्यक है कि वहां दवाओं की तादाद बढ़ाई जाय। मेरी तो यह प्रार्थना है कि उझानी की डिस्पेंसरीज को जरूर प्राविंशियलाइज कर दिया जाय क्योंकि जो डिस्पेंसरीज प्राविंशियलाइज्ड हैं उनको करीब ढाई हजार रुपया सालाना ग्रांट के रूप में मिल जाता है; इसलिये कुछ न कुछ दवाओं की तादाद तो बढ़ ही जायगी।

इसके अलावा, मेरी एक प्रार्थना सरकार से यह भी है कि वह आंकड़े बहुत इकट्ठा करती है लेकिन अगर वह एक हाई पावर कमेटी नान-आफिशियल की बनाये और आफिशल्स भी उसमें रहें, जो यह देखें कि प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ती है, क्यों नहीं किसान की पैदावार, इंडस्ट्री की प्राडक्टिविटी बढ़ती है, तो इससे बड़ा फायदा होगा। वह कमेटी जा-जा कर किसानों से पूछे कि क्या कारण है जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाती, क्या तुमको वक्त पर पानी नहीं मिला, बीज नहीं मिला, खाद नहीं मिली। इसी प्रकार हर इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा कर पूछे कि असल में उनको दिक्कत क्या है; तो इससे बड़ा लाभ होगा और सरकार को उन कठिनाइयों को दूर करने में बड़ी आसानी होगी। आज दूसरे देशों की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गयी है और जापान की तो मोर दैन हन्ड्रेड टाइम्स बढ़ गयी है, लेकिन हमारे देश की प्रोडक्टिविटी आज भी उतनी ही है।

श्री अधिष्ठाता---आपका समय समाप्त हो गया।

***श्री मुकुटविहारी लाल अग्रवाल** (जिला बाराबंकी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, उस पर विचार व्यक्त करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं मैं यह देखता हूं कि हर वर्ष बजट प्रस्तुत किया जाता है; और विरोधी पक्ष की ओरसे सुझाव आने पर यह कहा जाता है कि सरकार के पास धन नहीं है, और बाद में वही बजट बढ़ कर कई करोड़ अधिक का हो जाता है और सरकार जिस प्रकार से चाहती है पैसा खर्च कर लेती है। सन् ५८-५९ का बजट जो सदन में प्रस्तुत किया गया था वह ११२ करोड़ का था और इस वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह १३३ करोड़ का है। इस तरह से २१ करोड़ रुपया सरकार अधिक इस वर्ष खर्च के लिये मांग रही है।

हम देखते हैं कि हमारे टैक्सों के रूप में आने वाली रकम अधिकतर गांवों से आती है, हमारे उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग खेती पर निर्भर करते हैं या उनके जीवनयापन का साधन मजदूरी है। हम यह भी देखते हैं कि जो केवल २० प्रतिशत लोग शहरों या कस्बों में रहते हैं, अधिकतर हमारी योजनायें उन्हीं के ऊपर पैसा खर्च करने की होती हैं। अगर कोई योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की होती हैं तो उन पर भी जो थोड़ा खर्च किया जाता है, उसका बहुत बड़ा भाग कर्मचारियों पर या भष्टाचार में समाप्त हो जाता है। हम सब लोग यह मानते हैं कि हमारे प्रान्त के अन्दर अगर ग्रामीण जनता न उठी तो हमारा देश कहां जायगा। आज देहात और शहर के बीच लगभग साढ़े तीन, चार गुने का अन्तर है। देहात की आमदनी १९५ और शहर की आमदनी ६ सौ कुछ मानी गयी है। देहात की अधिकतर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता बहुत गरीब है जिसकी आमदनी आंकड़ों से नहीं आंकी जा सकती। जो लोग देहात से आते हैं वे जानते हैं कि देहात के लोगों को पहनने को वस्त्र और एक समय भोजन भी नहीं मिलता। इसलिये सरकार अपनी योजनाओं में बदल करे, एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास करे। मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि अपने इस प्रस्ताव को वापस ले कर दूसरा बजट प्रस्तुत करें। उसमें, इस देश की अधिकतर जनता, जिसकी ओर दुर्लक्ष्य किया गया है, उस पर खर्च करने का प्रयास करें।

श्रीमन्, आज हमारी योजनाओं की असफलता का कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि हम जिन लोगों क लिय योजनाएं बनाते हैं, उनका उन पर से विश्वास हटता जा रहा है। वे उन योजनाओं म शामिल होने के लिये तैयार नहीं हैं। करोड़ों रुपया प्लानिंग पर खर्च किया जाता है; लेकिन अगर हम कार्य देखें तो जिस काश्तकार को पचास रुपये मिलने होते हैं, जब तक उसे मिलते हैं, वे २५ रुपये ही रह जाते हैं; कठिनाई का सामना उसे अलग करना पड़ता है। ऐसी हालत में काश्तकार कैसे प्रगति कर सकता है? काश्तकार को कितने ही किस्म के टैक्स देने पड़ते हैं, उसका मैं एक उदाहरण दूं। १९४९–५० से पंचायतों में टैक्स लगाये गये हैं। मैं अपने क्षेत्र, विशेषकर बाराबंकी जिले की बात कह रहा हूं। वहां दस वर्ष से पंचायत टैक्स नहीं वसूल किया गया है। अब सेक्रेटरियों द्वारा कुर्की हो रही है और उन बचारों के बैल वगैरह से पैसा वसूल करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि के टैक्स भी वसूल किये जाते हैं। जिन अलाभकर जोतों पर कोई लाभ नहीं हो पाता है, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। मैं भारतीय जनसंघ की ओर से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम अलाभकर जोतों का लगान माफ कर दिया जाय। हमारे यहां टैक्सेशन में एक तरीका बना दिया गया है, एक सीमा बांध दी गयी है, जिसके नीचे टैक्स नहीं लिया जाता है। इस प्रकार की नीति हमें बनानी चाहिये कि हम छोटे काश्तकारों से लगान नहीं लेंगे। यह तभी सम्भव हो सकता है जब हम इस बात को मान लें कि वह जमीन का मालिक है। लेकिन आज बड़े गर्व से सरकार द्वारा यह कहा जाता है कि जमीन की मालिक सरकार है।

चकबन्दी की असफलता का कारण यह है कि हम समय से पहले हर कार्य को करना चाहते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती। आज हमारे प्रदेश का काश्तकार, मजदूर बिलकुल बेहाल हैं। आज उत्तर प्रदेश, देश में सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। चकबन्दी में किस प्रकार भ्रष्टाचार भरा हुआ है? अगर कोई कमेटी बठे और वह जांच करे कि काश्तकारों को लाभ हुआ है या नुकसान हुआ है, तो तथ्य का पता चलेगा। आज काश्तकार की लुटिया थाली सब बिक चुकी है और वह बुरी तरह परेशान है। इस प्रकार से, मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, सभी जब यहां से उठते हैं और आपस में बातें करते हैं तो इसी प्रकार की कठिनाई दिखाई देती है। फिर मरी समझ म नहीं आता कि इस बात को जानते हुए भी, केवल थोड़े से लोगों के आधार के ऊपर जिनकी कि जिन्दगी ब्रिटिश हुकूमत के सांचे में ढली हुई है, जो विदेशी परम्पराओं पर चलते हैं, उनके कहने के आधार पर, जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो कैसे देश की तरक्की कर सकते हैं। भारतीय सभ्यता के आधार पर अगर हम देश का निर्माण करें और उसके कल्याण की बात सोचें तो मैं विश्वास करता हूं कि उस प्रकार से, यदि आप जनता का सहयोग चाहेंगे तो, जनता सहयोग क लिये हर तरह से तैयार होगी।

आज काश्तकार के पास पैसा न होने के कारण जो जमीन उसके पास है उसको भी वह काम में नहीं ला पाता। उसके पास बैल नहीं हैं और बैल खरीदने के लिये पैसा नहीं है, फिर वह खेती कैसे करे? अभी पिछले दिनों इसी सदन ने गोहत्या–बन्दी का कानून पास किया; लेकिन उत्तर प्रदेश में आज १२ वर्षों के अन्दर जितनी गोहत्या बढ़ी है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। (व्यवधान) अभी एक सज्जन कह रहे हैं कि यह बात गलत है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अभी आठ रोज पहले की बात है, बाराबंकी में एक गांव के अन्दर ३८ गायें बूचरों

[श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल]

द्वारा लायी गईं। तमाम गांव के लोगों ने पकड़ा। उनको पकड़कर चालान करन के लिये ले गये। लेकिन कहा जाता है कि कानून इस काबिल नहीं है कि उनको पकड़ा जा सके। दूसरी एक घटना और इसी तरह की है जिसमें २० गायें पकड़ी गईं। जब इस तरह से गोवंश की हत्या होगी तो आगे चलकर पता नहीं हमें उनका एक भी बच्चा देखने को मिलेगा या नहीं। ऐसी स्थिति में जबकि हमारे पास दूध नहीं है, अन्न नहीं है, सरकार ने हमारे ऊपर इतने टैक्सों का बोझ बढ़ा रखा है, जिसे हम सहन नहीं कर पाते। हमारी सरकार यह भी कहती है कि हम अपने पूर्वजों के आधार पर रामराज्य खड़ा करेंगे। लेकिन यह रावण राज्य की स्थापना जो हो रही है इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी नींव, अगर देखी जाय तो, वह बिलकुल कच्ची है; और इस कच्ची नींव पर बना हुआ महल एक दिन धराशयी होकर रहेगा; अगर हमने इसके पहले यह विचार नहीं किया कि देश को हम किस ओर लिये जा रहे हैं। देश के अन्दर रहने वाली जनता फिर भी बहुत भोली-भाली है। इतने सच्चे लोग आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। अगर आप उनका सहयोग चाहते हैं तो अपनी पुरानी परम्पराओं के आधार पर उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा कीजिए और उनका विश्वास प्राप्त कीजिए। आज सरकार को हर प्रकार की सहायता देने के लिये जनता उत्सुक है मगर सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है और दिन पर दिन खोती जा रही है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत उठक-बैठक के बाद आपने मुझको, जो इस आदरणीय सदन के सदस्यों के सामने, अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका अति आभारी हूं। साथ ही साथ मैं वित्त मन्त्री को भी इसके लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने काफी परिश्रम के बाद इस प्रदेश का आय-व्यय क प्रस्तुत किया है। मैंने उनका बजट भाषण भी सुना। उसमें एक भी शब्द जो इस प्रदेश की गरीब जनता है, जो इस प्रदेश की हरिजन कहलाने वाली या पिछड़ी कहलाने वाली जनता है, उसके उत्थान के बारे में नहीं आया है। जब मैं उस बजट को देखता हूं तो उसमें सदैव की भांति एक अनुदान इस विभाग के लिये रख दिया गया है। हमारे देश के कर्णधार जिनके हाथ में शासन की बागडोर है वे बड़े योग्य, तपे हुए और ऐसे व्यक्तियों में से हैं कि जिनकी ओर सारा देश देखता है कि यह हमारा उत्थान करेंगे और वे करते भी हैं। काफी परिश्रम से वे अपने कार्य का संचालन करते हैं। लेकिन जब हरिजन विभाग को मैं देखता हूं और उसमें देखता हूं कि कितना अनुदान रखा जा रहा है, उसमें से कितना हरिजनों पर खर्च होता है और कितना उस विभाग के अधिकारियों पर खर्च होता है, तो मुझे बड़ा खेद होता है। इस प्रदेश की गरीब जनता को देखा जाय जिसके लिये कि इतना रुपया रखा जाता है, लेकिन उसमें से जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो महज कागजी काम करते हैं, यह सारा रुपया उनकी तनख्वाहों के ऊपर खर्च कर दिया जाता है और उन हरिजनों को कुछ नहीं मिलता। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि माननीय हरिजन मंत्री महोदय उन कर्मचारियों को कम करें जो फिजूलखर्ची करके नौकरी के रूप में हरिजनों के रुपये को इस तरह बहा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि मैं अपने खाद्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब-जब यहां पर भाव बढ़े हैं, उनको कम करने की कोशिश उन्होंने की है। पहले हमको आशा यह थी कि भाव कम नहीं होंगे लेकिन भाव कम हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले कहा था, उसी तरह से एक जगह उन्होंने भाव रखे हैं और उनको बढ़ने नहीं दिया है; लेकिन दुर्भाग्य से वर्षा न होने के कारण इस महीने में कुछ भाव बढ़े हैं। वह चाहते हैं कि ये बढ़ने नहीं चाहिये और वह इसकी कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक भूमि का सम्बन्ध है, हमने बराबर इस सदन के माननीय सदस्यों क सामन अपना निवेदन किया है और माननीय मंत्री जी को अपना सुझाव भी दिया है कि इस प्रान्त में जमीन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का एक बार सर्वे कराया जाय ; जो फालतू जमीन निकले वह खेतिहर मजदूरों को दी जाय। मैं इस बात को १० साल से कहता आ रहा हूं लेकिन हम देखते हैं कि एक बीघा जमीन भी आज तक खेतिहर मजदूरों को नहीं दी गयी। परन्तु खेद की बात है कि चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, और चाहे जनसंघ हो, सब के सब सरमायादार हैं और जमींदार हैं और गरीब खेतिहर मजदूरों का शोषण करने वाले हैं। मैं देखता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर भी ऐसे लोग हैं जो पांच-पांच सौ बीघे के जमींदार हैं, वे भी यहां पर गरीब और मजदूरों की बात करते हैं। स्वतंत्र पार्टी को जब मैं देखता हूं तो उनके ऊपर तो ईश्वर की पूरी कृपा ही रही है, उसमें राजा महाराजा लोग हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोगों की भी मैं लम्बी-चौड़ी बात सुनता हूं; लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि उसके लोग इस तरह से करते हों। सोशलिस्ट पार्टी के अन्दर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं। इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि आप भी हरिजनों के ऊपर दया करें। आप हरिजनों का नाम न लीजिये। जो आप कर रहे हैं वह हमारे सामने है। इस देश की हरिजन जनता अच्छी तरह से जानती है कि आपका क्या रवैया है।

सरकार ने हरिजनों के लिये रिजर्वेशन जरूर दे रखा है लेकिन कहीं पर भी हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं होता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम सरकार इतना तो मालूम करने की कोशिश करे कि कितना रिजर्वेशन है और किस विभाग में कितने हरिजन काम करते हैं। अगर कोई यह कहता है कि हरिजन कर्मचारी गलत काम करते हैं, तो यह गलत बात है इस प्रदेश में हरिजन अधिकारी बहुत दिमाग लगाकर काम करते हैं लेकिन कभी कोई माननीय सदस्य इस बात पर नहीं सोचता है कि इस सरकार के अधिकारी उनके साथ क्या बर्ताव करते हैं। हम समझते हैं कि हमारा कोई भी अधिकारी पीछे नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध सरकार से यही है कि सरकार को हरिजनों के साथ न्याय करना चाहिये और रिजर्वेशन पूरा करने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न होना चाहिये। चाहे आप हरिजन लोगों को इंडस्ट्री दें, या जमीन दें या दूसरा धंधा दें, मगर उनको काम में लगायें। छोटे-छोटे उद्योग धंधे सरकार खुलवा दे जिससे उनमें उन गरीबों को काम मिले। बड़े-बड़े कारखाने खुल रहे हैं लेकिन एक भी गृह उद्योग नहीं खुला है जिसमें हरिजनों को स्थान मिला हो। इसलिये हरिजन जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

हमारे विरोधी दल के जो नेता हैं वे सिवाय बुराई के कोई अच्छी बात नहीं देखते हैं। उन्होंने आज तक कोई अच्छा कार्य करके नहीं दिखाया है जिससे लोगों को उनसे प्रेरणा मिले, क्योंकि वे खुद ही नहीं जानते हैं। कम से कम जितना कहा जाय, उससे कुछ कम ही सही, हरिजनों के लिये किया तो जाय। वे पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। पिछड़े वर्ग को ऐसे उच्च वर्ण वालों से भगवान् बचाये। ये तो पास भी फटकने नहीं देते हैं। इसीलिये डाक्टर अम्बेदकर कहा करते थे कि क्या यह भाईचारा ये लोग कायम रख सकेंगे। आज मैं विरोधी दल की तरफ देखता हूं कि कभी पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, कभी हरिजनों की बात करते हैं और कभी सवर्णों की, लेकिन किसी के हृदय में स्नेह नहीं है। सब अपनी पार्टी के प्रचार और वोट मांगने के तरीके अपनाये हुए हैं। तो, अधिष्ठाता महोदय, विरोधी दल के नेताओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे शुद्ध मन से हरिजनों का काम करें।

हां, अब सहकारिता आ गयी। मैं अपने सहकारिता मंत्री जी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं कि इन सोसाइटियों से बचाइये हमें, महाराज ! इतने झगड़े हमारी सरकार के किसी अन्य विभाग में नहीं हैं जितने कि इस सहकारिता के विभाग में हैं जो इस वक्त प्रान्त में चल रहे हैं। जितना करप्शन इस में है उतना और कहीं नहीं है। और वह इसलिये कि सरकारी कानून और कायदों द्वारा यह सोसाइटियां कायम की गयी हैं। अगर ये गांव की पंचायतों द्वारा कायम की गयी होतीं तो शायद इतनी बुराइयां हमको सुनने को न मिलतीं। भ्रष्टाचार की बात मैं नहीं करता, उसकी बात मैं मानता नहीं, क्योंकि केवल भ्रष्टाचार का नाम लेकर चिल्लाने से ही काम चलने वाला नहीं है। हमें अपने आपको भी पहले सुधारना चाहिये,

[श्री हरीसिंह]

प्रचार करना चाहिये कि पहले हम में ही भ्रष्टाचार न रहे, तब उसके बाद दूसरे ठीक हो सकते ह । यहां तो हमारे विरोधी भी वैसे और हम भी वैसे ही। यदि हम सब मिल कर सारे मामलों को सुधारें तभी हम सरकारी अधिकारियों को कहने का, सुधारने का, अधिकार रखते हैं ।

बिक्री-कर के बारे में एक बात मैं अपने वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । जो तरीका इस सिलसिले में अपनाया गया है, वह बिलकुल गलत है और इससे सरकार को खूब लूट हो रही है । अगर १०० रुपया वसूल किया जाता है तो मुश्किल से ४०,५० रुपया सरकारी खजाने में आता है और बाकी सब लोग ही खा जाते हैं। जिस तरह से व्यापारियों ने कहा था, उस ढंग से यह बिक्री-कर नहीं लगाया गया । अगर उनके कहने के अनुसार कर लगाया जाता तो ९ की जगह १८ करोड़ की आमदनी प्रदेश को हो सकती थी । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बिक्री-कर लेने के तरीके में जल्द से जल्द सुधार किया जाय । अब चोर-बाजारी की बात आती है । हमारी आदत पड़ गयी है एक दूसरे पर दोषारोपण करने की । अगर हम एक दूसरे की बात सुनें और ठीक-ठीक सुझावों पर अमल करें तो, इस चोर-बाजारी की कोई गुंजायश नहीं रहेगी । हमारे यहां एक सेलगढ़ी नाम का गांव है । वहां दो गांवों के बीच, जिनका फासला ९ मील का है, एक पंचायत है । इससे दोनों गांवों को बड़ी तकलीफ होती है; लेकिन उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है ।

भूमि के बंटवारे का जो प्रश्न है, उस सिलसिले में मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र सारी बंजर जमीन भूमिहीन मजदूरों में बांटी जाय और हरिजन विभाग के कर्मचारियों को कम कर के उनसे बचा हुआ रुपया हरिजनों पर खर्च किया जाय ।

श्री बुद्धीसिंह (जिला मुरादाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, मुझे इस बजट पर अपने विचार प्रकट करने का आपने समय दिया, इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं । इन आजादी के वर्षों में, जो १२ साल से कुछ ऊपर जा चुके हैं, हमको यह देखना चाहिये कि हमारी सरकारी पार्टी जनता में कितना विश्वास पैदा कर पायी है । मैं यह समझता हूं कि इन १२ वर्षों के अन्दर साल ब साल जो बजट आप लाते हैं, बहस मुबाहिसे के बाद वह स्वीकार तो करा ही लिया जाता है, लेकिन जो विरोधी दलों द्वारा आपकी सेवा में निवेदन किये जाते हैं उनको, सक्रिय दृष्टि से, आपने कितना निभाया है और उन अच्छे सुझावों को कितना माना है, यह एक विषय है आपके सामने । अधिष्ठाता महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको सन् १९३० का जमाना याद है । मैं जब पढ़ करके आता था तो एक अखबार "तेज" लेता था और अपने टाट पर बैठ कर मैं उस आन्दोलन के बारे में पढ़ता था जो गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था और उसमें मैं एक कविता भी पढ़ता था कभी-कभी कि:---

"छीन सकता है नहीं सरकार बन्देमातरम्,
हम गरीबों के गले का हार बन्देमातरम् ।
जालिमों को है उधर बन्दूक पर अपना गरूर,
तो है इधर हम बेकसों का तीर बन्देमातरम् ।
कत्ल की हमको न दें धमकी, हमारे सब से
तेग पर हो जायगा, तहरीर बन्देमातरम् ।"

इन बातों को पढ़ कर हमको जोश आ जाता था। तीन रंग के झंडे को पूज्य बाबू ने हमको दिया और हमको इतना प्रभावित किया था कि हम परवाह नहीं करते थे कि लाठी लगेगी या गोली लगेगी; हम उस आन्दोलन में अपने को झोंक दिया करते थे । मैंने स्वयं इस चीज को अपने शरीर पर भुगता है । तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि इस बजट में जो आपने तीन बातों का बीड़ा उठाया है कि आपका उद्देश्य है जनसाधारण के लिये रोजगार प्राप्त करना, उत्पादन बढ़ाना और उसका ठीक ठीक वितरण करना; इन तीन बातों की चर्चा आपने बजट के भाषण में की है । मैं आंकड़े भी वैसे लिखकर लाया हूं, समय के अभाव से आंकड़े नहीं पढ़ूंगा, केवल इतना

निवेदन करना चाहता हूं कि जनसाधारण में आप अपने प्रति कितना प्रेम कर पाये हैं, यह आपके नोटिस में बात होना चाहिये थी; और अगर है, तो उस पर ठंढे दिल से विचार करना चाहिये। आज आप जनता के अन्दर सरकारी अफसरों के कंधे पर होकर जाना चाहते हैं। आप में आज यह जुर्रत नहीं रही है कि आप सीधे जनता में जाकर कुछ जनता को इकट्ठा करके अपनी बात उस जनता में करें। जब भी आपके प्रोग्राम बनते हैं, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूं, यह हक अच्छी बात हुई है कि विरोधी पार्टी से कुछ रोशनी हमको मिली, जो शिकायतें हमें रहा करती थीं, वे माननीया सदस्या श्रद्धा देवी जी ने, अभी पूर्व वक्ता ने और श्री महीलाल जी ने जो हमारी बहुत सी बातें थीं वे अपने मुंह से खुद कहीं, आप जनता में जाना चाहते हैं सरकारी अधिकारियों के बल-बूते पर और सीधे आपका कोई सम्बन्ध जनता से नहीं रहा है; और जब भी आपके गश्त होते हैं जिलों में, आप विरोधी दल को तो नजरअन्दाज कर ही देते हैं; आप अपनी विरोधी पार्टी, जो आपके अन्दर है, उसके लोगों के मशविरे के बगैर ही अपने प्रोग्राम बना लेते हैं।

श्रीमन्, मैंने त्योरस साल पुलिस के अत्याचार की कहानी यहां कही थी, मुकीमपुर कांड की। उसमें मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि वह महात्मा वहां पर कृष्ण बना हुआ था और उस "कृष्ण" ने हमारे दो थानेदारों को मरवा दिया था और कुछ सिपाही मारे गये। मैंने रिपोर्ट दी थी कि १९ मरे हैं, १३ की रिपोर्ट नहीं दी। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बड़ी जुर्रत के साथ पुलिस ने मुकाबिला किया था, वह केस अदालत में विचाराधीन है। अब हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ उसमें जजों ने लिखा कि पुलिस मुकीमपुर कांड के असल तथ्यों को छुपा गयी है और उसने एकतर्फा रिपोर्ट दी, इसलिये हम इस साधू को छोड़ते हैं। जिस इलाके का मैं रहने वाला हूं वहां के सदस्य महीलाल जी अभी बोल कर गये हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पारसाल पूरा का पूरा इलाका डकैतों से बरबाद हो गया। वहां की जनता की नींद हराम हो गयी। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय कमलापति त्रिपाठी जी को एक पत्र लिखा, २७-१०-५८ को, कि यहां पर डाकुओं का आंतक फैला हुआ है और उसमें बहुत से आपके कांग्रेसियों की साजिश है, वे लोग उन डकैतों से मिले हुए हैं, लेकिन उस पत्र का कोई उत्तर मेरे पास नहीं आया। अभी १७ दिसम्बर को कस्बा स्योडारा में एक आलीशान जलसा हुआ था, जिसमें माननीय कमलापति त्रिपाठी जी भी गये थे, उसमें वहां के एम० एल० ए० लोग भी मौजूद थे। वहां करीब २ हजार लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग मर रहे हैं, यहां पर रोज डकैतियां हो रही हैं, हमारी रक्षा की जाय।

श्री अधिष्ठाता--माननीय कमलापति त्रिपाठी जी इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं, इसलिये इन बातों को आप इस वक्त न कह कर जब पुलिस सम्बन्धी ग्रांट पेश हो, उस समय कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बुद्धीसिंह--ठीक है, मैं उसी समय कहूंगा।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। वह यह है कि क्या अगर कोई मंत्री यहां उपस्थित न हों तो उनके बारे में कोई बात न कही जाय। उनका तो यहां रहना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता--जी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि वह यहां हर वक्त मौजूद रहें। आप कृपया बैठिये।

श्री बुद्धीसिंह--अगर मंत्री जी नहीं हैं तो मैं सरकार से कहना चाहता हू कि आखिर यह पुलिस विभाग किस लिये है, किसलिये इस विभाग पर इतना खर्चा किया जाता है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं किन्तु यह निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारी भी जांच करा लें, अपनी भी जांच करा लें, और फिर देखें कि कौन-कौन लोग ऐसे हैं जो डकैतों से साजिश रखते हैं और उनसे मिले हुए हैं। मैंने १७-१२-५९ को पुलिस के वजीर को एक पत्र दिया, उस पर ५०० निसान जनता ने किये थे और उसमें यह लिखा था कि बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग, चंदौसी के दो-एक

[श्री बुद्धीसिंह]

कांग्रेस प्रतिनिधि, डकैतों के गिरोह से साजिश किये हुए हैं। उनके सम्बन्धी द्वारा दो डकैतों की गिरफ्तारी भी कराई गयीं। जिनके द्वारा डकैतों का गिरफ्तारी करायी गयी थी, आज वे ही लोग खुले तौर से डकैतियां करा रहे हैं। खुनपुरा गांव में एक रामजी मल के यहां डकैती पड़ती है, डाकू लोग उसकी पत्नी को मिट्टी का तेल छिड़क कर जला डालते हैं और तमाम माल लूट कर ले जाते हैं। इसी प्रकार नस्सूनगला में डकैती पड़ती है, धर्मपुर में डकैती पड़ती हैं, कई गांव हैंजहां पर डकैती पड़ी हैं। लेकिन उसकी रोकथाम के लिये कुछ नहीं हो रहा है। जब-जब डकैतियां हुई मैंने पत्र लिखे, लेकिन किसी का उत्तर नहीं मिला। इस तरह से एक जगह नहीं, कई जगह डकैतियां पड़ी हैं....

श्री अधिष्ठाता--अब आपका समय समाप्त हो गया, आप कृपया बैठिये।

***श्री छत्रपति अम्वेश** (जिला आगरा)---श्रीमन्, आज तीन दिन की उठक-बैठक के बाद जो आपने समय दिया....

श्री अधिष्ठाता--यह उठक-बैठक का शब्द आपको नहीं कहना चाहिये। जो इस चेयर पर बैठता है उसकी पोजीशन भी आपको देखनी चाहिये।

श्री छत्रपति अम्वेश--मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं। इस बजट के ऊपर जो माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं उनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना उचित समझता हूं। एक माननीय सदस्य ने अपनी व्यक्तिगत बातों को कहना शुरू कर दिया और जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों को रखा मैं नहीं कह सकता कि वह कहां तक ठीक था। यही नहीं, इस सदन के अन्दर तो कितने ही चूहों, कुत्तों और बिल्लियों की दौड़ भी शुरू हो गयी। मैं नहीं कह सकता कि सदस्य लोग कहां तक इसको ठीक समझते हैं। यही नहीं, हमारे एक जनसंघी भाई तो उनका पृष्ठपोषण करते हुए कह गये कि यदि वे माननीय सदस्य दुखी हैं तो सीताराम जी शुक्ल की तरह ही इधर आ जायं और उनके सारे दुख दूर हो जायेंगे। अभी तीन रोज पूर्व एक ईसाई मिशनरी की बात चल रही थी कि वह यह कह रहे हैंकि हमारा धर्म स्वीकार कर लो और तुम्हारी सारी बीमारियां हम दूर कर देंगे। हो सकता है कि हमारे जनसंघ के पास भी कोई इस प्रकार की दवा हो जिससे इस तरह के सारे दुख दूर हो जायं तो फिर वह सभी को न्योता दें कि आओ इधर तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जायेंगे और यहां फिर आलोचना-प्रत्यालोचना करने से कोई बहुत फायदा नजर नहीं आता।

हमारे कुछ सदस्यों ने गोवंश की बात कही। मैं हिन्दू होने के नाते चाहता हूं कि गोवंश की हत्या न हो लेकिन मैं जानता हूं कि कितने हिन्दू ऐसे हैं, कितने जनसंघी ऐसे हैं जो गोवंश की रक्षा के लिये सक्रिय काम करते हों। मैंने कितनी ही बार आर्यसमाजी और जनसंघी भाइयों से अपने आगरे में ही कहा कि आप गोरक्षा के नाम पर कुछ सक्रिय काम करिये। एक आदमी भी, जो अपने को हिन्दू कहता है, एक गाय पालने के लिये तैयार नहीं हुआ। यहां कहना तो बहुत आसान है, गवर्नमेन्ट को आप कोसते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोसिये, उसके लिये कोई मनाही नहीं है।

श्री दुबे जी जब आज भाषण कर रहे थे तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रूण हत्या होगी। जब वह बोल रहे थे तो मुझे यह याद आ रही थी कि यदि कहीं नका राज्य होगा तो ये अपनी पुरानी संस्कृति को चलायेंगे; शायद उसमें भ्रूणहत्या को चालू करेंगे, खेती प्रथा को फिर से चालू करेंगे, विधवा विवाह पर रोक लगायेंगे और उस समय सिवाय भ्रूणहत्या के कुछ होगा भी नहीं और उस समय हम कुछ कर भी नहीं सकेंगे। जो इधर के बैठने वाले हैं और जो उधर के बैठने वाले हैं, वे भी इस प्रकार की संस्कृति को नहीं मानते, जिसकी दुबे जी दुहाई दिया करते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक माननीय सदस्य शिक्षा के बारे में यह कह रहे थे कि यह सरकार शिक्षा, पी० ए० सी० की बंदूकों की नोक पर, देना चाहती है। यह शर्म की बात है, लेकिन इसके लिये दोषी कौन है ? जबकि पार्टी के नाम पर न जाने कितने आन्दोलन कराया करते हैं और जब इस तरह का आचरण पार्टी के नाम पर हो तो क्या हो सकता ? अभी मुझे गतवर्ष के आंदोलन की याद है कि जब जनसंघ ने अनाज-लूटो आन्दोलन चलाया था, उससे कितनी जनता को क्षति हुई थी, उसको मैं कह नहीं सकता। तो दूसरों को आप उपदेश करते हैं लेकिन आचरण उसके बिलकुल विपरीत करते हैं।

अभी एक सदस्य लुटेरों की बात करते थे। वह कह रहे थे कि बहुत से कांग्रेस के सदस्य लुटेरों का साथ देते हैं। मैं आगरे की बात कहता हूं जहां का हाल आपने बहुत पढ़ा होगा। बाह तहसील है। मुझे यह कहने में दुख होता है कि जिस समय ब्रिटिश सरकार थी, उस समय भी बड़े-बड़े जमींदार कहे जाने वाले और बहुत से पूंजीपति कहे जाने वाले जो लोग थे, उनके यहां डाकू आश्रय पाते थे और आज भी उन्हीं लोगों के आसपास, उन्हीं के रिश्तेदारों के यहां आज वे लोग आश्रय पाते हैं। वे बड़े-बड़े जमींदार थे, ताल्लुकेदार थे, जिनके यहां वे आश्रय पाया करते थे, आज भी आश्रय वहीं पाते हैं, वे ही उनको बन्दूकें सप्लाई करते हैं और यह सब सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश की जनता से यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो वह इधर उधर की जो कुछ भी आलोचनायें करें लेकिन सच्चाई दोनों के साथ में है।

अब मैं बजट के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार रखने की चेष्टा करूंगा। मुझे बजट के सम्बन्ध में दो-तीन बातें ही कहनी हैं। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री को कुछ बातों के लिये बधाई देना चाहता हूं--जैसे कि उन्होंने सेल्स टैक्स के बारे में काटेज इंडस्ट्रीज की कुछ चीजों पर से सेल्स टैक्स हटाने या कम करने के लिये अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि कुछ ऐसी काटेज इन्डस्ट्रीज भी हैं जिनमें कि वह सेल्स टैक्स को घटा या हटा सकते हैं और अगर इन दोनों बातों से वह कुछ भी न कर सकें तो कुछ ऐसी सहूलियतें दे सकते हैं जिनसे वे अच्छी तरह से पनप सकती हैं। मिसाल के लिये आगरे का चूड़ी और जूते का उद्योग है। इस सम्बन्ध में वहां के प्रतिनिधि कई बार मन्त्री जी से मिल चुके हैं। उनकी कुछ दिक्कतें हैं जिनके कारण यह इन्डस्ट्री --जो कि केवल यू० पी० की ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये आय का साधन बनी हुई है--काफी नुकसान का मुकाबला कर रही है। कुछ ऐसे नियम हैं जिनके कारण ऐसा हो रहा है।

अब मैं कुछ उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। आज उद्योगों की उन्नति के लिये जहां कुछ सहूलियतें मिलती हैं वहां कुछ बाधायें भी हैं, जैसे एलेक्ट्रिसिटी और कोल का न मिलना। कोयले के अलावा अगर बिजली का ही हमारी सरकार प्रयत्न कर देती तो मैं आशा करता हूं कि काफी समस्या हल करने में वह समर्थ हो गयी होती। मैं नहीं कह सकता कि क्यों बड़ी-बड़ी बिजली कम्पनीज को वैसे का वैसा ही जिन्दा रहने दिया जाता है। जब सरकार ने ट्रान्सपोर्ट को अपने हाथ में ले लिया तो फिर क्या कारण है कि सरकार ने बिजली कम्पनीज को अपने हाथ में लेकर विकेन्द्रीकरण करने की ओर क्यों नहीं कदम उठाया ? आज इसकी वजह से हमारे प्रदेश को बहुत हानि हो रही है। उद्योग खोलने में वैसे ही दिक्कत पड़ती है लेकिन बिजली के न मिलने से और भी मुश्किल हो जाती है।

मुझे खुशी है कि चतुर्थ श्रेणी के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको भत्ते के सम्बन्ध में कुछ सहूलियतें दी गई हैं जिससे कि आज वे खुशी का अनुभव कर रहे हैं।

आगरे का होने के नाते मैं माननीय वित्त मन्त्री से कहूंगा और दूसरे मंत्रियों तक भी अपनी आवाज पहुंचाना चाहूंगा कि आगरा एक ऐतिहासिक नगर है; वहां प्रत्येक दिन, हजारों की तादाद में नहीं तो सैकड़ों की तादाद में तो अवश्य, विदेशी यात्री आते रहते हैं, संसार का बड़े से बड़ा आदमी आगरा आने की इच्छा रखता है, लेकिन कावाल टाउन होने के बावजूद भीआज आगरा सबसे पीछे छूट गया है। अगर हास्पिटल की बात लें तो कानपुर में २०० बैड्स हैं जबकि आगरे में २० ही बैड्स हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह सौतेला बर्ताव क्यों

[श्री छत्रपति अम्बेश]
किया जाता है। आगरे की इन्डस्ट्रीज का भी यही हाल है। आगरा जो कि एक प्रमुख स्थान यू० पी० के अन्दर है उसको अगर हम इस प्रकार से देखेंगे तो मैं नहीं समझ पाता कि जो विदेशी वहां पर आयेंगे वे अपने साथ क्या भावनायें लेकर जायेंगे। आगरा एक ऐसी जगह है जहां से कि विदेशी हमारे रीति-रिवाजों, हमारी संस्कृति की भावनायें ले कर जाते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस ओर तुरन्त खयाल करने की आवश्यकता है। आगरे का व्यापार बहुत अच्छा था लेकिन उसमें सरकार की नीति ऐसी रही है जिसमें प्रोत्साहन देने की बात नहीं है। इन शब्दों के साथ, मैं आपको बधाई देता हूं।

*श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन तमाम सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने हमारे उपनेता, विरोधी दल, के भाषण को उच्चस्तरीय बताते हुए उनके सुझावों को रचनात्मक बताया है। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि उच्चस्तरीय भाषण बताने के बाद भी किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने हिम्मत नहीं की कि उस पर कुछ कह सकें.....

श्री अधिष्ठाता---उनके कहने का वक्त आगया है।

श्री प्रतापसिंह---हमारे जो उपमन्त्री बोलने के लिये आये उन्होंने कुछ बातें कहीं। मान्यवर, कल बहुगुणा जी ने कहा कि कर्जा उसी सरकार को मिलता है जिस सरकार के ऊपर जनता का विश्वास होता है। मान्यवर, कर्जा उतना ही लेना चाहिये जितनी कि हमारी साख हो, जितनी कि हमारी ताकत हो। इस बात को हर एक जानता है और यह भी हम जानते हैं कि केवल खर्च और आमदनी का बैलेंस शीट बना देना ही काफी नहीं होता।

मान्यवर, प्रदेश के लोगों का जन जीवन किस प्रकार से सुखी हो, अपनी पालिसी में इसका निर्देशन भी किसी सरकार के लिये आवश्यक होता है। बहुगुणा जी ने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर बोलते हुए डाल्टन आदि की किताबों को पढ़ कर जो कुछ बतलाने की कोशिश की उसे सुन कर मुझे ताज्जुब हुआ। जहां बजट के पेज ६२५ पर उन्होंने पढ़ा कि ब्याज की रकम १९५९-६० में २,४६,३०,४०० रु० है वहां कैपिटल दिखलाया ही नहीं गया है, वह गायब है। आखिर जब कैपिटल था नहीं तो व्याज दिया किसको गया? एक ताज्जुब मुझे और हुआ कि माननीय वित्त मंत्री के पिछले बजट भाषणों में समाजवादी ढांचे का जिक्र अवश्य रहा करता था; लेकिन अब की बार कहीं भी समाजवादी ढांचा या समाजवादी सिद्धान्तों का जिक्र तक नहीं आया है। इससे साफ मालूम होता है कि यह बजट भाषण किसी दूसरे की कलम से लिखा गया है; क्योंकि शुरू से आखिर तक कहीं भी सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का जिक्र नहीं आया है। बजट को तो इस तरह से देखना चाहिये कि उसके द्वारा ग्रामीण जनता की जेब में एक रुपया भी बचता है या नहीं और इन पिछले सालों से इस साल उसकी आमदनी बढ़ी है या नहीं।

जहां तक हमारी पर कैपिटा आमदनी की बात है, उसको आप देखें तो मालूम होगा कि सन् १९५५-५६ में जहां २५३.३ थी वहां सन् १९५८-५९ में २५९.० हो गयी; और जब कि हिन्दुस्तान की २८४ है। इससे कैसे साबित होता है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है? बजट भाषण में यह बतलाया गया है कि सहकारिता, उद्योग, कृषि, शिक्षा, सब में हमारी सरकार के आंकड़ों में, जिनको माननीय मुख्य मंत्री की वाणी में "lies, damn lies and statistics" कहते हैं, उन्नति हुई, यह ठीक है; पर हमारा भी तो कोई मापदंड होना चाहिये कि वास्तव में जनता के जीवन स्तर में कोई वृद्धि हुई है या नहीं। इस दृष्टि से जब मैं बजट को पढ़ता हूं तो देखता हूं कि सर्वसाधारण के रिलीफ मेजर्स के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। मिडिल क्लास का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया है कि किस तरह से वे अपने स्टैंडर्ड को कायम रख सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसी तरह से अनएम्प्लायमेंट को दूर करने के लिये भी सरकार द्वारा कोई खास कदम नहीं उठाया गया है जिसे हल करना किसी भी जनतांत्रिक सरकार का मुख्य कर्त्तव्य होना चाहिये। सरकार ने अपने ३ लाख कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की दिशा में भी कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की है। ऐसे माननीय वित्त मंत्री जी की हमदर्दी, उनके साथ कहने के लिये, तो बहुत है; लेकिन समझ में नहीं आता कि सेकेंड पे कमीशन बैठाने की मांग, जो बहुत दिनों से की जाती रही है, उसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने क्यों नहीं की। मुझे आशा है कि इस सत्र में ही माननीय वित्त मंत्री जी सेकेंड पे कमीशन बैठाने की घोषणा करेंगे।

इसी तरह से आप प्रोडक्टिव कैपिटल को देखें तो सन् १९४८ से १९५२ तक के जो फिगर्स इंडस्ट्रियल फाइनेंस, यू० पी० फोर्ड फांउडेशन, फैक्ट फांइडिंग कमेटी का दिया हुआ है, वह भी घटा ही है। बम्बई में ५१ परसेंट, वेस्ट बंगाल में २३ परसेंट, बिहार और मद्रास में ५३ परसेंट और उत्तर प्रदेश में केवल २१ परसेंट ही है।

बहुत से लोगों ने कहा कि ग्राम सभाओं को प्लानिंग का अधिकर दिया गया है, लेकिन आप को मालूम होना चाहिये कि अपने यहां की प्लानिंग करने का अधिकार तो उत्तर प्रदेश की सरकार को भी नहीं है, फिर ग्राम सभायें प्लान कैसे बना सकेंगी? अगर इस हाउस में पंखा लगाना होगा तो प्लानिंग कमीशन से पूछना होगा। मेरा सुझाव है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सूबे की सरकार को एक सीलिंग के साथ हक होना चाहिये कि वह अपना प्लान बना सके। आप ने पंचायतों को हक दे दिया, इससे क्या होता है? जब प्लान बनती है तो उसमें बहुत से आइटम रह जाते हैं। कोआपरेटिव होल्डिंग्ज की एक अलग प्लान बनी लेकिन उसके बाद बहुत से आइटम्स प्लानिंग कमीशन ने काट दिये। इंडस्ट्रियल स्टेट्स, अम्बर, खादी और पावर लूम्स की कितनी ही ऐसी स्कीम्स थीं जो आनी चाहिये थीं। प्लानिंग कमीशन से कहना चाहिये कि बार-बार आप ऐसा क्यों करते हैं। तमाम सरकारी कमेटियां स्थापित होती हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट है कि सामूहिक रूप से लोगों को रोजगार मिले:—

"The three main directions in which community development programme should work are: First, increased employment and increased production by the application of scientific methods of agriculture, including horticulture, animal husbandry, fisheries, etc. and the establishment of subsidiary and cottage industries; secondly, self-help and self-reliance and the largest possible extension of the principle of co-operation; and thirdly, the need for devoting a portion of the vast unutilized time and energy in the country-side for the benefit of the community."

और साइंटिफिक तरीके उपज बढ़ाने के लिये अख्तियार किये जायं और लोगों में सेल्फ-रिलायेंस पैदा की जाय और जो हमारी शक्ति है उसका किस तरह से प्रयोग हो।

इस बात की जरूर खुशी है कि बार्डर एरिया की तरफ सरकार का ध्यान गया है; यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। यह एक छोटे से क्षेत्र का बार्डर बनाने का और रक्षा करने का ही सवाल नहीं है, बल्कि वहां औद्योगिक विकास की भी आवश्यकता है। भोटियों के विषय में जो वहां की एक रिपोर्ट निकली है उसमें कहा गया है कि वहां लोगों में प्रासपैरिटी पैदा करने के लिये जितनी मेजर इंडस्ट्रीज खोली जा सकें वह खोली जायं। मेरा सुझाव है कि उस क्षेत्र के लिये एक ऐसी कमेटी बनाई जाय जो वहां की सारी पालिसी तय करे—कैसे वहां का औद्योगीकरण हो, और कैसे वहां का आर्थिक ढांचा ठीक किया जाय। मेरा दृढ़ विचार है कि जब तक वहां के १० हजार आदमियों को मैदानों में लाकर जमीन देकर नहीं बसाया जायगा तब तक वहां की समस्या हल नहीं हो सकती। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी शान से न मालूम कैसे कह दिया, मैं तो उनकी बात चैलेंज नहीं करता, उन्होंने कहा था कि हमारे आदमी साढ़े १९ हजार फीट की ऊंचाई पर बड़ी शान से काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि माना तो १० हजार फीट की ऊंचाई पर है और गरब्यांग १३ हजार फीट की ऊंचाई पर है लेकिन १९,५०० फीट कहां की ऊंचाई है मैं तो पहाड़ से आता हूं, पहाड़ की ही बात करता हूं लेकिन मेरे सामने केवल उस प्रदेश का सवाल

[श्री प्रतापसिंह]

हो नहीं है; आज वहां का सवाल, मुल्क का सवाल है। चीन से भले ही दोस्ती हो जाय लेकिन जब तक बार्डर पर तिब्बत का हिस्सा है उसके लिये यू०पी० की सरकार लिखा पढ़ी करे कि जो तिब्बत की आटोनामी का अपहरण हुआ है वह फिर उसके लिये रैस्टोर किया जाय। इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर सरकार का ध्यान बार्डर एरिया की तरफ दिलाना चाहता हूं।

अन्त में मुझे यह भी कहना है कि अभी तक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया है। थारू और बोक्सा लोगों के विकास के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। अगस्त ८, १९५० को हमारे प्रेसीडेंट महोदय की ओर से घोषणा की गयी थी कि बैकवर्ड क्लासेज के लिये वह रिपोर्ट और उसकी सिफारिश लागू की जायंगी, जिससे पिछड़े लोगों का और हमारे यहां के थारू और बोक्सा लोगों का विकास होगा लेकिन कुछ नहीं हुआ।

सहकारिता उपमंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे इस बजट पर अपने विचार प्रकट करने के लिये जो समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने १९६०-६१ का जो बजट इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। श्रीमन्, मैंने माननीय सदस्यों एव नेतागण विरोधी दलों के भाषणों को बड़े गौर से सुना। जो परम्परा माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने स्थापित की है उसके लिये मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उनकी इस नीति का अगर अन्य विरोधी दल के नेता अनुकरण कर सकें तो देश का कल्याण हो सकता है। आज सरकार के कामों में बुराइयां ढूंढने की कोशिश की जाती है, चाहे वे बुराइयां किसी भी विभाग से संबंधित हों, और उनको उपस्थित करने में समर्थ भी हो जाते हैं।

कहा गया कि हमारी रूरल आमदनी कम हो गई। लेकिन माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि इस प्रदेश की ७४.६ प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है और करीब ८३ फीसदी प्रदेश का आदमी देहातों में रहता है। जिस प्रदेश की इतनी जनता खेती पर निर्भर करती हो और उसको दैवी आपदाओं का सदैव सामना करना पड़ता रहता हो, तो सोचना चाहिये कि पिछले पांच सालों से या तो अधिक वृष्टि हुई है या अनावृष्टि के कारण इस प्रदेश की फसलों को भारी क्षति पहुंची है और उसका नतीजा यह हुआ कि पैदावार में कमी हुई और आमदनी प्रति व्यक्ति भी कम हुई, जिसे हम पैदावार की वृद्धि से नाप सकते थे, सन् १९५१ में प्रदेश की जनसंख्या ६ करोड़ ३२ लाख थी वह बढ़कर आज ७ करोड़ ३० लाख हो गई लेकिन इस प्रोपोर्शन से हमारी आमदनी तथा उपज नहीं बढ़ी है, दैवी आपदाओं के कारण।

यहां टैक्स की अधिकता के बारे में बहुत शिकायत की जाती है। अगर हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों के आंकड़े देखे जायं तो उड़ीसा को छोड़ कर हमारे प्रदेश में टैक्स प्रति व्यक्ति सब से कम है। इस पर भी अगर वे कहते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स है, तो मैं उससे सहमत नहीं हूं।

कहा गया कि हमारे यहां सिंचाई की कमी है, वाटर लागिंग होता है, उद्योग धंधे नहीं खुले हैं, पावर डैम्स, अस्पताल, स्कूल वगैरह की आवश्यकता है, वेतन में वृद्धि होनी चाहिये। इन सब बातों से कौन इनकार करता है? मैं आपको सरकार की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना आपके दिल में दर्द होगा जनता के लिये, उससे किसी भी हालत में कम हमदर्दी, दर्द, सहानुभूति, किसी भी कांग्रेसी सदस्य के दिल में नहीं है। हमें अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदेश का कल्याण करना है और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। कितना अच्छा हो अगर हम रचनात्मक ढंग से सोच सकें और रचनात्मक सुझाव दें और रचनात्मक ढंग से सोच कर आधा भी योग देने की कोशिश करें तो, सरकार की तरफ से मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपके रचनात्मक सुझाव प्रदेश की सरकार द्वारा माने जायेंगे और उन बुराइयों को जिनकी ओर आप संकेत करेंगे दूर करने की कोशिश यह सरकार करेगी।

सिंचाई के बारे में कहा गया कि उस पर इतना खर्चा बढ़ा। किसी ने बजट के आंकड़ों को बनिये के और किसी ने रस्तोगी के आंकड़े बताया। मैं न बनिये के आंकड़े जानता हूं और न रस्तोगी, मैं तो एक किसान हूं। लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं कि पहले अंग्रेजों के शासनकाल में कुल ४३ लाख एकड़ भूमि की आबपाशी होती थी और जिस दिन से देश आजाद हुआ तब से लेकर सेकेंड फाइव-ईयर प्लान के अन्त तक १ करोड़ २१ लाख एकड़ जमीन की आबपाशी होने लगी। आंकड़े बताते हैं पहले के कि इतनी कम आबपाशी हुई लेकिन इस साल ३९ लाख एकड़ हुई है उसका जिक्र नहीं करते; जिस साल बढ़ी है उसका जिक्र नहीं करते। जिस साल अतिवृष्टि के कारण जरूरत नहीं हुई उसके आंकड़े देते हैं। मैं पश्चिमी जिले का रहने वाला आदमी हूं, सैकड़ों साल से वहां नहरें हैं, शेरशाह के जमाने से ईस्टर्न लोअर यमुना कैनाल है। पूर्वी यू०पी० में कांग्रेस की हुकूमत में नहरें बनीं और ट्यूबवैल लगे किन्तु उस पानी को लेने के लिये काश्तकार अभी तक आदी नहीं हुए हैं। मैं खुद घूमा हूं और मैंने आंकड़े मालूम करने की कोशिश की है कि ट्यूबवैल कितना चलते हैं। वहां का काश्तकार अभी आदी होगा और जमीन भी आदी होगी। पूरे इर्रीगेशन पोटेंशियल को यूटिलाइज करने में १० साल लगते हैं। धैर्य रखने से ही हम इस देश में सफल एवं उन्नत राज्य कायम कर सकते हैं। वैलफेयर स्टेट की स्थापना में सहयोग बहुत आवश्यक है जिसकी आशा प्रदेश का प्रत्येक नागरिक आपसे करता है। विध्वंसात्मक कार्य के लिये कोई भी जनता का व्यक्ति आपको और हमें यहां नहीं भेजता। कांस्ट्रक्टिव और रचनात्मक कार्य के लिये ही आप और हम सब लोग यहां आते हैं।

जहां तक कोआपरेटिव्ज का जिक्र है, बड़ा एक्सपेंडिंग मुहकमा है, हर इंसान की जबान पर यही है, चन्द लोगों को छोड़कर। आप आंकड़े देखें। जब जमींदारी प्रथा का विनाश हुआ था तब आंकड़े इकट्ठे किये गये थे। उस समय ७० परसेंट वे काश्तकार थे जिनके पास ३ एकड़ तक जमीन थी और ९६ परसेंट वे थे जिनके पास १० एकड़ तक जमीन थी। तो सहकारिता के अलावा और कोई आल्टरनेटिव मुझे दिखाई नहीं देता जिससे कि अलाभकर जोत के किसानों की भलाई की जा सके। मैं अभी कल परसों बभनान क्षेत्र में गया था। वहां जो-भी किसान मिले उनमें से किसी के पास भी एक गाड़ी से ज्यादा गन्ना नहीं था। वहां एक खेत पर कुआं था, एक खेत पर नहीं। जहां कुआं था वहां फसल अच्छी थी, जहां कुआं नहीं था वहां फसल ठीक नहीं थी। मैंने उनसे पूछा कि कुआं क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि कितनी जमीन है जो हम कुआ बना लें। कौन-सी जमीन है जिसकी हैसियत पर कर्जा मिल सकता है? उन छोटे-छोटे साधन रहित किसानों के लिये कौन-सा बेहतर रास्ता हो सकता है, कोआपरेटिव फार्मिंग के मुकाबिले में?

कोआपरेटिव फार्मिंग का बहुत विरोध किया जाता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ३६० के करीब कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज हैं जिनके ८,६५० के करीब मेम्बर हैं। अगर एक मेम्बर भी कह दे कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कोआपरेटिव फार्मिंग को उस पर लादा गया, किसी से जबरदस्ती की गयी तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं उसका सहयोग करने की कोशिश करूंगा।

जहां तक सर्विस कोआपरेटिव्ज का प्रश्न है, १०,१२९ कोआपरेटिव्ज का निर्माण हुआ जिनमें से ७,१२९ पुरानी थीं और ३,००० नई बनीं। क्या १५ दिन के अन्दर १०,००० साधन कोआपरेटिव्ज जादू के डंडे से बनाई जा सकती हैं? सवाल यह था कि पुरानी कोआपरेटिव्ज के फंकशंस क्या हैं और नई के क्या हैं। नई सर्विस कोआपरेटिव्ज के फंकशंस, जैसा कि नारायणदत्त जी ने कहा कि केवल कर्जा बांटने का है, ऐसा नहीं है बल्कि अनेकों फंकशंस हैं। वे अपने गांव में अपने सदस्यों की सलाह से एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन प्लान तैयार करेंगी, कृषि के उत्पादन का प्लान तैयार करेंगी। गांव में अपने सदस्यों को फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड टाइप के इम्पलीमेंट्स और कर्जा, यह सब कुछ सर्विस कोआपरेटिव्ज अपने सदस्यों को देगी। इसके साथ-साथ वे कंज्यूमर गुड्स का इन्तजाम भी इच्छानुसार कर सकती हैं। इसके अलावा

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

उनको कर्जा दिया जायगा। एक शार्ट टर्म लोन होगा, एक मीडियम टर्म लोन होगा। शार्ट टर्म लोन फसल पर दिया जायगा और काश्तकार उस फसल को अपनी कोआपरेटिव सोसाइटी में देगा उस कर्जे के एवज में और वे सर्विस कोआपरेटिव जिस मार्केटिंग सोसाइटी की मेम्बर होंगी वे उसके प्रोडक्शन को वहां अच्छे भाव पर बेचने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा, मीडियम टर्म लोन तीन साल के ऊपर उसको दिया जा रहा है। सरकार ने अभी दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था की है। एक भूमि बंधक बैंक आपके प्रदेश में कायम हो चुका है और आपके प्रदेश के २५ जिलों में उसकी शाखायें खुलेंगी जो कि उनको जमीन की हैसियत से दीर्घकालीन ऋण देंगी, जिसको किसान २५, ३०, ४० या ४५ किस्तों में अदा कर देगा और जमीन की मिल्कियत उसी की बनी रहेगी। इसके अलावा, १२ वेयर हाउसेस खुले हुए हैं और १८ नये खुलने जा रहे हैं। आपकी मार्केटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी और वेयर हाउस भी काश्तकार को उसकी पैदावार को बंधक के रूप में रख कर ७५ फी सदी कीमत शुरू में दे देगी और जिस दिन भाव अच्छा होगा उस दिन वह वहां से माल उठा कर ऊंचे भाव पर बेच सकेगा।

श्री मदन पांडेय जी ने लेबर के बारे में जिक्र किया। कोआपरेटिव विभाग ने लेबर की तरफ से भी आंखें बन्द नहीं की हैं और लेबर कोआपरेटिव के निर्माण करने का निश्चय किया है। सरकार यह फैसला कर चुकी है और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, इर्रीगेशन और पी० डब्लू० डी०, को इस बात के इंस्ट्रक्शन्स दिये जा चुके हैं कि दो हजार रुपये तक का कोई कार्य हो तो वह लेबर कोआपरेटिव्ज को एस्टीमेट्स पर दिया जाय।

जहां तक करप्शन का सवाल है, मैं मानता हूं कि हमारे समाज के बहुत से हिस्सों में करप्शन की शिकायतें आती हैं, और आयेंगी। हमें उसे स्वीकार करना चाहिये। लेकिन इस नाते स्वीकार करना चाहिये कि हम और आप मिल कर उस बुराई का मुकाबला कर सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपकी तरफ से किसी करप्शन की शिकायत सरकार के पास आती है तो हर मुमकिन तरीके से उस बुराई को दूर करने का प्रयास किया जायगा। सहकारिता को जनता का मूवमेंट बनाने की कोशिश की जायगी, जिससे समाज की आर्थिक उन्नति की जा सके।

इस बात का प्रयास हमारा है कि हम अपने प्रदेश में राजनीतिक स्वतंत्रता क साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को दिला सकें और सामाजिक न्याय दिला सकें। समस्त संसार में दो तरीके हैं। पूंजीवाद का तरीका है, जिस पर अमेरिका चलता है या रूस में कम्युनिज्म का तरीका है, जिसमें व्यक्ति के विकास का अवसर नहीं दिया जाता है, लोगों की मिल्कियत जहां नहीं होती। उसके बीच का रास्ता सहकारिता का रास्ता है जिसमें व्यक्ति को विकास का अवसर मिलता है, उसकी मिल्कियत बनी रहती है और स्वतंत्रतापूर्वक वह अपने तथा अपने देश के निर्माण के लिये अपना पग उठा सकता है। छोटी और बड़ी इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज का निर्माण इसीलिये आगे बढ़ता जा रहा है और इस बात की चेष्टा है कि भविष्य में व्यक्ति के मुकाबले में कोआपरेटिव्ज को प्राथमिकता दी जाय। छोटे उद्योगों के साथ-साथ बड़े उद्योगों में तीन कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज स्थापित हो चुकी हैं।

बाजपुर की कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी पिछले सीजन से काम कर रही है। जहां तक सरसावां और बागपत की कोआपरेटिव शुगर फैक्टरीज का संबंध है, ये दोनों फैक्टरियां अगले सीजन से काम करना शुरू कर देंगी। आपके प्रदेश की सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये ५-६ कोआपरेटिव फैक्टरीज को रखा है।

जहां तक कोआपरेटिव बैंक का सवाल है, सन् १९५६-५७ में ४ करोड़ रुपया इस प्रदेश की जनता को इस बैंक के द्वारा बांटा गया था और आज १५ करोड़ रुपया बांटा जाता है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि सन् १९६०-६१ के बाद जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जायगी तो ३६ करोड़ रुपया सहकारी बैंक के जरिये से बांटा जायगा, यानी, सन् १९५६ के मुकाबले में ९ गुना रुपया अधिक बांटा जायगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---हर व्यक्ति पर क्या अनुपात आया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---आप अपने सीमित साधनों को देखें और तब देखें कि किस प्रकार इस प्रदेश की जनता का कल्याण कर सकते हैं। आप यह यकीन रखें कि हमारी इस प्रदेश की उन्नति करने की आपसे कम इच्छा नहीं है।

मार्केटिंग कोआपरेटिव और स्टेट ट्रेडिंग का भी जिक्र किया गया। जैसा कि माननीय खाद्य मंत्रीजी ने आपके सामने जिक्र किया था, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग नहीं है बल्कि यह हमारी प्राइस कंट्रोल की नीति है ताकि जो इस प्रदेश में १७,८३१ होल सेलर्स हैं वे इस समाज के ७ करोड़ व्यक्तियों का शोषण न कर सकें और उचित दामों पर जनता को माल मिलता रहे। सरकार ने काश्तकारों के हितों की रक्षा के लिये हर मंडी पर मार्केटिंग कोआपरेटिव खोलने का इरादा कर रखा है। अभी ऐसी १४८ कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज प्रदेश में हैं और अगले साल १७८ के करीब सरकार का करने का इरादा है। सरकार ने तो मंडियों के लिये भी कानून बनाने का इरादा किया है।

कोआपरेटिव ला का जिक्र यहां किया गया। मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बुराइयां आज नजर आती हैं उनको दूर करने के लिये कोआपरेटिव ला का आमूल परिवर्तन करने का सरकार ने इरादा किया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उसके जरिये से हम अपने समाज का कल्याण कर सकेंगे। लेकिन मैं आशा यह रखता हूं, सभी विरोधी भाइयों से, नेताओं से, और साथियों से, कि वे इस समाज को निराशावादी न बनायें। अगर हम निराशा का संचार उनमें करते हैं तो लोगों की शक्ति को कमजोर करते हैं, हमारा और आपका, सभी का मिल कर यह फर्ज है कि हम जनता में एक नवीन आशा का संचार करें जिससे कि प्रत्येक नागरिक अपना और अपने प्रदेश का भविष्य बनाने में समर्थक हो सके।

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---अधिष्ठाता महोदय, मुझे सचमुच यह बड़ा दुःख रहा कि बजट से संबंधित कई आवश्यक भाषण सुनने का मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन कुछ भाषण सुनने का मुझे अवसर मिला, कुछ के संबंध में अखबारों में पढ़ने का मौका मिला। मोटे तौर पर बजट तो इस प्रदेश के आय-व्यय का लेखा है और क्रमिक रूप से यदि उसे सन् १९४७ से ले लें या उसके पहले से ले लें तो आजतक जो उसमें परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं उनको बहुत आसानी से समझा जा सकता है।

दुर्भाग्यवश इस समय हमारे पूज्य साथी और इस सदन के अत्यन्त सम्मानित सदस्य माननीय पालीवाल जी यहां नहीं हैं। १९४८-४९ का आय-व्ययक लेखा उन्होंने यहां प्रस्तुत किया था। १९४७-४८ का लेखा उससे पहले प्रस्तुत हुआ था। १९४७-४८ में जो आय के आंकड़े यहां रखे गये थे आज यदि उन आंकड़ों का मुकाबला हम अपने आज के आंकड़ों से करें तो हमारे जन जीवन में जो परिवर्तन आया है उसको सहज ही आंका जा सकता है। शायद ४७ करोड़ या इससे कुछ कम या ज्यादा के आय व्यय का लेखा था। आज का तो इस सदन के सामने मौजूद है। इसमें किस चीज के संबंध में कितनी बातें कही जा सकती थीं और कही जा सकती हैं, यह अत्यन्त विवादास्पद बात है। हमारे मित्रों ने मोटे तौर से कई किस्म की बातें कीं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनके संबंध में स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि यदि वे इस बजट के भाषण में न कहीं जातीं तो अच्छा था। कुछ ऐसी बातें जिनका कुछ विभागों से संबंध है, कुछ ऐसी बातें जिनका कुछ व्यक्तियों से संबंध है, कुछ ऐसी बातें जिनका एक-दो बजट से संबंधित विषयों का संबंध है, कहीं गयीं। विभागीय बातें विभागीय बजट के संबंध में कही जा सकती थीं।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

जहां तक व्यक्तिगत बातों का संबंध है, उनको सदा ही कहा जा सकता है। इस लिये चाहे वह आज के बजट की बात हो या आग की बात हो, कभी भी किसी युग में किसी देश के इतिहास में ऐसा नहीं आयेगा जब कि व्यक्तिगत शिकायतें न की जा सकें। व्यक्तिगत शिकायतें सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। कभी कोई युग ऐसा भी नहीं आयेगा जब किसी देश का व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी कल्पना और कामना हमारे कुछ साथी करते हैं। मैं यह भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी या वह व्यक्ति जिसका जन जीवन से संबंध है, कोई यह कहे कि उससे गलतियां नहीं होतीं, यह बात भी गलत है। गलतियां भी होती हैं।

कुछ हमारे मित्रों ने इस आय-व्ययक के संबंध में अपनी पुरानी बातों को दोहराने की कोशिश की। कुछ हमारे मित्र हैं, उनके राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी नीतियां हैं। उससे भी इन्कार नहीं हो सकता। मैं भी एक दल से संबंधित हूं जो कि शासन करता है। उस दल की भी कुछ नीतियां हैं। सौभाग्य या दुर्भाग्य से जो दल आज शासन करता है वह किन्हीं सूत्रों पर शासन करता है। जहां तक दलों का संबंध है, दलगत नीतियों को अपने साथ रखना पड़ेगा। सुझाव के रूप में अगर वह हमको कुछ देंगे और उसमें कोई ऐसी चीज होगी जो ग्रहण करने योग्य हो तो विचार करेंगे। लेकिन यदि हमारे मित्र झारखंडे राय जी अपनी बातों को लादना चाहेंगे, जिनको हम स्वीकार नहीं करते, तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। उनको कहने का अधिकार होगा लेकिन हमें ठुकराने का भी अधिकार होगा। इसी प्रकार से कुछ दूसरे मित्र भी हो सकते हैं।

हमारे मित्र झारखंडे राय जी ने बहुत सौम्य भाषण दिया। वह सौम्य हैं भी और उनके व्यक्तित्व के संबंध में कोई गलतफहमी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के ढोंग का पिटारा जो था वह खुल गया। हम लोगों ने भूमि के संबंध में, सीलिंग के संबंध में, और स्टेट ट्रेडिंग के संबंध में जिन नीतियों को तथा हजार किस्म की बातों को कभी स्वीकार किया था, आज हम स्वीकार नहीं करते। उनकी इत्तिला के लिये मैं कहना चाहता हूं कि जिन नीतियों को हमने एक बार स्वीकार किया है उन पर हम दृढ़ हैं उस दिन तक दृढ़ रहेंगे जिस दिन तक हम इधर बैठे हुए हैं और उस दिन भी दृढ़ रहेंगे जिस दिन कि हम वहां होंगे जहां कि आज वह हैं। लेकिन उनके विवाद से किसी रूप में हम उनकी नीतियों को स्वीकार कर लें, और यह कह दें कि हम उनसे सहमत हैं, यह नहीं हो सकता। हम स्वीकार करते हैं कि हम सचमुच में उन नीतियों को स्वीकार नहीं करते। हम किसी के ऊपर कोआपरेशन लादना नहीं चाहते। स्टेट ट्रेडिंग को हमने एक हद तक एक रूप देने की चेष्टा की। हमने सोचा कि किसी हद तक हम उसको चला सकते हैं। उस पर हम विचार कर रहे हैं। उनकी जो कि स्टेट कोआपरेटिव्ज हैं, जो कम्यून्स हैं उनके, जिसमें कि बड़े-बड़े फार्म्स हैं, जिनमें किसानों को एक दूसरे प्रकार का जीवन बिताने के लिये बाध्य किया जाता है तो उस प्रकार की नीति को और उस प्रकार के जीवन को उस प्रकार के सिद्धान्त को हम स्वीकार नहीं करना चाहते। और उसमें यदि उनको किसी प्रकार के विवाद की गुंजाइश है तो मुबारक हो उनको उनका विवाद।

हमारे कुछ और मित्र हैं, श्रीमन्, जिन्होंने कुछ बहुत ठोस बातें इस बजट के संबंध में इस सदन के सामने रखी हैं। मैं चूंकि सरकारी पक्ष से बोलता हूं और सरकार से संबंधित हूं, मैं यह समझता हूं, श्रीमन्, कि हमको कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहिये। हमारे माननीय मंत्री जी ने उसका ब्यौरेवार हाल देने की चेष्टा की लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका कि संकेत माननीय नारायण दत्त जी ने और हमारे कुछ और सथियों ने भी किया जैसे कि बढ़ते हुए कर्जे के संबंध में या इस बजट के लेखे-जोखे में जो परिवर्तन हो सकता है उनके संबंध में या कुछ उन नीतियों के संबंध में जिनका कि इस बजट

के द्वारा उद्घोष होता है उनके संबंध में मैं खयाल करता हूं कि शायद यह हमारा कर्त्तव्य ह कि हम यह बतायें कि आखिर यह कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से कि हम इन चीजों को यहां रखना चाहते हैं।

मेरे पास दुर्भाग्य से उतना समय नहीं है जितना कि हमारे साथी माननीय नारायण दत्त जी के पास था, वरना मैं कुछ बातें उनकी सेवा में रखने की चेष्टा करता। उन्होंने बहुत लम्बी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष असन्तुलित बजट आता है। प्रत्येक वर्ष शुरू में आमदनी कम दिखलाते हैं और अन्त में आमदनी ज्यादा होती है। प्रत्येक वर्ष जितना खर्च दिखलाते हैं उससे खर्चा कम करते हैं और उसके बाद में नुकसान या घाटे का बजट बचत में परिवर्तित हो जाता है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं तो कहता हूं कि सचमुच कई वर्षों से ऐसा हो रहा है और यदि इसके संबंध में यह कहा जाय कि बजट असन्तुलित है तो मैं इसके ऊपर आदरणीय सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी के बजट में स्वयं इसका जिक्र है। उन्होंने कहा है कि सचमुच यह असन्तुलित है और जिन स्थितियों में हमको यह बजट बनाना पड़ता है उन स्थितियों में यह बजट सदा ही असन्तुलित रहेगा। हमारे यहां पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं। उनके अन्तर्गत हमको रुपया अपने राज्य से निकालकर रखना पड़ता है, केन्द्र से उसके लिये हमको रुपया मिलता है, केन्द्र के रुपये के साथ में हमको अपना रुपया देना पड़ता है। पांच वर्ष का शुरू में एक विवरण तैयार हो जाता है कि किस तरह हम उस रुपये को तैयार करेंगे और उसके बाद में प्रत्येक वर्ष की वार्षिक आवश्यकतायें होती हैं और ऐसी आवश्यकतायें होती हैं जिनका कि नियोजन से कोई संबंध नहीं होता, तो जब तक प्लानिंग चलेगी, नियोजन चलेगा, तब तक असन्तुलित बजट चलता रहेगा।

इस बात का जिक्र उन्होंने किया और माननीय झारखंडे राय ने भी उसका जिक्र किया मैं उसको स्वीकार करता हूं। उसे स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से निर्माण के कार्यों के लिये रुपया लिया जाता है लेकिन उसको खर्च नहीं किया जाता या किया जाना चाहिये और हममें से प्रत्येक व्यक्ति जो यहां बैठता है, उसकी यह इच्छा रहती है कि खर्च किया जाय। लेकिन कैसे हो, श्रीमन्, एक पुल बनाना है। उसका सामान विदेशों से मंगाना है। उसके लिये मुद्रास्फीति की दशा ठीक नहीं है। फिर बाहर से मंगा नहीं सकते। इसी तरह कुछ और चीजों को बाहर से मंगाना है, नहीं मंगा सकते। कहीं हमको सड़क बनानी है। उस सड़क के लिये जमीन एक्वायर करनी है। अब एक्वायर करने में किसी व्यक्ति ने एक रिट लगा दिया तो उसके बाद उस वर्ष के बजट में जो प्राविधान किया गया था वह समाप्त हो गया। फिर दूसरा वर्ष आया और इसी प्रकार से अनेकानेक कठिनाई हमारे सामने आती हैं। मेरा खयाल है कि यदि माननीय नारायणदत्त जी तिवारी उन चीजों को देखने की कृपा करेंगे तो शायद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह गलत नहीं है।

लेकिन मैं यह चीज जरूर कहना चाहता था कि जहां तक कर्जे का ताल्लुक है जो कि हमारे ऊपर है, मुझे यह स्वीकार करना चाहिये कि जहां तक इस सारे कर्जे का प्रश्न है उसके संबंध में कोई बहुत बड़ी चिन्ता की बात नहीं है किसी प्रकार से भी। उन्होंने जो उस कर्जे का जिक्र किया मैं अपने तौर पर कह दूं तो अनुचित न होगा। हमारे ऊपर ५,१२,६४,००० रुपये का वह कर्जा है जो रिजर्व बैन्क से लाइफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन या इसी प्रकार की दूसरी संस्थाओं का है। इसी तरह से जो तरह-तरह का कर्जा हमने इक्कठा कर रखा है वह ५८,७६,६७,००० रुपये है। इसके अतिरिक्त हमारे ऊपर केन्द्रीय सरकार का कर्जा है। वह कर्जा २,१८,७८,९१,००० रुपये है। इसके अलावा जो कर्जे हैं वह एक तरह से कर्जे नहीं हैं। जमींदारी अबालीशन बांड का रुपया है, या प्राविडेन्ड फंड का रुपया है या जो लोकल फंड के कर्जे हैं वे कर्जे नहीं हैं, वे सिविल डिपाजिट्स हैं। वह कर्जा नहीं है। वे एक प्रकार के बैन्क एकाउन्ट हैं जिनको कर्जे का रूप नहीं दिया जा सकता

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

है। जहां तक हमारे ऊपर कर्जे का प्रश्न है, इस कर्जे को हम देंगे। ऐसी बात नहीं है कि यह कर्जा कोई आज नया पैदा हो गया है। यह कर्जा पहले से चला आता है। अगर नया कर्जा किसी प्रकार से हम कह सकते हैं तो शायद हमको इतना ही कहना पड़ेगा कि हमारे ऊपर जो केन्द्रीय सरकार का २१८ करोड़ रुपये का कर्जा है वह कुछ माने में नया कर्जा जरूर है। मेरे खयाल में कभी ऐसा भी हुआ करता है कि एक कर्जे को देने के लिये नया कर्जा लेना पड़ता है। यह भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको पूर्णरूप से स्वीकार किया जा सके। कर्जा देने के लिये नहीं बल्कि राज्य का काम चलाने के लिये हमको नया कर्जा कई मर्तबा लेना पड़ा है बाजार से। लेकिन आखिर हमारी स्थिति क्या है? ऐसी बात नहीं है कि यह जो कर्जा है इस कर्जे को अदा करने की हम स्थिति में न हों।

मेरे मित्र नारायणदत्त जी तिवारी ने इसका जिक्र किया कि जो घाटे का बजट बनाते हैं यह असन्तुलित है, वह घाटा नहीं है बल्कि वह बचत का बजट होता है। वह चाहे घाटे का हो या बचत का हो, उन्होंने इस विषय में दूसरी बात कही कि आगे बजट को देखा जाय तो कहां जगह हजारों गलतियां दिखाई देंगी। मेरा खयाल है अगर वह इसको दोबारा पढ़ने की चेष्टा करेंगे तो वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इसमें कहीं पर भी गलती नहीं है। मेरे पास समय नहीं है नहीं तो मैं उनको बता सकता कि जिस गलती का उन्होंने जिक्र किया वह सही नहीं थी। इसलिये यह जो कर्जे वाला प्रश्न है हमारे ऊपर २१८ करोड़ का, वह केन्द्रीय सरकार का कर्जा है। जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमने इस कर्जे का पूरा-पूरा जिक्र अपने आय-व्ययक के ब्योरे में किया है। ऐसी बात नहीं है कि किसी प्रकार से छिपाने की चेष्टा की हो बल्कि यह जो अनेक्जर पार्ट मेमोरेन्डम का है। उसमें इसका पूरा जिक्र किया गया है और हमने सभी कर्जों को इसमें दिखाया है।

इस कर्जे के देने की बाबत भी इस बजट में बतलाया है और उसका पूरा ब्यौरा दिया है कि किस प्रकार से अदा करते हैं; किस प्रकार से उस ऋण को कम करते हैं या हमारी बचत होती है इसका पूरा ब्यौरा उसमें है। जितना कर्जा हमारे ऊपर है और उन कर्जों को किस प्रकार से यहां पर हम भुगतान करते हैं, उसका भी जिक्र है। उसको हम दो-तीन तरह से अदा करते हैं। हमारे राज्य के जो आज कर्जे हैं उन पर, प्रति वर्ष रेवेन्यू एकाउन्ट से अदा करने के लिये, जो व्याज होता है, उसके लिये रुपया रखते हैं। प्रति वर्ष जितना ब्याज हमको उस कर्जे पर देना है उसके लिये हम अपने रिजर्व एकाउन्ट में से धन निकाल कर उसका प्राविधान करते हैं। और उस धन के जरिये से उसका सूद अदा होता है और उसी धन के जरिये से हम स्टेट के कर्जों का भुगतान करते हैं। उसमें प्रत्येक के लिये हमारे अपने अलग-अलग सिंकिंग फंड हैं जिनके द्वारा हम उनकी अदायगी करते रहते हैं।

जहां तक केन्द्रीय कर्जों का सवाल है, उसकी बात बहुत सीधी-सी है। केन्द्रीय कर्जे भी हम अपने फंडों से अदा करते रहते हैं। कुछ केन्द्रीय कर्जे ऐसे हैं कि जो हमने स्थानीय रूप से ले रखे हैं। जिस प्रकार से हमको खाद मिली तो वह हमने तकावी के रूप में बांट दी और जैसे-जैसे वह वापस आती है वह हमारे यहां एक लेखे में जमा होती है और उसके बाद निरंतर उसका भुगतान अपने आप होता रहता है उसी प्रकार से यह जो केन्द्रीय कर्जे हैं उनकी अदायगी भी, उनके निश्चित समय पर हो सके, इसका प्राविधान इसमें है। मुझे इन सबका जिक्र इसलिये करना पड़ा कि उनको इस बारे में ज्ञान है, यह उन्होंने कहा। अगर उनको ज्ञान होता तो वे यह न कहते कि आज से १५ वर्ष बाद कौन सरकार इस कर्जे के लिये अपने बजट का इतना हिस्सा अलग निकाल कर रख देगी। अगर ज्ञान होता तो वे यह न कहते कि यह स्टेट निरंतर मकरूज होती जा रही है और दूसरा कोई राज्य मकरूज नहीं हो रहा है। अगर ज्ञान होता तो वे ब्योरेवार तखमीनों से जान लेते कि किस प्रकार ५८ करोड़ के कर्जे की निश्चित

तिथियों पर हम मय सूद के इस राजस्व लेखे में से अदायगी करते जाते हैं । अगर ज्ञान होता तो वे यह न कहते कि आज के १५, २० साल बाद यह राज्य अपने बजट का आधा रुपया कर्जे के अदायगी के लिये ही निकाल देगा, बल्कि १०, २० साल बाद तो एक ऐसी स्थिति आ जायगी कि हमारे ऊपर कर्जा ही नहीं रहेगा। जिस प्रकार से हम आज अदा कर रहे हैं उसी प्रकार से वह निरंतर अदा होता जायगा और कोई कर्ज बाकी ही नहीं रह जायगा ।

एक बात और। शायद उनको ज्ञान तो हो और मैं समझता हूं कि उनको ज्ञान जरूर होगा। ३१५ करोड़ रुपया आज हमारे कैपिटल एक्सपेंडीचर में है। उन्होंने बार-बार कहा कि यह जो रुपया आता है यह न जाने कहां चला जाता है। जो रुपया प्रति वर्ष बच जाता है उससे उनका मतलब था। इसके अलावा, कुछ रुपया हमने लोकल बाडीज को दे रखा है, करीब ६३ करोड़ के। तो इस तरह से हमारे पास कुल ३७८ करोड़ रुपया है जिसके जरिये से आज हम इस प्रदेश का कार्य चलाते हैं। ३७८ में २१८ करोड़ का कर्जा, चाहे वह डाल्टन की भाषा का प्रयोग करें अथवा किसी और अर्थ शास्त्री का, उन्होंने डाल्टन का बड़ा लम्बा जिक्र किया, यदि उसी का जिक्र करूं तो डाल्टन ने स्वयं यह कहा है कि यदि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जिनके जरिये से हम कर्जे की अदायगी कर सकते हैं तो हम ऐसे स्टेट को कभी भी यह नहीं कहेंगे कि वह किसी कठिनाई में है या यह कि उस राज्य को कर्ज की फिक्र करनी चाहिये। उन्होंने अनुग्रह-पूर्वक यह स्वीकार किया कि यदि यह कर्जा हमारे ऊपर है तो इसके होने से हमको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। शायद उन्होंने यह भी कहा कि कर्जा होना बुरा नहीं है। वह इस सिद्धान्त को ठीक समझते हैं। मगर वह क्या करें।

मैं नारायणदत्त जी को तो नहीं कहना चाहता, किन्तु मेरे एक मित्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा आमदनी २६० रुपया है और अब टैक्सेशन की गुंजाइश नहीं है, रिसोर्सेज बढ़ाना चाहिये। लोगों को और ज्यादा सुविधायें मिलनी चाहियें, उनको साधन उपलब्ध होने चाहियें जिनके जरिये से वे अपनी आमदनी बढ़ा सकें। टैक्सेशन का नाम लें तो हम बहुत बुरे, लेकिन साधन बढ़ने चाहियें। इसका एक उदाहरण नारायणदत्त जी ने दिया। शायद उन्होंने नाम लिया जाब कंट्रोल आफिसेज का। उन्होंने हमको बतलाया कि आप जाब कंट्रोल आफिसेज की स्थापना करायें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्टर करें और उसके बाद एक मिनिमम वेजेज दे दी जायं, वह कोई काम करें या न करें। मैं तो कहूं कि हम उनकी सलाह को मान सकें, आपने भी किसी जाब कन्ट्रोल का जिक्र किया था। ....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैंने वर्क्स कैम्प का जिक्र किया था। यह नहीं कहा था कि काम करें या न करें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—श्रीमन्, हम चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति को हम ऐसा न छोड़ें जिसके पास काम न हो, लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आये और आये तो उसको अदा करने का कौन-सा उपाय हो? नारायणदत्त जी के पूरे भाषण को पढ़ने के बाद मालूम होता है कि उन्होंने हमारे प्रदेश की जो कठिनाइयां हैं उनका अहसास किया है। यह भी मालूम होता है कि उन्होंने यह भी महसूस किया कि आज इस प्रदेश में जो किया जा रहा है वह ठीक किया जा रहा है, सीमित साधनों के अनुकूल है। कुछ सुझाव उन्होंने दिये, उन पर माननीय वित्त मन्त्री जी विचार करेंगे, लेकिन जहां तक कि कठिनाइयों का प्रश्न है और उनके अन्दर हम कैसे काम करें, मेरे खयाल से ठीक ही है ।

एक शिकायत माननीय नारायणदत्त जी से खास तौर से है, यदि मैं उनके लिए उस शब्द का प्रयोग करूं तो शायद अच्छा न लगे, उन्होंने कहीं-कहीं पर उस प्रकार की बहस की है कि जिस प्रकार की अदालत में न गया हुआ वकील करता है। मैंने जानबूझ कर उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जिसको आम फहम भाषा में अनाड़ी वकील कहते हैं। उन्होंने एक ही आंकड़े की

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

पुस्तिका अपने सामने रखी---१९५७-५८ के आंकड़े की ही---कि व्हीट नहीं बढ़ा, कपास नहीं बढ़ी, ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं बढ़ी, जिस क्षेत्रफल पर सिंचाई होती है वह नहीं बढ़ा, जिस क्षेत्रफल पर रुपया मिलता है वह नहीं बढ़ा। अदालत में गया हुआ वकील ऐसी बहस नहीं करता। यदि आंकड़े रखने थे तो १९५८-५९ के रखते जो कि इस पुस्तिका में मौजूद है। १९५६-५७ से १९५८ के आंकड़ों में उन्होंने निरन्तर कोशिश की कि १९५६-५७ के आंकड़े पढ़ दें या १९५७-५८ के, लेकिन १९५८-५९ के आंकड़ों के सम्बन्ध में उन्होंने यही कोशिश की कि उन के सम्बन्ध में अगर कुछ न कहना पड़े तो शायद ठीक हो।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

केवल इतना-सा उनकी सेवा में कहना चाहूंगा कि जिस सम्बन्ध में उन्होंने चर्चा की, शायद एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है, न गेहूं के सम्बन्ध में, न और किसी सम्बन्ध में, सिवाय इसके कि जो आबपाशी का रुपया १९५८-५९ में आया है, वह रुपया बमुकाबले १९५७-५८ के रुपये के कुछ कम है, अन्यथा १९५८-५९ के जितने आंकड़े इस पुस्तिका में हैं उनमें एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं है जो कि प्रत्येक वर्ष में सबसे बड़ा आंकड़ा न हो---वह चाहे पैदावार से सम्बन्धित हो चाहे क्षेत्रफल से सम्बन्धित हो। मैं केवल इसलिए कि जिससे यह समझा जा सके कि मैंने ठीक बात कही है, एक ही चीज का जिक्र करना चाहता हूं---पर कैपिटा इन्कम का। बहुत जिक्र हुआ है, माननीय पालीवाल जी, नारायणदत्त जी न जाने किन्होंने पर कैपिटा इन्कम का निरन्तर जिक्र किया और उसके सम्बन्ध में बराबर यह कहा गया कि वह घटती चली जाती है। १९४८-४९ में अगर १०० थी तो आज वह क्या है---१०० का आंकड़ा तो खैर, उसके सम्बन्ध में नहीं माना गया, बल्कि १९४८ में जो पर कैपिटा इनकम थी उसी आंकड़े से या किसी दूसरे आंकड़े से अगर वह यह कह सकें कि वह इनकम घटी है तो मैं शायद उसको स्वीकार करने के लिए कभी भी तैयार नहीं हूंगा। इसी आंकड़े के मुकाबले में भी वह इनकम बढ़ी है---चाहे रूरल सेक्टर की हो या अरबन सेक्टर की हो।

एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं। समय भी आप मुझे शायद ज्यादा नहीं दे सकेंगे। मेरे मित्रों ने बहुत चेष्टा की केवल यह कहने की कि जितने कार्य आज हो रहे हैं उनके संबंध में अपव्यय हो रहा है। हमारे कुछ मित्रों ने, जो उधर बैठे हुए हैं, उनमें से अगर मैं किसी का नाम भी लूं तो अनुचित न होगा, माननीय राजनारायण जी ने यह भी कहा कि ६ एकड़ से नीची जितनी भूमि है उस पर अगर लगान माफ कर दिया जाय तो उससे करीब ८-९ करोड़ रुपये की हानि होगी। उन्होंने कुछ इस प्रकार की चुनौती भी दी, नोटिस भी भेजा। और जो हानि होगी उसके लिये उन्होंने अपने बजट भाषण में यह नुस्खा बताया कि हजार रुपये से अधिक पाने वाले जितने अधिकारी हैं उनकी तनख्वाह कम कर दी जाय। दूसरा यह कि जिनकी आमदनी १,००० रुपये से अधिक है वह घटा दी जाय। कुछ और इस प्रकार के अपव्यय की चर्चा उन्होंने की। कुछ और माननीय मित्रों ने की। मैंने इस संबन्ध में कुछ आंकड़े भी इकट्ठा करने की चेष्टा की। मैंने यह मालूम किया कि कितने अधिकारी हमारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह १,००० रुपये से अधिक है। उनकी तादाद इस प्रदेश में कुल ४१० है। यदि इन सबकी तनख्वाह १ हजार रुपये कर दी जाय तो इससे ज्यादा से ज्यादा २० लाख रुपये की बचत होगी अब दूसरे लोगों के सम्बन्ध में मैं समझ नहीं पाता हूं कि कैसे उनकी आमदनी १,००० रुपये पर लाकर इकट्ठी कर दी जाय। कौन-सा तरीका है इसको करने का, यह मेरी समझ में नहीं आता कैसे यह कर दिया जाय कि किसी भी फर्म की आमदनी १ हजार से ज्यादा न हो। माननीय झारखंडे राय जी की बात को भी मान लिया जाय, तो भी मैं नहीं कह सकता कि प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी कैसे फिक्स कर दी जाय।

तोमैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सदन के सामने जो आय-व्ययक का लेखा आया है उसमें हमारी नीतियों का स्पष्ट उल्लेख है। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। हमारी नीतियां

सब ऐसी हैं जिनको हम निर्धारित कर चुके हैं। नागपुर सैशन में हमारी नीतियां स्पष्ट और निर्धारित हो चुकी हैं। कोआपरेशन की तरफ, कोआपरेटिव फार्मिंग की तरफ, जमीन की सीलिंग की तरफ, तथा अन्य भी जो हमारी नीतियां इस वक्त चल रही हैं, वे सभी स्पष्ट हैं। हमने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पास किया है कि उन नीतियों का किस प्रकार इम्प्लीमेंटेशन होगा। वह किस प्रकार से कार्य रूप में परिणत होंगी, यह भी हम तय कर चुके हैं। यह हो सकता है कि कुछ कायदे कानून की दिक्कतों के कारण उनके सम्बन्ध में कुछ दिक्कत हमारे सामने आ जाय और उसमें देर हो। उन दिक्कतों के कारण यह हो सकता है कि उनको कार्य रूप में परिणत करने में हमें कुछ विलम्ब हो, किन्तु हमारी नीतियां सब स्पष्ट हैं और उन सब नीतियों को हम पूरा करना चाहते हैं। हमारी नीतियों के सम्बन्ध में अगर कोई कुछ कहता है तो वह मुनासिब न होगा।

वित्त मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)---अध्यक्ष महोदय, पांच दिन से जो मुख्य-मुख्य तकरीरें हुयीं हैं उनमें बराबर में इस सदन में मौजूद रहा हूं और उनको मैंने काफी गौर से सुना है। मुझे यह मालूम होता है कि उनमें से बहुत तकरीरें ऐसी हैं जिनमें कुछ ऐसे एतराजात किये गये हैं जिनका जवाब हमको देना है क्योंकि उनके मुताल्लिक या तो उनको कुछ गलतफहमी है या शायद कुछ इत्तला नहीं है। कुछ ऐसी भी तकरीरें थीं जिनमें हमारे लिए बहुत-से सुझाव दिये गये हैं और यह कहा गया है कि आइन्दा इन-इन बातों का लिहाज रखा जाय। वह सब सुना और खाली सुना ही नहीं, बल्कि हम ने नोट भी किया है और बहरहाल हम उन पर गौर करेंगे और जो मुनासिब होगा उनका हम जवाब देंगे। कुछ ऐसी भी तजावीज हैं जिनका ताल्लुक किन्हीं मखसूस विभाग से है। उन में से बाज-बाज बातों का जवाब तो मैं यहां दे दूंगा, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उस वक्त जब उन विभागों का बजट आयगा, गालिबन उनका जिक्र उस वक्त भी होगा तो जो मन्त्री उसके मुताल्लिक हैं वह उसका मुनासिब जवाब देंगे। लेकिन कुछ तकरीरों का ऐसा सिलसिला रहा जिनमें सिवाय लोगों ने नुक्ताचीनी की है और एतराज करने के सिवा किसी बात का लिहाज नहीं किया है। इस किस्म की तकरीरों से आगे बढ़ने के बजाय हम बिलकुल जैसे गिरते चले जा रहे हैं, पीछे हटते चले जा रहे हैं और हर तरफ एक अंधेरा तारी है और कोई रोशनी उनको दिखायी नहीं देती। ऐसी तकरीरों के मुताल्लिक मैं क्या कहूं सिवाय इसके कि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मोटा चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ गया है कि उनको रोशनी दिखायी नहीं देती। देश आगे बढ़ रहा है, हम तरक्की कर रहे हैं और कोई भी मुन्सिफमिजाज आदमी नहीं कह सकता कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं।

रह गया कि हम में कुछ कमजोरियां हैं और हमने जो लक्ष्य बनाया है उधर हम जा रहे हैं या नहीं, उस बारे में हम ने कभी यह दावा नहीं किया कि हम अपने मकसद पर पहुंच गये और हमारी जनता की सब कठिनाइयां खत्म हो गयीं और अब हमको कुछ नहीं करना है। मैंने बराबर अपनी तकरीरों में हवाला दिया है और कई मौके पर कहा है कि हमें बहुत आगे जाना है और जब तक हम सेल्फ जेनेरेटिंग इकानामी पर नहीं पहुंचते उस वक्त तक हमें इत्मीनान नहीं हो सकता, लेकिन हमारा देश इस किस्म के दलदल से निकल गया है यह मैंने कहा है। यह हो सकता है कि हममें जो कमियां हैं, हमारे कुछ हजरात महज उनकी तरफ देखें, और सिर्फ यह बतलाना चाहें कि यह-यह खराबियां हैं और बाकी चीजों को नजरन्दाज कर दें तो उनकी खुशी है लेकिन वह सही तसवीर देश की नहीं होगी और जब इस सिलसिले में गुस्सा किया जाता है और चिल्ला-कर तकरीरें होती हैं तो कम से कम मुझे अपनी जगह पर इत्मीनान होता है कि उनके पास कोई मजबूत दलील नहीं है लिहाजा इस कमी को छिपाने के लिए इस किस्म की खफगी का इजहार किया जा रहा है। लाजिक में आप ने सुना होगा कि एक उनवान है फैलेसी का कि जब कोई बहस कमजोर होती है तो उसको छिपाने के लिए बहुत जोर से कहा जाता है। हर शख्स समझ लेता है कि इसके माने क्या हैं और गुस्सा क्यों है। सवाल सिर्फ इतना है कि ये काम हमको करने हैं। इस देश की जनता ने यह जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की है। हम चाहते हैं और हमने बार-बार अपील की है कि आप हमारा हाथ बटावें। यह काम किसी एक जमाअत या एक पार्टी

[श्री सैयद अली जहीर]

का नहीं है। अपने देश की कमजोरियों और खराबियों को दूर करना हम सबका फर्ज है। यह एक नेशनल ड्यूटी है, एक नेशनल पालिसी है, जिसके बगैर न तो आपको इत्मीनान हो सकता है और न हमको हो सकता है। आप यह क्यों समझें कि अगर हमारा लक्ष्य कामयाब हुआ, हमारे प्लान्स कामयाबी तक पहुंचे तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा ? मुखालिफत तो गालिबन इसी वजह से होती है कि कहीं यह अपने मकसद पर पहुंच गये तो इसका क्रेडिट कांग्रेस गवर्नमेंट ले जायेगी, कांग्रेस पार्टी ले जायगी, लेकिन अगर आप शरीक होना चाहें तो उसमें कोई रुकावट नहीं है।

हमारे विरोधी दल के उपनेता ने अपनी तकरीर के सिलसिले में बहुत सी बातों का जिक्र किया; उनमें से एक बात का हवाला कब्ल अज वक्त दे रहा हूं। उन्होंने शिकायत की कि एडल्ट एजूकेशन पिछड़ी हुई है। हमने कब कहा कि एडल्ट एजूकेशन को हमने हल कर लिया है ? अगर वह जरा-सा सोचें और गौर करें तो मालूम होगा कि कम से कम एडल्ट एजूकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें हर पार्टी और जमात शरीक हो सकती है, नाइट स्कूलों के जरिये से इसको बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के जो पब्लिक माइन्डेड आदमी हों जो दिन भर अपना काम करते हैं वे शाम को आस-पास के ऐसे अनपढ़ आदमियों को जमा करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या कोई कोशिश इस सिलसिले में की गयी ? खाली मुट्ठी भर आदमी इस काम को नहीं कर सकते हैं। हमारे रिसोर्सेज जो हैं वे महदूद हैं, इसलिए यह काम कैसे जल्दी हो सकता है ? मैं इस की अहमियत को मानता हूं लेकिन यह एक ऐसा काम है जिसमें अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस कठिनाई को मुल्क से दूर करें, जो जहालत फैली हुई है वह खत्म हो, तो फिर आपका भी फर्ज हो जाता है कि आप हमारा हाथ बटायें। बहरहाल, ये चीजें ऐसी हैं, ये काम ऐसे हैं जिनको हमें किसी न किसी तरह से पूरा करना है।

यह भी याद रखने की चीज है कि जिस वक्त देश स्वतन्त्र हुआ था उस समय वह कितना गिरा हुआ था, किस मुसीबत में था और हमारे साधन कितने सीमित थे, हम क्या कर सकते थे। हमने पहली पंचवर्षीय योजना बनायी, तकरीबन २ हजार करोड़ रुपया उसमें सर्फ किया गया पूरे देश में और हमारा भी जो शेयर था वह हमने सर्फ किया। इससे तरक्की हुई लेकिन वह कोई ऐसी नुमायां तरक्की नहीं थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना खत्म हो रही है। इसके मातहत हम पूरे देश में चार हजार आठ सौ करोड़ रुपया सर्फ कर रहे हैं, जिसमें २५३ करोड़ इस प्रदेश में भी खर्च होने जा रहा है। हमने यकीनन प्रगति की है और हम को अगर और आगे बढ़ना है तो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमको बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें सिर्फ जो मौजूदा जनसंख्या है उसी का इन्तजाम नहीं करना है बल्कि हमें यह भी खयाल रखना है कि तीसरी योजना के खात्मे पर उस समय जो हमारी जनसंख्या होगी उसकी क्या हालत होगी। अगर हम उतनी ही उन्नति करते रहे जितनी कि जनसंख्या बढ़ती है तो हम ज्यों के त्यों ही रह जायंगे, इस बात में कोई शक नहीं। इसलिये अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको इतना बड़ा कदम उठाना होगा जिससे थोड़े से वक्त में हम इतना ज्यादा काम कर सकें और इस नौबत पर पहुंच जायं कि हमारे यहां जो रिसोर्सेज और मैनपावर हों उसको काम पर लगा सकें, वह कुछ पैदा कर सकें, इतनी दौलत हमारे मुल्क में हो कि सबको कुछ न कुछ काम या रोजगार मिल सके। तो यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारी इकोनामी है जिधर हमको जाना है। हमें समझना चाहिये कि हमारा मकसद ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ एक पार्टी पूरा कर सके। जब कोई मुल्क लड़ाई में शरीक होता है तो उसकी एक नेशनल पालिसी होती है और हर शख्स मेहनत से काम करता है और तहैया करता है कि जैसे हो सके हम अपने ध्येय को पहुंचेंगे। उसके लिये पार्टी का सवाल नहीं होता है। सब मिलकर काम करते हैं। अगर हमें अपने यहां की गरीबी और बेकारी मिटानी है तो वार-फूटिन्ग पर काम करने से ही हम कामयाब हो सकेंगे।

बहुत सी बातों का तो जवाब हो चुका है और मैं उसे दोहराऊंगा नहीं । मैं मुख्तसर में इस बात का, उपनेता विरोधी दल ने जो कही, जवाब देना चाहता हूं कि बजट बैलेंस्ड नहीं है । बजटिन्ग का एक तरीका होता है । एक एस्टीमेटेड इनकम होती है और एक्चुअल्स होते हैं । एक्चुअल्स के बेसिस पर अगले साल के एस्टीमेट्स रखे जाते हैं । एक्सपैंडीचर में सभी खर्चे रखे जाकर भी कुछ न कुछ फर्क तो एक्चुअल्स में हो ही जाता है । १९५६–५७ में हमने एस्टीमेटेड रिसीट्स ८५ करोड़ रखी थी और एक्चुअल्स हुये ९० करोड़ । ५ करोड़ का कोई ज्यादा फर्क नहीं था । १९५७–५८ में हमने लगभग ९७ करोड़ रुपया रखा था जो १०५ करोड़ एक्चुअल्स हुआ । इस पर हमने १९५८–५९ में अपनी आमदनी का अन्दाजा १०८ करोड़ रखा । हमेशा पहले साल के एक्चुअल्स से ज्यादा रखा । १९५८–५९ की एक्चुअल आमदनी ११७ करोड़ हुई । चुनांचे १९५९–६० में हमने ११९ करोड़ की एस्टीमेटेड इनकम रखी । इसके अभी ठीक एक्चुअल्स तो नहीं मालूम हुये हैं क्योंकि अभी डेढ़ महीने के करीब बाकी है मगर इस वक्त तक के रिवाइज्ड एस्टीमेट से मालूम होता है कि १२२.५ करोड़ हमारी आमदनी इस साल होगी । १९६०–६१ के लिये हमने इसे बढ़ाकर १३०·९ करोड़ इस बजट में रखी है । इसमें कोई ऐसी फैन्टास्टिक या गैरमामूली बात नहीं है जिसे आप कह सकें कि यह बजट के माने हुये उसूलों के खिलाफ है ।

इसी तरह से मैं खर्चे का बतलाना चाहता हूं । सन् १९५६–५७ का एस्टीमेट ९५ करोड़ था लेकिन एक्चुअल्स हुये ९० करोड़ । १९५७–५८ में हमने अपना खर्चा १०८ करोड़ रखा था लेकिन हुआ ९९ करोड़ । इसी तरह से १९५८–५९ में हमने अपना एस्टीमेटेड खर्चा ११३ करोड़ रुपया रखा था लेकिन एक्चुअल्स ११६ करोड़ हुये । मगर ११६ करोड़ में, जैसा कि खुद माननीय उपनेता विरोधी दल ने फरमाया, हमने कुछ रुपया सिंकिंग फंड में, कुछ रुपया रैवेन्यू रिजर्व फंड में और कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया के कर्जों की वापसी के लिये अलहदा कर दिया । इस तरह से यह खर्चा जाकर ११६ करोड़ हुआ और जो कुछ आयन्दा १९६०–६१ के लिये खर्चे का बजट हमने रखा है वह १३३·२३ करोड़ है । आज हमारी जैसी फीगर्स चल रही हैं, उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके मुताल्लिक यह एतराज किया जाय कि डेलिबरेटली कोई बात की गयी है या कोई गलत बात की गयी है जिसकी वजह से बजट में कोई छिपाने की कोशिश हो या बचाने की कोशिश हो । यह तो माननीय नारायण दत्त जी की ही तजवीज थी कि अपने कर्ज के लिये आप अपने रेवेन्यू में से ही रुपया दीजिये । चुनान्चे उस पर अमल किया गया जिसके लिये उनको खुशी होनी चाहिये थी, जिसकी मैं उनसे उम्मीद कर रहा था लेकिन उन्होंने इस पर एतराज किया कि आपने यह क्यों किया ।

अब जिन बातों को माननीय मिनिस्टर आफ सोशल वेलफेयर ने अपनी तकरीर में बयान किया है उनको मैं दोहराना नहीं चाहता । उन्होंने आपको बतलाया कि अक्सर यह होता है कि कोई स्कीम हम बनाते हैं लेकिन मैटीरियल नहीं है, एक्सचेंज नहीं मिलता है, इसके अलावा और भी कई किस्म के झगड़े पड़ जाते हैं, जैसे––टेक्निकल परसोनेल (Technical personnel) की हमारी यहां बहुत कमी है, मुनासिब किस्म के आफिसर्स हमारे यहां नहीं मिलते हैं जिनके लिये हम बाहर से मंगाने की कोशिश कर रहे हैं, य तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से दिक्कत पड़ जाती है । अब जो रुपया ट्रांसफर किया गया है वह रेवेन्यू का है और इस तरह से तीन डिपार्टमेंट्स को वह ट्रांसफर किया गया है । हर साल हम इस तरह का ट्रांसफर करते रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सन् १९५५ में कहा कि अब आपको सिंकिंग फंड बनाने की जरूरत नहीं है । ऐसा इस वजह से उन्होंने कहा कि करीब २१८ करोड़ के उनका कर्जा था लेकिन इसमें बहुत-सा तो ऐसा ही कर्जा है जो हम इंस्टालमेंट में दे रहे हैं । वह इंस्टालमेंट हर साल रेवेन्यू से आता है ।

हमारे माननीय नारायणदत्त जी ने डाल्टन का एक पैसेज इस सिलसिले में पढ़ कर सुनाया । मेरी समझ में नहीं आया कि उसका मकसद क्या था । बहरहाल, रेवेन्यू से

[श्री सैयद अली जहीर]

हमने दिया और हमारे यहां सेविंग रही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है । लेकिन इस पैसेज का ताल्लुक, जो उन्होंने पढ़ कर सुनाया था, यहां कोई खास माने नहीं रखता :

"It is less equivocal to speak in terms of a budget surplus or deficit. Even here, however, there may be ambiguity. In judging whether a surplus or deficit has been realized, public repudiation should entirely exclude all debt repayment, even under Statutory Sinking Fund. If there is any net repayment of dead weight public debt out of current revenue, then there cannot be a true budget deficit."

इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमने इसको छिपा लिया हो बल्कि यह तो हमारे बजट में लिखा हुआ है और हमारी तकरीर में भी उसका जिक्र है । इसलिये इसके कोट करने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया । अगर कर्जा लिया जाय तो उसमें देखना यह पड़ता है कि जितना कर्जा लिया जा रहा है उसके हिसाब से एसेट्स पास में हैं या नहीं । तो यहां तो देखना यह है कि कहीं कर्जे की ऐसी नौबत तो नहीं पहुंच गयी कि हमारे पास उतने एसेट्स ही न हों । लेकिन ऐसी बात नहीं है । आपको मालूम होना चाहिये कि हमने पहले ही कर्जा नहीं लिया है बल्कि नया कर्जा लेने का जिक्र आपको इस बजट में मिलेगा कि इस साल भी हम कर्ज ले रहे हैं; इसलिये यह नहीं है कि हम करेन्ट रेवेन्यू में खर्च करते हैं बल्कि हम एसेट्स बनाते हैं और तब वह रुपया कैपिटल एक्सपेंडीचर में लगाते हैं ।

कुछ बातें बजट के उसूल के मुताल्लिक भी कही गईं कि बजटिंग कैसा होना चाहिये, कर्जा कहां तक लेना चाहिये । मैं माननीय नारायणदत्त जी की तवज्जह दिलाऊंगा, अगर वह चाहें तो एक लेटेस्ट किताब बरचेड की बजेटिंग के उसूलों पर है, उसे वह पढ़ना चाहें तो पढ़ें । उस ने लिखा है कि बजटिंग के मुताल्लिक कोई फिक्स्ड रूल नहीं है । हर मुल्क को अपनी स्थिति के मुताबिक अपना बजट बनाना पड़ता है । कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो अभी अनडेवलप्ड हैं उनको तरक्की कर के अपने देश को डेवलप्ड बनाना है तो वहां की बजटिंग के उसूल दूसरे होंगे बनिस्बत उन मुल्कों के कि जो एडवान्स्ड मुल्क हैं और आगे बढ़ चुके हैं । उनका बजटिंग का तरीका दूसरा होगा और उसूल ही अलग होंगे । एक बैकवर्ड मुल्क जिसकी इकोनामी को अभी वहां के लोगों को बनाना है, थोड़े से समय में कम रिसोर्सेज में वहां की हालत को सुधारना है, टेक्निकल एडवान्समेंट करना है, तो वहां की इकोनामी भी दूसरी तरह की होगी और वहां वह उसूल लागू नहीं होंगे जिन का इस्तेमाल एक एडवान्स्ड मुल्क करता है । जो मुल्क अनडेवलप्ड हैं वहां के बजटिंग के क्या उसूल होते हैं वह सब इस किताब के आखिरी चैप्टर में मिल जायेंगे । उन के भी उसूल होते हैं वह भिन्न होते हैं उनसे जो एडवान्सड मुल्कों में बरते जाते हैं ।

फिर यह भी कहा गया कि यहा पर कैपिटल एक्सपेंडीचर घट रहा है । मालूम होता है कि इस संबंध में माननीय नारायणदत्त तिवारी को कुछ गलतफहमी है । उन्होंने समझा कि हम ने पिछले साल से भी कम रुपया कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिये रखा है । पारसाल वह ३२ करोड़ था और इस साल २७ करोड़ है । ऐसा क्यों है ? असलियत यह है कि इस साल भी अगर देखा जाय तो ३२ करोड़ जो पारसाल था उसमें से साढ़े ४ करोड़की ऐसी रकम थी कि जो स्टेट होल्डिंग के लिये अलग की गई थी, वह कैपिटल एक्सपेंडीचर था, अब इस साल उसकी जरूरत नहीं है, वह रुपया लग चुका है और अब वापस आ रहा है और इस साल कोई और नया रुपया स्टेट होल्डिंग में नहीं लगाना है और बरखिलाफ इस के ६३ लाख रुपया वापस आ जायगा उस रुपये में से । इस तरह से अगर आप उस २७ करोड़ में यह ४ १/२ करोड़ और जोड़ दें तो वही ३२ करोड़ के करीब हो जाता है जो कि पिछले साल था, कोई खास फर्क इस में नहीं होता । इस तरह से २६ करोड़ के करीब इस साल हमारा खर्च होता है । इस तरह से हमें कुल रकम जो कर्जे की शक्ल में लेनी पड़ेगी वह ४४ १/२ करोड़ रुपया होगी, जिसमें से २७ करोड़ के करीब हमारा कैपिटल एक्सपेंडीचर पर खर्च होगा और बकिया दूसरे कर्जे जो म्युनिसिपल बोर्ड्स वगैरा को दिये जाते हैं उन को हम देंगे। यह खयाल गलत है कि जो कर्ज हम लेते हैं वह चाहे हम रेवेन्यू में शामिल करें, वह खर्च कर देते हैं ।

जहां तक हमारे इनडेटेडनेस का सवाल है, हम वहीं तक कर्ज लेते हैं जहां तक हम दे सकते हैं, यही एक उसूल है और उसके आगे हम न लें । हमारे असेट्स ठीक होंगे, आर्थिक दशा सुधरेगी और जरूरत जैसे-जैसे बढ़ेगी हम लेंगे और उसी तरह से हम उसको पे करेंगे । यह कहना ठीक नहीं है कि हमारा कर्जा ज्यादा बढ़ गया है और जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज्यादा है, या आर्थिक स्थिति से ज्यादा है । जैसा कि लक्ष्मीरमण जी ने कहा था, २८४ करोड़ के करीब हमारी जिम्मेदारी कर्जे की हो जाती है । लेकिन जो हमारे असेट्स बनते हैं वे तकरीबन ३०५ करोड़ तो वे हैं जो कैपिटल एमाउन्ट हमने लगा दिया है और ६३ करोड़ वे हैं जो हमने लोगों को कर्ज दे रखा है । इस तरह से यह टोटल ३६८ करोड़ पहुंचता है । इस तरह से यह कहा जा सकता है कि २८४ करोड़ के कुल कर्जे हमारे ऊपर होते हैं जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का भी कर्जा शामिल है और ३६८ करोड़ के उसके मुकाबले में हमारे असेट्स हैं, तो यह कोई खराबी की बात हो या गलत बात हो, ऐसा नहीं है ।

एक बात मुझे पब्लिक लोन्स के मुताल्लिक अर्ज करनी है । आपको यह भी मालूम होगा कि आजकल के जमाने में इकोनामिक्स के जो माहिर हैं वे समझते हैं कि जहां तक लोन्स का ताल्लुक है, यह भी एक तरीका है जिससे अगर सरप्लस रुपया लोगों के पास होता है तो वह मिल जाता है और कैपिटल एक्सपेंडीचर में लग जाता है और उसका सही इस्तेमाल होता है । तो ऐसे जमाने में जिस वक्त कि करोड़ों रुपया डेवलपमेंट के काम में खर्च किया जा रहा है उस वक्त इस बात की भी जरूरत होती है कि आप कुछ न कुछ कर्जा भी पब्लिक से लें । जिस तरह से टैक्सेशन या सेविंग्ज के जरिये है उसी तरीके से यह भी एक जरिया है । इसलिये यह कह देना कि कर्जा लेना बुरा है या हमने कोई गलती की है, सही नहीं है ।

फेमीन रिलीफ फंड के बारे में कहा गया कि ५५ लाख होना चाहिये था, वह घटकर कम हो गया । तो मैं अर्ज करूंगा कि उसके मुताल्लिक जो रूल है वह यह है कि "If the balance in the fund falls below 55 the deficiency has to be made good by assignment in the revenue in the following year." तो दूसरे साल उसको पूरा करना होता है । रूल में यह भी है कि अगर १६ लाख से ज्यादा हो तो एनुअल इंसटालमेन्ट के जरिये से भी उसको पूरा किया जा सकता है । वाकया यह है कि अभी जो आपने सप्लीमेंटरी बजट पास किया है उसके जरिये १ करोड़ रुपया हमने इस फंड में ट्रांसफर कर दिया और अब इस बजट के जरिये से ५० लाख रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें किसी किस्म की कोई गलती है या जो कानून बना है उसके खिलाफ कोई बात हुई ।

जो इलेक्ट्रसिटी का हिसाब इसमें छपा है उसके ऊपर माननीय नारायणदत्त जी ने मजाक किया कि कैपिटल तो आपने सिर्फ १ लाख रुपया दिखलाया है लेकिन उसके ऊपर सूद जो दिखलाया है वह २·३ करोड़ रुपया दिखलाया है । तो मैं उनसे अर्ज करूंगा कि गालिबन वह गलतफहमी में हैं और शायद बजट को फालो नहीं कर सके । सूरते हाल यह है कि इस साल तो उनको लोन दे रहे हैं ३९४·९६ लाख रुपये यानी करीब-करीब ४ करोड़ रुपये के । तो यह हम उनको लोन दे रहे हैं । लेकिन इसके अलावा जो बात है वह यह कि उनका कैपिटल जो था, जो तमाम बड़े-बड़े बिजली के कारखाने लगे हुये हैं जो उनको ट्रांसफर किये गये हैं उनकी वैल्यू ६८.८७ करोड़ पये है तो ६९ करोड़ के करीब जो रुपया है जिसके उनको एसेट्स दिये गये हैं इसके ऊपर कई साल से यह सूद लगता चला जा रहा है । तो यह वह सूद है जो बराबर उसके ऊपर लग रहा था । तो उस सूद की रकम २·३ करोड़ तक पहुंची है । इस वजह से यह १ लाख रुपये का सूद नहीं है बल्कि ६८.८७ करोड़ पये का सूद है । ये सब चीजें आपको बजट में मिलेंगी । जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि महज बजट का यह काम न समझें कि ३१ मार्च हुआ तो उसको बेच दिया जाय और किसी बुकानदार के यहां पुड़िया बनाने के काम में आये, अगर आप गौर से इसको पढ़ें तो गालिबन इस किस्म की गलतियां ही नहीं होंगी । यह इसकी सूरत है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने यह कहा था, मंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं, कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कुल कैपिटल असेट्स ६८ करोड़ के १९६०-६१ में ट्रांसफर हुये। लेकिन ब्याज बोर्ड से १९५९-६० में चार्ज कर लिया गया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक चीज है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दूसरी चीज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से १९५९-६० में इंटरेस्ट चार्ज होता तब तो सही था। पर बिना असेटस ट्रांसफर किये बोर्ड से इंटरेस्ट चार्ज करना सही नहीं था ।

श्री सैयद अली जहीर—बहरहाल, जहां तक १,००,००० रुपये का ताल्लुक है, यह तो खाली फाइनेंशियल ऐक्सपेंडीचर के लिये है । यह बिलकुल अलग चीज है । इसके अलावा, करीब ४ करोड़ रुपये के असेट्स इस साल में उनको ट्रांसफर किये गये हैं और इसका हवाला भी बजट में दिया हुआ है ।

आपने एक गलती की तरफ इशारा किया था । वह महज छपाई की गलती है वाल्यूम २ के पेज १४१ पर, उसको ठीक कर लें । वह यह है कि "परसेंटेज आफ गेन" (Percentage of gain) इसमें लिखा हुआ है जो कि "परसेंटेज आफ लास आर गेन" (Percentage of Loss or gain) होना चाहिये और उसके अपोजिट जो फिगर है वह .०३ दी हुई है, उसके पहले माइनस का निशान होना चाहिये, यानी—.०३ । इसी तरह से "नेट लास आर गेन" (Net loss or gain) के सामने जो फिगर लिखा है वह १९ लिखा है जो कि—१९ होनी चाहिये ।

कुछ लोगों ने इस पर एतराज किया कि आपने बजट में १०० रुपये की टोकेन ग्रान्ट क्यों रख दी । यह टोकेन ग्रान्ट ऐडमिनिस्ट्रेटिव परपजेज इन हिल एरियाज (Token Grant administrative Purposes in Hill areas) के लिये रखी गई है जिस पर एतराज हुआ । यह तो एक इमरजेंसी का सामना था और इसी खयाल से लेजिस्लेचर का ऐप्रूवल लेने के लिये टोकेन ग्रान्ट रख दी गई । क्योंकि अभी यह स्कीम न तो बनी है और उसको अभी पब्लिश भी नहीं करना चाहते और न आपके सामने है । तो जाहिर है कि अगर हम उस स्कीम के लिये रुपये की ऐप्रूवल लेना चाहते, जो अभी तय नहीं हुआ है, उसके लिये सिवाय इस शक्ल के और कोई दूसरी सूरत नहीं थी । अगर वह स्कीम बन चुकती तो मेमोरेन्डम में आपके सामने आ गई होती । लेकिन जिस स्टेज पर है उस हिसाब से लेजिस्लेचर का ऐप्रूवल चाहते हैं ताकि आपको इल्म रहे । इसलिये आपके सामने उसका जिक्र आया था ।

यह भी एतराज किया गया फायनेन्स डिपार्टमेन्ट पर कि जितना रुपया हो उसे दूसरे डिपार्टमेंट को दे दिया करो, फिर जैसे वह चाहे साल भर में खर्च करे । यह हो नहीं सकता । जैसा कि बजट स्पीच में भी मैंने कहा था, कुछ सहूलियतें इस सिलसिले में दी गई हैं । हम जहां तक होता है सैंकशन अपने यहां से जल्दी से जल्दी भेज देते हैं । चुनान्चे मई, जून तक तमाम सैंक्शन हमारे यहां से जा चुकीं । एक दिक्कत यह होती है कि जिस समय बजट बनता है तो जो स्कीम्स बनती हैं वे मुकम्मल नहीं होतीं । स्केलेटन स्कीम्स होती हैं । लेजिस्लेचर की मंजूरी मिल जाय लिहाजा मंजूरी मिलने पर उन स्कीम्स को जांचा जाता है कि वे सही हैं या नहीं । इसलिये इस तरह का नियंत्रण करना पड़ता है ।

यह भी एतराज किया गया कि सेल्स टैक्स का बहुत कुछ एरियर रह गया और कहा गया किसी तकरीर में कि ७ करोड़ का एरियर है । ७ करोड़ नहीं है लेकिन ५ करोड़ के करीब जरूर है और उसकी वजह है कि कुछ मुकदमें दायर हो जाते हैं, कुछ रिवीजन हो जाते हैं और कुछ दरख्वास्तें आती हैं कि हम नहीं दे सकते । इसके लिये यह कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कमी हो और इसके लिये जिलों में साल भर के लिये कई कुर्क अमीन मुकर्रर किये गये हैं और जहां वसूलयाबी कम होगी वहां यह मुकर्रर किये जायेंगे और उनको टार्गेट दे दिया जाता है कि छोटे शहरों में ७ से १० हजार और बड़े शहरों में १५ हजार कम से कम वसूल करेंगे । साथ ही साथ टैक्स के इवेजन के लिये भी सेल्स टैक्स आफिसर्स मुकर्रर किये हैं जो इवेजन को देखते रहें और न होने दें ।

कुछ जमींदार माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की कि देखिये, इस गवर्नमेंट की साख भी गिर गई है क्योंकि जमींदारी बांड्स ४० रुपये पर बिक रहे हैं। आप अगर बांड्स को देखें तो साफ लिखा हुआ है कि इस हिसाब से, इतने दिन में इस सूद के साथ यह रुपया मिलेगा। तीस वर्ष की मियाद है। जमींदार भाई घबड़ा जायं और वे चाहें कि रुपया आज ही मिल जाय तो उस पर उनको डिसकाउंट देना होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने तो जैसा वायदा किया है ३० वर्ष के अन्दर हो उनको रुपया मिलेगा। आपने देखा होगा कि अखराजात में जो कमी हुई है उसका कारण यह है कि २ करोड़ के बांड हमने रखे थे बजट में इश्यू करने के लिये लेकिन लोग लेने नहीं आये और वे इश्यू नहीं हुये और वह रुपया बच गया। इसकी वजह से डेफिसिट कम हुआ। इसलिये सरकार की साख का सवाल नहीं है, जमींदारों की साख का जरूर अन्दाज होता है कि वे घबड़ा जायं और चाहें कि उन्हें रुपया आज ही मिल जाय चाहे रुपया के चार आने ही मिलें और वे भागे हुये जाते हैं महाजनों के पास और कामर्स जो अखबार है उसमें दाम कोट होते हैं और उसकी कीमत रखी गई है ५३ रुपये।

अब कुछ आम शिकायतें हैं जिनके मुताल्लिक हमको यहां पर कहा गया। स्पीड हमारी स्लो जरूर है, मगर आप जानते हैं कि असली गरज हमारी योजना बनाने की यह होती है कि हम अपने सामने लक्ष्य रख सकें और उसके साथ प्रायोरिटीज रख सकें कि कौन चीज पहले करनी है और कौन बाद को करनी है। लेकिन हमें जो कुछ भी करना होता है वह इस देश द्वारा अपनाये हुये जनतंत्र को मद्देनजर रख कर करना होता है। एक तरफ तो हम यह कोशिश करते हैं कि यह काम जल्द से जल्द पूरा हो जाय लेकिन दूसरी तरफ ऐसी भी जमातें होती हैं जो यह चाहती हैं कि अगर हम नाकामयाब हो जायं तो ज्यादा अच्छा हो ताकि हम पर इल्जाम देने का और हमारे खिलाफ शिकायत करने का उनको मौका मिले। जाहिर है कि इसमें कुछ न कुछ देरी और खराबी होती है लेकिन अगर हमारे यहां भी वही उसूल हो जायं जैसे कि जनसंघ की जमात बनाती है या कम्युनिस्ट जिस पर चलना चाहते हैं, यानी तानाशाही तो जाहिर है कि हम भी एक हुक्म जारी कर देते और सारी कठिनाइयां खत्म हो जातीं और हमारा काम होने लगता। लेकिन हमको तो पूरी जनता को साथ लेकर आगे बढ़ना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, तो लाजिमी है कि ऐसी सूरत में कुछ न कुछ कठिनाइयों का हमको सामना करना ही पड़ेगा और आपको भी उसका लिहाज करना होगा।

एक शिकायत हमारे अफसरों की बहुत आयी और यह कहा गया कि गवर्नमेंट आफिशियल्स छोटे और बड़ों का बर्ताव बहुत खराब है और इन सबको बदल देना चाहिये था क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने के मुलाजिम हैं, ये प्लानिंग का काम नहीं कर सकते। जरा आप लोग ठंडे दिल से गौर करें, जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हमने अंग्रेजों से इस शासन को सम्हाला। उनके जमाने में ये लोग चल रहे थे। मगर यह कहना कि उस जमाने की हवा इनके दिमाग में आज तक बाकी है यह मेरे खयाल में सही नहीं है। मुमकिन है कि कुछ लोगों के दिमाग में हो लेकिन मैं एक मिसाल आपके सामने दूंगा। हमारे जमींदारों को ले लीजिये। जब तक अंग्रेजी हुकूमत थी तब तक ये लोग कैसा सख्ती का बर्ताव अपनी रियाआ से करते थे लेकिन आज उनसे बढ़ कर कोई हमदर्द किसानों का नहीं मिलेगा, और किसी के दिल में हमदर्दी है तो इन्हीं में। तो इस तरह से एक नतीजा निकालना कि सबके सब गवर्नमेंट आफिशियल्स बुरे हैं क्योंकि वे अंग्रेजों के जमाने में रहे हैं, सही नहीं है। फिर आप देखिये कि अगर अंग्रेजों के जमाने के सारे निजाम को हम बदल देते तो यह मुनासिब भी नहीं था और गैरमुमकिन भी था। उनकी जगह पर हम किनको रखते? जाहिर है कि जिनको हम रखते उनको हुकूमत का उतना तजुर्बा नहीं होता। और फिर अक्सर इनमें से ऐसे हैं जो निहायत आला काबिलियत के हैं कम्पटीटिव एक्जामिनेशन से आये हैं; तमाम हिन्दुस्तान का कम्पटीशन होता है बल्कि इनमें से कुछ तो अंग्रेजों के मुकाबले में चुन कर आये हैं। तो महज इसलिये कि वे उस जमाने के हैं, उनको कंडेम कर देना सही नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि उनमें खराबियां और गलतियां नहीं हैं। हो सकता है कि दो-एक लोग ऐसे हों। लेकिन आम तौर से जो हम लोगों को तजुर्बा है

[श्री सैयद अली जहीर]

उन्होंने अपने को बहुत अच्छे तरीके से मौजूदा हालत में एडजस्ट किया है। हमें देखना है कि अगर कुछ खराबियां हैं तो उनके क्या असबाब हैं। वे हमारे ही भाई बन्द हैं। इसी देश में पले हैं, पढ़े हैं। वे जानते हैं कि यहीं जिन्दगी बितानी है। यह आप न समझें कि इस बात का लिहाज हमको नहीं है। मैं आपको एक जुमला उस रेज्योल्यूशन का पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जो कि बंगलौर में कांग्रेस ने पास किया है :

"There appears to be a gap between policies and programmes and their implementation which slows down the rate of progress. Steps must be taken to ensure that the programmes laid down are carried out without delay and the progress is speeded up. Towards this end, it is imperative to have speed, efficiency and integrity in the administrative set-up at all levels. The administrative services in India are competent, but they have to function under rules and procedures which cause delays and which are not suited for the purposes of rapid social and economic changes. These rules and procedures should be modified, wherever necessary, and brought into line with the requirements of a rapidly changing economy. It should be understood that the mere laying down of right policies and programmes is not enough ; the test is performance and implementation. It is by this test of performance that the work of individual officers of all grades should be judged, and praised or criticism given."

एक सदस्य--हिन्दी कीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर--हिन्दी में इसके मानी यह हैं....

श्री टीकाराम पुजारी--अंग्रेजी भाषा से हम लोग घबड़ाते हैं, गुलामी याद आ जाती है।

श्री अध्यक्ष--बैठिये। वह हिन्दी में कह रहे हैं।

श्री सैयद अली जहीर--इसके मानी यह हैं कि अक्सर यह देखा जाता है कि जो हम प्लान बनाते हैं उस पर जो अमल होता है उसमें कुछ फर्क हो जाता है। प्लान तो बहुत अच्छा होता है लेकिन अमल वैसा नहीं होता। इसकी वजह यह होती है कि नौकर तो हमारे अच्छे हैं लेकिन कुछ ऐसे रूल्स और कायदे बने हुए हैं जिनकी वजह से वे चल नहीं सकते। उनको बदलने की जरूरत है। लेकिन उसके साथ-साथ यह रहे कि एक अफसर रहे। उसके हवाले एक काम कर देना चाहिए और यह देखा जाय कि जो काम उसके ताल्लुक किया गया है उसको वह पूरा कर सका है या नहीं। मेरी मंशा इतनी ही था कि आप यह न समझें कि हम नहीं समझ रहे हैं। हमारी कठिनाइयां हैं। हम जानते हैं कि जिस तेजी से हम काम चाहते हैं वह नहीं होता। लेकिन हमें देखना है कि हम काम इन्हीं लोगों से ले सकते हैं बजाय इसके कि बिलकुल नाजुर्बेकार लोगों से काम लें। प्लान पूरा नहीं होता; उसकी वजह यह है कि हमारे यहां तजुर्बा नहीं है। आप देखेंगे कि जितने बड़े-बड़े काम हिन्दुस्तान में हो रहे हैं; पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे इंजीनियर्स इनको कर सकेंगे। लेकिन कुछ बाहर के थोड़े से लोगों को छोड़ कर सब हमारे अपने इंजीनियर्स अंजाम दे रहे हैं। हम तजुर्बा हासिल करके ही आगे बढ़ सकते हैं।

यह भी शिकायत की गई कि पुलिस में बहुत भ्रष्टाचार है। बहरहाल, मुझे पता नहीं कि आप जानते हैं या नहीं, हमने कोई ३ वर्ष पहले एक डी० वाई० एस० पी० कम्पेन्ट्स मुकर्रर किया था। उसके मुताल्लिक यह था कि जो शिकायत हों, उनकी वह इन्क्वायरी करें। मैं यह बताना चाहता हूं कि उसने क्या काम किया। सन् १९५६, जब से उनकी तकर्रूरी हुई कोई २० हजार कम्पलेंट्स उनके पास पहुंचीं और इनमें से कुछ ऐसी थीं जो खुद पुलिस के खिलाफ थी और कुछ दूसरे अधिकारियों के खिलाफ थीं। इन २० हजार कम्पलेन्ट्स की इन्क्वायरी की गई।

इनमें से ५ हजार पुलिस आफिशियल्स के खिलाफ शिकायतें थीं। उनके ऊपर कार्यवाही की गई और उनको सजा दी गई। इसी तरह से जो दूसरी शिकायतें ४ हजार थीं उनमें १३ आदमियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और उनको सजा दी गई। यह बात नहीं है कि कोई किसी तरह से लिहाज किया गया हो। आम तौर पर यह कहा जाता है कि साहब, पुलिस खराब है और उसका निजाम बिलकुल बिगड़ा हुआ है। इस तरह से कहने से कोई फायदा नहीं होता है। आप हमको अगर मखसूस तौर पर किसी आदमी के खिलाफ लिखकर दें तो हम उसकी इन्क्वायरी करेंगे और जहां तक हमारा इमकान है, हम करने की कोशिश करेंगे और उसको मिटाने की कोशिश करेंगे।

अभी एक काफी जिम्मेदार माननीय नेता कहने लगे कि साहब, पुलिस बेकार है और खराब है कि लखनऊ में एक आदमी की बीबी को रात में लोग घसीट कर ले गये और पुलिस ने कुछ नहीं किया और एक आफत आ गई, ऐसा उन्होंने महसूस किया। यह उनके अल्फाज थे। इस किस्म की बातों का जबाब क्या दिया जाय। यह वाकयात से ताल्लुक रखता है। वाकई ऐसा हुआ लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फौरन मुलजिमान को पकड़ा गया और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही हो सकती है वह की गई। यहां पर कहा गया कि कुछ नहीं किया गया। अब मैं क्या कहूं? इस तरह से फिर भी कहा जाता है। यहां पर मुकाबला करते हैं इंगलिस्तान का कि वहां की तरह यहां की पुलिस हो जाय कि फायरिंग न करे और किसी के ऊपर ज्यादती न हो। यह बिलकुल ठीक है मगर खुदा के लिये यह भी तो सोचिये कि यह बर्ताव किसके साथ करना पड़ता है। यहां पर खुद नेता लोग यह चाहते हैं कि कानून शिकनी की जाय। लोगों से कहा जाता है कि तुम गन्ना मत दो, फलां कानून को तोड़ो। यहां पर लड़कों से कहा जाता है कि बसों को जलाओ। इस तरह की बातें जब यहां पर होती हैं और इन्डिसिप्लन फैलाई जाती है तो फिर आखिरकार पुलिस को ज्यादती करनी पड़ती है। अगर इस तरह का बर्ताव किया जाय जैसा कि बर्ताव इंगलिस्तान में किया जाता है तो फिर क्या जरूरत ज्यादती करने की पड़े? यह सोचने की बात है।

जहां तक डकैती का ताल्लुक है, उसके लिये सूरतेहाल यह है कि अक्सर यह देखा गया है--मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता--कि कहीं पर डकैती पड़ी और कोई ऐसा आदमी है जिसको यह समझा जाता हो कि वह कुछ काम का आदमी है और वह कुछ असर रखता है तो लोग उसकी तरफदारी करने लगते हैं। उसके लिये हर कोशिश की जायगी कि वह मुकदमा कामयाब न हो। उसमें गवाहों को तोड़ा जाता है और इसके साथ-साथ अगर वह किसी तरह से छूट गया तो उसको हार पहनाये जाते हैं। इन वाकयात को गांव वाले जानते हैं और यह सुनने में आया है। जब बर्ताव इस तरह का किया जाता है जिससे यह मालूम हो कि वह पाक साफ है, निर्दोष है और उसने गुनाह नहीं किया है तो फिर इस तरह की शिकायत रहेगी। जब कानून शिकनी होगी तो पुलिस को ज्यादती करनी पड़ेगी।

यह भी शिकायत की गई कि आपने सोशलिज्म की तरफ बढ़ना बन्द कर दिया है....

श्री अध्यक्ष--आप कुछ वक्त और लेंगे?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, ५, ७ मिनट ही लूंगा।

श्री अध्यक्ष--अच्छा, अब मैं सदन की बैठक ५। बजे तक रखता हूं। इस बीच में आप समाप्त कर लें।

श्री सैयद अली जहीर--तो मैं इस सिलसिले में यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे भाई झारखंडे राय जी जिस सोशलिज्म को चाहते हैं उसमें और हमारे सोशलिज्म में फर्क है। उनका सोशलिज्म यह है कि एक डंडे के जोर से वह सब पर लाद दिया जाय। जो फैक्ट्रीज हैं वे सब ले ली जायं। हमारा वैसा सोशलिज्म नहीं है। टेक्सटाइल के मुताल्लिक उन्होंने शिकायत की कि उसमें पैदावार कम हो गयी है। उसकी मिलों को नेशनलाइज कर दिया जाय। कम

[श्री सैयद अली जहीर]

से कम गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी है, मैं उनको बतला दूं कि वे प्राइवेट सेक्टर में ही रहेंगी और गवर्नमेंट उनको नहीं लेगी। आप जानते हैं कि कानपुर की दो मिलों को हमने मदद की है और वे चली हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी हालत और बेहतर हो। हम उनको पैसा भी दे रहे हैं। इसी तरह से सर्विस कोआपरेटिव की बात है। उनके मुताल्लिक लक्ष्मीरमण जी ने काफी कहा है और मैं उस सबको दोहराना नहीं चाहता। कोआपरेटिव फार्मिंग वालंटियरी बेसिस पर होगी और मैं समझता हूं कि अगर वाकई कोआपरेटिव स्पिरिट हम लोगों में आ जाय तो यह जनतंत्र वाकई में कामयाब हो जाय और बहुत जल्दी कामयाब हो जाय। ऐसा होने पर ही आर्थिक हालत भी हमारी दुरुस्त हो सकेगी और इसीलिये हमने इसको वालंटियरी बेसिस पर रखा है ताकि लोगों में ऐसी भावना पैदा हो और हमारे काम पूरे हों, हमारी आर्थिक दशा भी सुधरे और हमारे देश की उन्नति हो। हम चाहते हैं कि खूब फैले और कोआपरेटिव फार्मिंग के उसूलों को हम आज भी अपनाये हुए हैं। सीलिंग के बारे में मैं उतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग जरा सब्र रखें। उसके मुताल्लिक अनकरीब ही हम लेजिस्लेशन लाने वाले हैं।

श्री मदन पांडेय---बस्ती जिले के बारे में भी आप कुछ करें, सर्वे रिपोर्ट के बारे में।

श्री सैयद अली जहीर---उसके लिये तो शायद आपने सवाल किया था और उसका मुख्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया।

एक माननीय सदस्य ने हमारी तरफ से यह शिकायत की कि एजूकेशन के जो मामलात हैं उनमें फाइनेंस बड़ा अड़ंगा डालता है। मैं उनको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि यह मामला जेरे गौर है और जल्दी ही हम बातचीत कर के कोई न कोई रास्ता निकालेंगे और जो कठिनाइयाँ हैं उनको हल किया जायगा।

इसका भी जिक्र हुआ कि हिल्स पर बहुत कम काम हो रहा है और असल में इस से बहुत ज्यादा होना चाहिये। ऐसा बहुत से लोगों ने कहा। मैं इस सिलसिले में तफसील में नहीं जाना चाहता। बाज चीजें हैं उनकी वजह से तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन यह बतलाना चाहता हूं कि यह केवल इस साल की बात नहीं है। कई सालों से हम वहां काम कर रहे हैं और तकरीबन २१६ लाख रुपया हम वहां पर अलग अलग कामों में खर्च कर रहे हैं। इसमें से कुछ काम हो चुका है और कुछ हो रहा है। सड़कें भी बन रही हैं, पुल भी बन रहे हैं और कई किस्म के डेवलपमेंट के काम वहां हो रहे हैं। इस साल भी हमने वहां के लिये ५८.२२ लाख रुपया रखा है।

एक माननीय सदस्य ने बिजनौर की शीशियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन पर सेल्स टैक्स लिया जाता है, वह माफ होना चाहिये। इस सिलसिले में मुझे उन से यही अर्ज करना है कि वहां केवल तीन आदमियों से यह टैक्स लिया जाता है और जिनमें कम से कम ४३ रुपया है और सबसे ज्यादा ३६८ रुपया लिया जाता है और इन तीन आदमियों को हम माफ नहीं कर सकते। अगर हम इनको माफ करेंगे तो हमको सूबे भर के शीशी वालों के सेल्स टैक्स को माफ करना पड़ेगा तो यह शिकायत उनकी सही नहीं थी। हमने इस पर गौर किया और यह समझा कि यह ऐसा अहम मामला नहीं है।

बहरहाल, अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा के मुताल्लिक भी शिकायत हुई। मेरे दोस्त लक्ष्मीरमण जी ने इसके मुताल्लिक काफी कह दिया है। सिर्फ मुझे यह कहना है कि अगर आप फीगर्स को देखेंगे तो पैदावार का जो एमाउन्ट है १९४९ का वह १,६१० था और १९५९ में वह बढ़ कर १,८७५ करोड़ रुपया टोटल असेट्स हो गये। तो यह किसी तरह से नहीं कहा जा सकता कि हम पीछे जा रहे हैं या प्रगति नहीं हो रही है। ज्यादा से ज्यादा आप यह कह सकते हैं कि जहां तक पर-कैपिटा इन्कम का ताल्लुक है वह ज्यादा नहीं बढ़ी। उसकी दो वजहें हुआ करती हैं, एक तो यह कि कुछ मर्दुमशुमारी बढ़ जाती है, दूसरे कहतसाली या और किसी वजह से

इन्कम कम हुई तो पर-कैपिटा इन्कम घट जाती है। जहां तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ताल्लुक है, आप उन्हीं फिगर्स को देखेंगे जिनको हमारे लक्ष्मीरमण आचार्य जी ने कोट किया है कि हम बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह---इतना साफ कर दीजिये कि २५३ करोड़ के प्लान्स हैं या २८६ करोड़ के, जैसा कि आपकी एक पुस्तक में छपा है।

श्री सैयद अली जहीर---आप मेरे पास आइयेगा और हम देखेंगे, इस वक्त इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। जहां तक मैं जानता हूं, २५३ करोड़ का प्लान था और यह २८६ करोड़ कैसे छपा है, वह अलग चीज है, उसका ताल्लुक किसी बहस से जो कि बजट के दौरान में हुई, ज्यादा नहीं है।

मैं अपील करूंगा कि यह न समझें कि हम अपनी गलतियों को और कमजोरियों को नजरअन्दाज करते हैं। हमें उसका अन्दाजा है और बावजूद उनके अपने देश को आगे बढ़ाना है। यह नहीं हो सकता कि हमारे आदमी नातजुर्बेकार हैं या उनमें भ्रष्टाचार है तो हम अपना काम बन्द कर दें। काम तो करना है और खराबियां हैं, तो हम और आप अगर मिल कर मिटाना चाहेंगे तो आसानी से मिटा सकेंगे---उसमें देश का भला होगा, फायदा होगा। लेकिन अगर आप यही चाहते हैं कि आप अड़ंगा डालें, कठिनाइयां डालें, तो देश तो आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा, लेकिन जाहिर है कि उसमें वह तेजी, वह पूरे तौर से कामयाबी, नहीं हो सकती जैसी कि हम और आप सब मिलकर इस काम को, जो कि नया काम है, करेंगे तो होगी।

यही मुझे अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष---अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ७ मिनट पर सोमवार, २२ फरवरी, १९६०, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्तल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२० फरवरी, १९६०।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४ एल० ए०—१९६०–८४५।